हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार 14 दिसम्बर, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

14.12.2018/1100/बी.एस./ए.जी./-1

प्रश्न संख्या : 694

मुख्य मंत्री : सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

प्रश्न संख्या : 1032

श्री सुरेन्द्र शौरी (बंजार):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो इस वर्ष प्रदेश के अंदर 18 नेचर पार्क बनाने की योजना विभाग ने बनाई है क्या उसमें बंजार विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत देउरी और शांगड में नेचर पार्क बनने हैं वे इस योजना में शामिल हैं?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष 2017-18 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में 26 इको पार्क बनाएंगे। इन में से अभी तक 8 इको पार्क बन करके तैयार हो चुके हैं और 18 विचाराधीन हैं। अगले वर्ष हम 4नए इको पार्क बनाने वाले हैं। उसमें हम देउरी के इको पार्क को बनाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए बजट प्रावधान का भी प्रयास करेंगे। जहां तक सांगढ़ का प्रश्न है वहां पर भूमि उपलब्ध नहीं है। वहां भूमि उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र शोरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो नेचर पार्क आप बनाते हैं, इनका मुख्य लक्ष्य क्या रहता है और जब आप जगह का चयन करते हैं वह किस आधार पर किया जाता है? मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर सोझा,जलोड़ी,लाभरी तथा सरयोलसर झील जैसे पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे प्रकृति के सुंदर स्थल हैं । क्या इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए विभाग की कोई योजना है?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के द्वारा जो पर्यावरण पर्यटन की दृष्टि से नेचर पार्क बनाए जाते हैं उनमें रास्तों में लोगों की सुविधा, पर्यटन सूचना केन्द्र, बच्चों के लिए मनोंरजन पार्क, पर्यटकों के लिए छाया घर, वर्षा शालिका,वाहन पार्किंग केफेटेरिया

और शौचालय इत्यादि है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्ष के प्रति जाग्रुकता उत्पन्न करने हेतु कार्य किए जाते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि जलोड़ी पास से सरयोलसर और सोजा इत्यादि स्थानों के नाम लिए हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो सरयोलसर झील है वहां तक एक ट्रेक वन विभाग द्वारा पहले से ही बना है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर पर्यटन की दृष्टि से वहां पर एक केन्द्र बन सकता है। उस ट्रेक की मरमत करना और बिजली, पानी और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं। ताकि वहां पर एक नया पर्यटन स्थल स्थापित हो सके। इस दिशा में हम विचार कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या : 1033

श्री किशोरी लाल (आनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जलोड़ी जोत के नीचे टनल निर्माण बहुत जरूरी है। जहां इस टनल निर्माण से हमारे आनी विधान सभा क्षेत्र के अलावा रामपुर, किन्नौर,बंजार, चिच्योट, कुल्लू, मनाली आदि क्षेत्रों को फायदा होगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, अभी हाल ही में जो वर्ष 2018-19 के अंतर्गत Feasibility Study, Detailed Engineering and Land Acquisition के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था की है इसके लिए मैं फिर से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कब तक इस टंनल का निर्माण कार्य शरू कर दिया जाएगा।

दूसरा मेरा इसी से संबंधित प्रश्न यह है कि जो हमारा सैंज,लुहरी ओट है जिसकी 2012 में नोटिफिकेशन हुई थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस कार्य में कब तक लैंड एक्वायर और दूसरे उससे संबंधित कार्य हैं पूरे कर लिए जाएंगे।

14/12/2018/1105/RG/AG/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जलोड़ी जोत की सुरंग बनाने का प्रस्ताव जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने यहां किया है, इसकी मांग वहां के क्षेत्रवासियों द्वारा एक लंबे समय से की जा रही थी। इस सुरंग के बनने से कुल्लू जिले का आनी विधान सभा क्षेत्र जो जिला

मुख्यालय से बिल्कुल कटा रहता है वहां के लोगों को जलोड़ी पास से होकर कुल्लू आने के लिए एक मात्र ही रास्ता है। अन्यथा दूसरा रास्ता बहुत लंबा पड़ता है और जलोड़ी पास की हाईट बहुत अधिक होने के कारण वहां लगभग 3-4 महीने वह बंद भी रहता है। दूसरी बात यह भी है कि जलोड़ी पास के लिए जो हमारी सड़क जाती है वह इतनी स्टीप है कि वहां लोड गाड़ी को ले जाना कठिन हो जाता है और यहां तक वहां बसें भी चढ़ने में बहुत कठिनाई आती है। इसलिए वहां के लोगों की वर्षों से यह मांग थी कि वहां पर एक सुरंग बनाई जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसके लिए जो शुरूआती दौर में औपचारिकताएं होती हैं, उससे भी आगे बढ़कर काम की शुरूआत की गई है। काम की शुरूआत से मेरा अभिप्राय यह है कि लगभग 4.20 कि.मी. लम्बी डबल लेन टनल बनाने का यह प्रस्ताव है और वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत feasibility study, Detailed Engineering and land acquisition के लिए इसमें दो करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया गया है। इसके अलावा कंसलटेंट इसकी डी.पी.आर. बनाएगा तथा उसके उपरांत निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आगामी प्रक्रिया की जाती है। अभी इसकी डी.पी.आर. बनकर तैयार होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य महोदय ने थोड़ी और डिटेल इस बारे में मांगी है तो मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है कि जैसे ही डी.पी.आर. बनती है, उसके बाद इसकी स्वीकृति मिलने के बाद हम इस काम को शुरू कर सकेंगे। **जहां तक कंसलटेंट की नियुक्ति का संबंध है, उसमें निविदाएं करने के लिए 6.36 करोड़ रुपये का rough cost estimates भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 25-08-2018 द्वारा भेजा गया है।** मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्राक्कलन के अनुमोदन के पश्चात सुरंग की कन्सलटेंसी का जो कार्य होगा, उसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदाएं आमन्त्रित की जाएंगी। इसके अलावा नियुक्त कंसलटेंट इस सुरंग की डी.पी.आर. बनाएगा तथा उसके उपरांत इसके निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए आगामी प्रकिया की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पूछा है कि इसको कब शुरू करेंगे? मेरा कहना यह है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और अच्छी बात यह है कि इस मांग को इस रूप में देखा जा रहा है कि इसमें आगे बढ़कर काम करने की दिशा में प्रगति हुई है। इसलिए मैं उम्मीद

करता हूं कि यह जल्दी बनेगी और हम इसको ऐक्सपेडाईट भी करेंगे। यह काम जल्दी हो जाए। यह टनल बनती है तो यह आनी विधान सभा क्षेत्र को कुल्लू जिले के मुख्यालय के साथ और पर्यटन के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी एक रास्ता आने-जाने के लिए बहुत नज़दीक और सरल हो जाएगा। बन्जार और आनी विधान सभा क्षेत्र को यह सीधा जोड़ने वाला है, यह दो विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला है। दूसरी बात इन्होंने सैंज-लूहरी ओट

14/12/2018/1110/MS/DC/1

नेशनल हाइवे की बात कही है, यह प्रक्रिया चली है। यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि आपका प्रश्न टनल से संबंधित था लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इसकी डिटेल्ड इन्फोरमेशन चाहिए तो लिखकर उपलब्ध करवा दूंगा।

प्रश्न संख्याः 1034

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर रखी है उसके अनुसार चौपाल चुनाव क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 18 पद खाली हैं यानी 25 पदों में से सिर्फ 7 पद ही भरे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 100 पद अभी और भरे जा रहे हैं जबकि अभी चौपाल में सिर्फ 14-15 परसेंट आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पद भरे हुए हैं। तो जो 100 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पद भर रहे हैं क्या मेरे चुनाव क्षेत्र में बाकी रिक्त पद इनसे भरेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा है कि इनके विधान सभा क्षेत्र में कुल 25 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और प्रश्न के उत्तर में भी स्पष्ट किया है कि लगभग 7 पद आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के भरे हैं और 18 खाली हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों लगभग 82 पद बैचवाइज आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के डिपार्टमैंट ने भरे हैं और लगभग 100 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हैं। वहां पर विभाग ने रिक्विजिशन भेज दी है और पदों को भरने की प्रक्रिया भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुरू कर दी है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जब यह प्रक्रिया पूरी

हो जाएगी तो जैसे माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर खाली पदों को भरने की बात कही है तो ये पद भर दिए जाएंगे। अध्यक्ष जी, इस समय हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 1211 स्वीकृत पदों में से 312 पद खाली हैं। जब 100 पद बैचवाइज भरे जाएंगे तो ये संख्या और कम हो जाएगी। इन पदों को भरने के लिए भी आयुर्वेद विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो खाली पदों की माननीय सदस्य की चिन्ता है, यह आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी जो आपने 82 पद भरे थे उनमें से भी आपने चौपाल में कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी लगाए थे लेकिन उनमें से एक ने भी वहां ज्वाइनिंग नहीं दी और सभी ने एडजस्टमैंट करवाई है। मेरी आपसे विनती है कि आने वाले समय में जब भी आप मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी भी डॉक्टर की एप्वायंटमैंट करेंगे तो उनकी एडजस्टमैंट न हो ताकि वे ज्वाइन करें। इसके लिए आप मुझे आश्वासन दें कि आने वाले समय में कोई-न-कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में 18 पद रिक्त हैं, कुछ पद जरूर भरे जाएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, आने वाले दिनों में जब हि0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी तो हमारा वैसे प्रयास रहता ही है कि जहां पद खाली हैं उन पदों को हम प्राथमिकता पर भरें। इसके अलावा यह भी कोशिश रहती है कि जहां पर जिसके आदेश हुए हैं उनको मोडिफाई न किया जाए। भविष्य में हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उन दूर-दराज़ के क्षेत्रों में या जहां डॉक्टर्ज की आवश्यकता है उसको प्राथमिकता देंगे, यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं।

14.12.2018/1115/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 1035

श्री पवन कुमार काजलः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि विभाग के द्वारा जो उत्तर आया है कि कुल्थी और बलोल को जोड़ने वाला जो पुल है वह विधान सभा क्षेत्र कांगड़ा व नगरोटा को भी जोड़ता है।

आपके जवाब में आया है कि Abutment (Substructure) soffit level तक कर दिया गया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यह Abutments पूरे एक साल पहले बन करके तैयार हो गई थी। जब से आपकी सरकार आई उसके बाद उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या इसको टाइम बाऊंड करेंगे और जल्दी से जल्दी इसकी स्लैब डालेंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुल ग्राम पंचायत कुल्थी जिला कांगड़ा में स्थित है और टिका कोई-बलोल को जोड़ने वाला है। जैसे कि मैंने उत्तर में कहा कि इसका Abutment (Substructure) soffit level तैयार है और जहां पर पुल रैस्ट करता है, वैसे तो माननीय सदस्य खुद कॉंट्रैक्टर हैं और इनको सभी टैक्निकल चीजों का पता भी होगा। इसकी देर की वजह यह है कि उसमें वहां पर स्ट्रेटा बहुत खराब निकला, उसमें 11 मीटर नीचे जाना पड़ा, जिसके कारण बहुत बड़ा विलम्ब हो गया। उसके साथ-साथ इसके जो डिजाइन्ज़ हैं वे भी चेंज करने पड़े। वह जो स्ट्रेटा था उसके मुताबिक उन सारी चीजों को दोबारा से करना पड़ा लेकिन अब यह पुल Abutment (Substructure) soffit level तक तैयार है। **मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इसमें विभाग की कोशिश रहेगी कि यह जल्दी से जल्दी बन करके तैयार हो जाए। इस बारे में मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है और जून, 2019 तक इस पुल को पूरा करने की सम्भावना है।**

प्रश्न संख्याः 1036

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, पांवटा डिविज़न में सतोन सब डिविज़न का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई लैफ्ट आऊट हेमलैट नहीं है या रूरल हाऊस होल्ड नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि सतोन सब डिविजन के बारे में क्या स्थिति है? दूसरी बात यह है कि आपने इसमें सिर्फ जिक्र किया है कि 9 हेमलैट शिलाई सब डिविज़न के और 18 रूरल हाऊसहोल्डज़ हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में पांवटा सब डिविजन है और उसमें बहुत सारे हाऊसिज़/हेमलैट अनइलैक्ट्रिफाइड हैं। उसमें रूरल हाऊसिज़ भी

हैं। उनको इलैक्ट्रिफाई करने के लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? आपने जो यहां पर जिक्र किया उसमें तो बहुत थोड़े हेमलैट्स और रूरल हाऊसिज़ हैं। क्या आप विभाग से सर्वे करवा करके ये जो लैफ्ट आऊट हाऊसिज़ हैं, उनको आइडैंटिफाई करवा कर उसमें बजट का प्रावधान करेंगे ताकि उनमें भी इलैक्ट्रिफिकेशन हो सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां लो वोल्टेज़ की समस्या है उसका भी उसमें जिक्र नहीं है। बहुत सारे गांवों में आबादी बढ़ने की वज़ह से जहां पर कम वोल्टेज़ का ट्रांसफार्मर लगा है वहां डिम लाइट की विशेष कर सर्दियों में दिक्कत होती है। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिन गांवों में लो वोल्टेज़ की प्रॉब्लम है उनको आइडैंटिफाई करवा करके वहां लाइट को इम्प्रूव करने का प्रावधान करेंगे?

14.12.2018/1120/SS-HK/1

बहुउद्देश्यीय परियोनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा, उसके बारे में मैं एक बात यह कह सकता हूं कि जो हमारी कम्प्लीशन है उसमें अवार्ड में डिले की वजह से विलम्ब हुआ है। परन्तु जो हमारे हैमलैट्स छूटे हैं उनका हमने एक्सटेंशन टारगेट सितम्बर, 2019 तक रखा था। **31 मार्च, 2019 तक जितने भी हैमलैट्स बचे हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उसको हम कम्प्लीट करेंगे। आपने मेरे ध्यान में लाया है कि लॉ वाल्टेज की समस्या है और कुछ ऐसे हैमलैट्स हैं जोकि विभागीय उत्तर में कवर नहीं हुए, मैं माननीय सदस्य को पूर्ण आश्वासन देना चाहूंगा कि आप मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें, मैं ज़रूर इस पर विभाग के माध्यम से कार्रवाई करूंगा। जहां पर वॉल्टेज की समस्या है उसको सुधारने की हम प्रक्रिया जारी रखते हैं, उसे विभाग के माध्यम से दुरूस्त करेंगे।**

आपने सतौन में एक लैफ्ट आउट हैमलेट की बात कही है। वह आइडेंटीफाई नहीं है। जैसे मैंने कहा, उसका सर्वे करवा दिया जायेगा। लॉ वॉल्टेज और अन्य सभी समस्याएं, जो आपके वहां होंगी, उसको हम ज़रूर दुरूस्त करेंगे।

प्रश्न संख्याः 1037

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का इस कृतार्थ के लिए बहुत धन्यवादी हूं। हमारा देश और प्रदेश, कृषि प्रधान देश है। जहां तक मंडी जिला की बात है, बल्ह क्षेत्र को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। वहां 90 प्रतिशत आबादी किसानों की है। आपने बल्ह के लिए कृषि योजना में हमें सब्जी मंडी दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो 5 लाख का प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं सरकार, मुख्य मंत्री और आपका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जहां तक विश्राम गृह की बात है इसका निर्माण कब होगा, उसके लिए कितनी जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है? यह मैं जानना चाहता हूं।

कृषि मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सब्जी मंडी के लिए 15 बीघा का क्षेत्र रखा गया है। उसके लिए बल्ह विधान सभा क्षेत्र में 19 बीघा 18 बिसवे जमीन गैर-मुमकिन खड्ड चिन्हित की गई है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 8.10.2018 को एस0डी0एम0 साहिबान और उनकी कमेटी ने इस जमीन का निरीक्षण किया है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। मैं माननीय सदस्य जी से कहना चाहूंगा कि यह एरिया वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। आप फॉरैस्ट कंजरवेशन ऐक्ट, 1980 के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट भेजें ताकि जल्दी हम देहरादून से इसकी स्वीकृति ले सकें, जिससे कि हम कार्य शुरू कर सकें। जैसे ही देहरादून से एन0ओ0सी0 मिलेगा, हम निश्चित रूप से वहां सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। वहां सब्जी मंडी अच्छा कार्य कर रही है। हम किसान भवन का निर्माण करते हैं लेकिन विश्राम गृह का निर्माण नहीं करते। **मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी का निर्देश है कि जहां सब्जी मंडी बनेगी, वहां निश्चित रूप से किसान भवन बनना चाहिए। ऐसा हम प्रयास करेंगे कि जब सब्जी मंडी वहां बनेगी तो किसान भवन भी बने।**

प्रश्न संख्याः 1038

श्री अनिरूद्ध सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने लगाया है कि गत तीन वर्षों में कितने लोगों की प्रदेश में ड्रग्स लेने के कारण मृत्यु हुई, उसके बारे में जानना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़ों का क्या पैमाना है कि डैथ ड्रग्स के कारण हुई है?

14-12-2018/1125/KS/HK/1

क्योंकि सरकारी आंकड़े तीन साल में केवल तीन ही डैथ्स दिखा रहे हैं। किन्तु मैं कहना चाहूंगा और हम सभी जानते हैं कि 16 से लेकर 35 साल तक की उम्र के बच्चों की मृत्यु की इस तरह की पिछले तीन साल में कम से कम 1000 और 1500 के बीच फीगर रही है। 200 बच्चों के परिवारों को तो मैं पर्सनली जानता हूं जो कि केवल जिला शिमला के हैं परन्तु यह बात भी है कि माता-पिता यह रिपोर्ट नहीं करवाना चाहते कि हमारा बच्चा ड्रग्ज़ के कारण मरा है। एक तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या पैमाना है? दूसरे "ख" भाग में हमने पूछा था कि इस अवधि में कितने ड्रग माफिया पकड़े गए ? जो इस सम्बन्ध में जवाब आया है उसके मुताबिक वर्ष 2016 से ले कर वर्ष 2018 तक लगभग 25 परसेंट की वृद्धि हर साल केसिज़ रजिस्टर होने में हुई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और पुलिस तथा प्रशासन को इसमें और ध्यान देने की जरूरत है। वर्ष 2018 का दिसम्बर का महीना चल रहा है और 1589 केसिज़ अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं। क्योंकि हम सभी लोग नशा रोकने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं इसलिए one proper law should be implemented जो कमर्शियल क्वांटिटी है उसको सिंथेटिक ड्रग्ज़ पर, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो अभी आपका एन.डी.पी.एस. का बिल आ रहा है, इसमें मुझे दो चीजों की क्लैरिफिकेशन जरूर चाहिए ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, इस बिल पर चर्चा आएगी, उसमें इसकी बात कर लेना। अभी आप इस प्रश्न की बात कीजिए।

श्री अनिरुद्ध सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, चिट्टा के ऊपर और इसी तरह से एक म्याऊं-म्याऊं करके नशा है और चाइनिज़ पिल्ज़ और कैप्सूल है, इसके ऊपर नॉन बेलेबल प्रावधान हो, इसका हम जरूर आग्रह करना चाहेंगे । केवल सिंथेटिक ड्रग को नॉन बेलेबल बनाया जाए। धन्यवाद।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न था उसकी सूचना हमने बहुत ही विस्तृत रूप से उपलब्ध करवाई है। स्वभाविक रूप से ड्रग्ज़ का प्रचलन बढ़ रहा है और इसका शोर पूरे प्रदेश भर में बहुत ज्यादा है । हम दो दिन पहले ही इसके सम्बन्ध में इस माननीय सदन में नियम-130 के अंतर्गत चर्चा भी कर चुके हैं। माननीय सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा, इन्होंने जानना चाहा कि इसका पैरामीटर क्या है तो माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे लिए बहुत जटिल काम है। क्योंकि पैरामीटर तो यह है कि ड्रग्ज़ के कारण मौत हम तभी घोषित कर सकते हैं जब एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आए । तो ये जो तीन मौतें हुई हैं, एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल जो सर्टिफिकेट आता है, ये उसके अनुसार है। स्वभाविक रूप से जब शोर इतना ज्यादा है और ड्रग्ज़ का प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है तो ये तीन मौतें ही हुई है, इस उत्तर से कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जो पैरामीटर की बात है उसमें हमारे पास विवशता है क्योंकि बहुत सारे परिवारों में जब इस तरह की घटना होती है तो वे यह नहीं बताते। पोस्टमॉर्टम हो उसके बाद एफ.एस.एल. के लिए केस जाता है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम उसके बारे में तय कर सकते हैं लेकिन आज के जमाने में ऐसी परिस्थिति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त बहुत संदेहास्पद जिनको बोला जा सकता है कि इनकी ड्रग्ज़ की वजह से मौत हुई है, उस स्थिति में 10 मौतें हुई है, जिसमें जिला कांगड़ा में पांच, बद्दी में 3, ऊना में 1 और सिरमौर में 1 मौत हुई है जहां पर हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी मौत का कारण ड्रग्ज़ है।

जहां तक आपने बहुत सारी चीजों के बारे में पूछा, आज उस सम्बन्ध में एक बिल आ रहा है, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगें।

14.12.2018/1130/av/yk/1

उसमें आप अपने सुझाव दें। जब बिल आयेगा यानी जब बिल पर पहुंचेंगे तो हम उस पर विस्तार से चर्चा करने की स्थिति में होंगे। यहां पर जिस सैक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब भी हम आपको उसी वक्त देंगे। जहां तक आप पूछ रहे थे तो मैं इस बारे में 3 वर्षों के आंकड़े देख रहा था। माननीय सदस्य ने जो पूछा था तो इसमें वर्ष 2016, 2017 और वर्ष 2018 के आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ो में बढ़ोतरी हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मामले के अंतर्गत गिरफ्तारियां भी बढ़ी है जिसके बारे में जिलावार डिटेल आपको दे दी गई है। उसके बावजूद हमारी सरकार इस सारे विषय को लेकर के काफी गम्भीर है। हमने इस बारे में पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा कैम्पेन चलाने का प्लान बनाया है और इसकी शुरुआत बद्दी से करने का निर्णय लिया है। इस अभियान को लगभग 8 हजार बच्चे, उनके टीचर, पेरैंट्स और स्थानीय जनता का सहयोग लेकर शुरू किया गया है। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है तो यह सचमुच चिन्ता का विषय है। इसमें कोई भी परिवार का सदस्य आगे आकर यह कहने को तैयार नहीं होता कि हमारे बच्चे या रिश्तेदार की ड्रग्ज के कारण मौत हुई है। ड्रग्ज की ओवर डोज के कारण मौत होने के बाद बिना किसी प्रकार की औपचारिकता पूर्ण किए उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। यह केवल हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति है जिस कारण से सही असैसमैंट करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि इसके आंकड़े बहुत ज्यादा हो मगर आधिकारिक आंकड़े वही माने जाते हैं जो रिपोर्ट के अनुसार आते हैं और हम यहां केवल उनका जिक्र कर सकते हैं।

श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसके 'क' व 'ख' भाग का उत्तर मुझे मिल गया है। प्रश्न के 'ग' भाग के अंतर्गत मैं यह कहना

चाहूंगा कि जितने भी ड्रग तस्कर हैं ये पंजाब से आकर जिला बिलासपुर होते हुए जिला मण्डी व कुल्लू-मनाली की तरफ आते-जाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि बिलासपुर पुलिस को लेटैस्ट टेक्नोलॉजी से वैल इक्विप्ड किया जाए। जिस व्यक्ति को यह लत लग जाती है तो वह इसका आदी हो जाता है इसलिए मैं नशे को एक 'बीमारी' मानता हूं। अतः जिला बिलासपुर में एक नशा निवारण केंद्र खोलने बारे विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं इनकी बात से सहमत हूं कि चंडीगढ़, पंजाब से अगर मण्डी या कुल्लू-मनाली जाना हो तो जिला बिलासपुर बीच में पड़ता है क्योंकि ये सारे एक ही नेशनल हाई-वे पर पड़ते हैं। इसलिए जो लोग इस गलत धन्धे से जुड़े हुए हैं उनका आम तौर पर यही रूट होता है। हालांकि इसको निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि आजकल किसी भी काम को करने के नये-नये तरीके अपनाए जाते हैं और यह काम भी बड़े योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। मनाली की तरफ से आते हुए या बिलासपुर से मनाली की तरफ जाते हुए कई बार लोग नाके में पकड़े जाते हैं, तो मेरा मानना है कि माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसीलिए परसों मैंने अपनी बात बड़े विस्तार से कही थी।

14.12.2018/1135/TCV/YK/1

हिमाचल प्रदेश में कानून की दृष्टि से हम इसको और सख्त करने जा रहे हैं। आज एक बिल आ रहा है। इसका जो दूसरा पक्ष है, समाज में जागरूकता नीचे तक पहुंचाने के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। नशा हम सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरे पास बिलासपुर की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। लेकिन माननीय सदस्य के प्रश्न का जो भाव है, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में डिअडिक्शन और रिहैब्लिटेशन सेंटर खोलने पर हमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जिला बिलासपुर में भी यह काम करने की आवश्यकता है। वैसे हमारे जो जिला अस्पताल हैं, वहां इन सारी चीजों की व्यवस्था रहती है। लेकिन हम भी इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अडिक्शन हो गया है तो उसको बचना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए डिअडिक्शन

और रिहैब्लिटेशन करने की आवश्यकता है। ताकि वह अपने पूर्व समय की तरह जीवन-यापन कर सकें। इन दोनों चीजों पर फोक्स करने की आवश्यकता है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने उत्तर में कहा है कि हम उनकी किसी एजेंसी के माध्यम से मदद कर सकते हैं। इस दिशा में हमारी बातचीत भी चली हुई है। इसके साथ-साथ सरकारी स्तर पर भी रिहैब्लिटेशन सेंटर और डिअडिक्शन सेंटर को हिमाचल प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर खोलेंगे, जिसमें बिलासपुर का भी ध्यान रखा जाएगा। एक बात मैंने और कही है कि पुलिस प्रशासन को और ज्यादा सख्ती व स्ट्रैंथन करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में परसो ही जिक्र किया है कि पहले की तुलना में जो हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है, वहां हमने पुलिस की स्ट्रैंथ में बढ़ोतरी की है। इसके साथ-साथ पंजाब और दूसरों प्रदेशों से हिमाचल प्रदेश में यदि कोई ड्रग्ज को लेकर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब पुलिस के पास कोई इंफोर्मेशन है तो वह हिमाचल प्रदेश की पुलिस के साथ शेयर करने के लिए भी एक मैकेनिज्जम डेवेल्प किया जाएगा। वैसे तो इन इलाकों में पुलिस की माकूल व्यवस्था है। इसके अलावा यदि आने वाले समय में पुलिस की और ज्यादा आवश्यकता महसूस हुई तो भविष्य में इसके लिए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को और ज्यादा स्ट्रैंथन किया जाएगा। इस प्रकार से ये जो ड्रग्ज का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए हम सख्त-से-सख्त कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहता था।

अध्यक्षः वैसे तो विस्तार से जवाब आ गया है फिर भी माननीय सदस्य श्री सुख राम जी आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री सुख राम चौधरी (पांवटा साहिब)ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो नशामुक्ति केन्द्र हैं, उनमें ऐसे कितने युवक उपचाराधीन है? इसके साथ ही जो नशामुक्ति सेंटर प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, उनमें इस प्रकार के युवकों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। क्या सरकार समय-समय पर वहां अपना काउंसलर भेजती है और हिमाचल प्रदेश में इस समय कितने

काउंसलर नियुक्त है? क्या 100 बैड वाले हॉस्पिटल में एक 10 बैड के ब्लॉक का नशामुक्ति केन्द्र बनाएंगे ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो सकें।

14/12/2018/1140/NS/AG/1

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सरकार इन सारे विषयों को ले करके खास तौर पर ड्रग्ज़ के विषय से संबंधित जितने भी व्यक्ति प्रभावित हैं, गंभीर है। अगर इनको परिवार का सहयोग मिलता है और समय पर अस्पताल में आ जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहता हूं कि जिले में जो रीज़नल अस्पताल हैं, वहां पर परामर्श केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहां पर क्लिनिकल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लिनिकल, मनोवैज्ञानिक सप्ताह में दो बार स्कूलों में जा करके बच्चों को नशे के कुप्रभाव के प्रति जागरूक करते हैं। हो सकता है कि सब जगह ऐसा संभव न हो। लेकिन सरकार की ओर से प्रयत्न हो रहे हैं। 104 हैल्पलाइन के द्वारा भी नशा निवारण के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 160 टीमें कार्यरत हैं, जो स्कूलों में जा करके नशा ग्रस्त छात्रों का भी पता लगाते हैं। निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रत्येक जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मादक पदार्थों के आदी लोगों के ईलाज व परामर्श करने के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, रेड क्रोस सोसायटी के माध्यम से रिहैब्लिटेशन सेंटर में इसके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। रेड क्रोस सोसायटी के माध्यम से मण्डी, चंबा, सिरमौर और हमीरपुर में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय अनुदान सहायता के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार करके प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भेजने का निर्णय लिया गया है। मानसिक चिकित्सालय, शिमला में पुनर्वास केंद्र तैयार करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इन सारे विषयों को ले करके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नूरपुर, भुंतर, शिमला एवं धर्मशाला में पुर्नवास केंद्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का मामला केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य की

भी यह बात ठीक है और हम इस बात से सहमत हैं कि अभी सरकार को इसमें अत्याधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत सारी एन0जी0ओज़0 का आपने यहां पर ज़िक्र किया है और बहुत सारी एन0जी0ओज़0 रिहैब्लिटेशन सेंटर संचालित कर रही हैं। जैसा यहां पर कहा गया कि बीच-बीच में डॉक्टर वहां पर काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है। इसमें फोकस किया जाना चाहिए। हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं कि अगर इस क्षेत्र में प्रयास हो रहे हैं तो ठीक है अगर नहीं हो रहे हैं, तब भी ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कुछेक स्थानों पर डि-अडिक्शन सेंटर और रिहैब्लिटेशन सेंटर बिल्कुल पूरी सुविधा के साथ होन चाहिए और वहां पर काउंसलिंग करने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा वहां पर डाक्टर्ज़ और पैरा मेडिकल स्टॉफ की टीम भी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अगर लोग इस नशे के चंगुल में आ गए हैं और इसके दलदल में फंस गए हैं तो उनको इस लत से वापिस लाना हमारा उद्देश्य है ताकि वे अपनी अच्छी जिंदगी फिर से जी सकें। यहां पर जो हमने एक कैंपेन का ज़िक्र किया है, वह इसी का हिस्सा है। आने वाले समय में सरकार इसको और ज्यादा स्ट्रैंथन करने की कोशिश करेगी। वर्तमान में भी इसके लिए प्रयास जारी हैं। लेकिन इसके बावजूद आज की परिस्थितियों को देख करके हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें और प्रयास करने की आवश्यकता है।

अध्यक्षः माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आप अपना प्रश्न पूछें।

14.12.2018/1145/RKS/AG-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु(नदौन)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'क' भाग में यह प्रश्न पूछा गया था कि प्रदेश में कितने प्रतिशत युवा ड्रग्स का सेवन करते हैं? ड्रग्स एक गंभीर समस्या है और जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि इसके निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन आपने कई बार यह भी बयान दिया कि लगभग 28 प्रतिशत युवा नशे का सेवन करते हैं । जब एक मुख्य मंत्री द्वारा समाज में इस तरह का बयान दिया जाता है तो वह भय का माहौल पैदा करता है। मीडिया भी यही लिखता है कि हिमाचल प्रदेश के 28 प्रतिशत युवा नशे के आदि हो चुके हैं परंतु जो विधान सभा में आंकड़े आए हैं उनमें यह

लिखा है कि इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यदि हिमाचल प्रदेश में नशे से ग्रस्ति युवाओं का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है तो 28 प्रतिशत का बयान किस आधार पर दिया गया?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों का जिक्र करना ठीक बात है लेकिन क्या हम इसी आंकड़े को मानकर चलें कि नशे के कारण पिछले 3 वर्षों में 3 बच्चों की मृत्यु हुई है? यह आंकड़ा हमारी सरकारी स्थापित व्यवस्था के अनुसार आया है। यदि हम इस आंकड़े को मानकर चले तो न हमें अभियान की जरूरत है, न डी-अडिक्शन सैंटर्ज, न रीहैब्लिटेशन्ज सैंटर्ज और न ही इस पर चर्चा करने तथा बिल लाने की आवश्यकता है। हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं। हम और आप समाज में क्या देख रहे हैं और देखने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? आंकड़ों को असैस करना बहुत कठिन है। मौटे-तौर पर इस तरह का आंकड़ा हमें बताया जाता है लेकिन यह आंकड़ा किसी एजेंसी के माध्यम से स्थापित नहीं है। जब हम यहां चर्चा कर रहे थे तो एक बात सामने आई कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु ड्रग्स के कारण हुई। इसका सही आंकड़ा क्या होगा यह पता लगाना कठिन काम है। हम यह मानते हैं कि इसकी वस्तुस्थिति हमारे सामने है। भले ही किसी एजेंसी या सरकारी असैसमैंट के माध्यम से हम आंकड़ा निश्चित नहीं कर पाए लेकिन समाज में ड्रग्स का प्रचलन बहुत बढ़ा है जोकि हमारे लिए चिंता का विषय है। जिस बात को आप जाहिर कर रहे हैं, उस भाव में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक गंभीर चुनौती है और इस पर हम सब को मिलकर काम करना चाहिए। ड्रग्स का प्रचलन देश व दुनिया से पूरी तरह खत्म हो और इसकी शुरूआत हम हिमाचल प्रदेश से करें। मुझे लगता है हमें इस चीज की ज्यादा आवश्यकता है।

प्रश्न संख्याः 1039

श्रीमती रीता देवी (इन्दौरा)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है वह यह है कि M/s Partap Wire, M/s TCM Wiire, M/s Himachal Wire और M/s R.K. Steel के नजदीक आई.पी.एच. विभाग का कोई भी हैंडपम्प स्थापित नहीं है। गांव सूरजपुर, मोहटली व डमटाल में विभाग द्वारा Bore Wells लगाए गए हैं जिनकी गहराई 200-240 फिट के बीच में है, जिनमें तेजाब का अभी तक कोई भी प्रभाव नहीं है। लेकिन

कुछ कम गहराई वाले प्राइवेट Bore Wells लगे हैं जिनका पानी क्षारीय है। यानी विभाग मानता है कि जो कम गहराई वाले हैंडपम्प हैं उनका पानी दूषित है।

14.14.2018/1150/बी.एस./डी.सी./-1

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में जो 200-250 गहराई वाले हैंड पंप्स हैं उनका पानी दुषित नहीं होगा? बोर **वै**ल निजी हैं या सरकारी, उनका पानी पीने वाले आदमी ही हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र की तीन पंचायते ऐसी हैं जिनमें इस तरह के पानी की समस्या है। तीन पंचायतों में 8000 हजार लोग रहते हैं। अगर कल को उन्हें दुषित पानी के कारण कोई बीमारी लग जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहती हूं कि इस पानी की फिर निजी तौर पर से जांच करवाई जाए और यह भी पता लगाया जाए कि कितनी गहराई तक तेजाब भूमि के अंदर चला गया है?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्न माननीय सदस्या ने पूछा है कि इंदौरा क्षेत्र के अंतर्गत जो फैक्टरियां स्थापित हुई हैं वह चाहे M/s Partap Wire, M/s TCM Wire, M/s Himachal Wire and M/s R.K Steel और इसके साथ-साथ कुछ और भी फैक्टरियों का जिक्र माननीय सदस्या ने किया। वहां जो टैंक्स हैं यह कहा गया कि उनमें रिसाव हो रहा है और रिवास होने के कारण वहां आस-पड़ोस के जो हैंड पंप्स हैं उनमें पानी खराब आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी उन टैकों को चैक किया गया परंतु अभी तक वहां पर किसी भी टैंक में लिकेज नहीं पाई गई है। दूसरा पानी के सैंपल भी वहां से लिए गए हैं और उनके नजदीक से लिए गए हैं। जैसा माननीय सदस्या ने बताया कि 200-250 फिट का जिक्र किया । मैं यह बता देना चाहता हूं कि इ.टी.पी. की एफिलेंट से 5.12.2018 को सैंपल लिए गए थे। यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कुछ ही दिन पहले लिए गए हैं। उनकी रिर्पोट अभी कुछ दिन पहले ही आई है । उस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी बात ऐसी नहीं आई कि वह लिमिट से बाहर हो, या मनुष्य को

कोई हानि पहुंचाने वाला पदार्थ उसमें पाया गया हो। इसमें जैसा माननीय सदस्या ने पानी की प्रदुषित होने की बात कही है उस तरह की कोई बात नहीं आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैंने विभाग को आदेश दिए हैं कि आस-पास के जो पानी के स्त्रोत हैं उनकी जांच फिर से 6 महीने की बजाये इनकी जांच 3 महीने के अंदर की जाए। नियमों में ऐसा है कि जहां पर फैक्ट्रीज लगी होती हैं वहां यह तय किया जाता है कि वहां पर 6 महीने के अंतराल में पानी की जांच हो । परंतु मैंने इसकी जांच जल्दी करवाने के आदेश दिए हैं। ताकि इन्श्योर किया जा सके है कि पीने के पानी में कोई इस प्रकार की हानिकारक चीज नहीं है जिससे जीवन को नुकसान हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अन्य भी जिन-जिन बातों का जिक्र किया है हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे, जैसे इन्होंने जांच की बात कही है प्रश्न से पहले ही वहां टीम दौरा करके आई है। फिर भी उसके बावजूद मैं दोबारा एक टीम को वहां भेजने के आदेश करूंगा ताकि वह इस संबंध पूरी जांच करके रिपोर्ट प्राप्त हो सके। इस प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए कि जिस पानी को हम पी रहे हैं वह स्वच्छ नहीं है, हमारी फसल के लिए वह पानी नुकसानदायक तो नहीं है या जो पशु उसे पी रहे हैं उनके लिए नुकसानदायक तो नहीं है। उसके साथ-साथ जो घास वहां उग रही है और पशुओं को दी जाती है उसमें उसका असर तो नहीं है।

14/12/2018/1155/RG/DC/1

जिस घास को हम पशुओं को चारे के रूप में देते हैं उनके लिए नुकसानदायक तो नहीं है। **इन सारी चीजों के मद्देनज़र हम एक बार दुबारा वहां टीम भेजेंगे ताकि लोगों के ज़हन में जो बात है कि यह पानी ज़हरीला या नुकसानदायक हो सकता है, इस बात को उनके दिमाग से निकाला जा सके। मैं यही कहना चाहता हूं।**

श्रीमती रीता देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहती हूं कि कब तक इसकी जांच करवाई जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इसी महीने वहां टीम भेज देंगे और अगले महीने उनकी रिपोर्ट आएगी जिस बारे में माननीय विधायक महोदया को सूचित कर देंगे ताकि इनकी यह चिन्ता दूर हो जाए।

प्रश्न सं. 1040

डॉ.(कर्नल)धनी राम शांडिल : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आंशिक रूप से तथ्यपूर्ण और ठीक भी है। परन्तु केवल सब-डिवीजन कण्डाघाट के तहत मुआवज़े के लिए इसमें बताया गया है और कुछ अन्य राशि लगभग 35-36 लाख रुपये की दी है। मुझे आपका भी धन्यवाद करना है और आपका आभार व्यक्त करना है, आप स्वयं उस स्थान पर गए हैं जहां चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी जिनमें दो बच्चे थे, एक महिला और एक पुरुष थे। वहां 16,00,000/-रुपये का ठीक मुआवज़ा दे दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यही प्रश्न है कि इस पूरे मुआवज़े को थोड़ा रिवाइज किया जाए और एक बार सर्वे और करा दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के जो छूटे हुए मामले हैं, वे भी कवर हो जाएंगे? मेरी यही प्रार्थना है।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो माननीय सदस्य के प्रश्न का हमने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। इस बार बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यह बात भी सच है कि आपके सब-डिवीजन कण्डाघाट में चार लोगों की मृत्यु हुई है और व्यक्तिगत रूप से वहां गए हैं। चारों परिवारों को राहत के रूप में जो राशि देनी थी, वह 16,00,000/-रुपये दे दी है। वहां जो डैमेजेज़ हुए थे, वह अमाउन्ट ज्यादा है। हम इस बात से सहमत हैं कि वहां नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमने वहां लगभग 9,19,290/-रुपये प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा हम इस बात से भी सहमत हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन नुकसान ज्यादा होने के बाद भी हम उतना पैसा नहीं दे पाते। जहां कोई मृत्यु होती है तो उसके लिए पैसा निर्धारित है और उसको उसी के अनुसार दिया जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ जो प्राईवेट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, उसके लिए प्रावधान ही ऐसा है कि वह शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद आपने जिस प्रकार

से बताया कि वहां कुछ और मदद करने की आवश्यकता है या नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हिमाचल प्रदेश में इस बरसात के कारण हुए नुकसान का जायज़ा लेने के लिए एक टीम आई थी। उन्होंने यहां विजिट किया और असेसमेंट किया। हमने पूरे प्रदेश के लिए लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में नुकसान का जिक्र करके लगभग 19 सौ करोड़ रुपये उनसे मांगा है।

14/12/2018/1200/MS/HK/1

और उसके बाद दूसरे विभागों का भी नुकसान मिलाकर हमने कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही केन्द्र से राशि स्वीकृत होती है, उससे कुछ राहत मिलेगी। वैसे यह बात भी सच है कि जितने नुकसान की हम यहां से रिपोर्ट देते हैं, उतना पैसा वहां से नहीं मिलता है। वहां से हमें थोड़ा पैसा मिलता है लेकिन उसके बावजूद जो बाकी का नुकसान हुआ है यानी हमारी जितनी भी सरकारी और गैर-सरकारी व्यवस्थाओं को वहां पर बरसात के कारण नुकसान पहुंचा है, उसमें जो मदद और की जा सकती है या जो गुंजाइश होगी, उसको सुनिश्चित करेंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे।

अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं जोकि इस प्रकार हैंः-

i. समिति के 259वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 92वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति के 191वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 324वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;

iii. समिति के 173वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 238वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि योजना विभाग से सम्बन्धित है; और

iv. समिति के 124वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित

अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन(आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के ऑडिट पैरा संख्याः 3.11 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2018-19), समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2018-19), समिति का 9वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री राकेश जम्वालः माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के सात प्रदूषित शहरों में सुन्दरनगर के शामिल होने पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, एन0जी0टी0 द्वारा देश के लगभग 102 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी सात शहर शामिल हैं। उन शहरों में पौंटा-साहिब, बद्दी, कालाअंब, परवाणु, नालागढ़, डमटाल और सुन्दर नगर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में देश की जनसंख्या का मात्र 0.57 परसेंट जनमानस निवास करता है और इतनी कम जनसंख्या वाले प्रदेश में प्रदूषण का बढ़ना बहुत चिन्ताजनक है। हमारा प्रदेश जो हिमालय के आंचल में बसा हुआ है और प्राकृतिक सम्पदा से समृद्ध है, आज बेहाल हो गया है। देश के बड़े राज्य जिनमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान हैं, आज हमसे बेहतर स्थिति में हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा प्रदेश में 12 स्थानों पर 25 प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

14.12.2018/1205/जेके/एचके/1

जिसमें सुन्दरनगर में भी दो जगह पर ये जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक नगर परिषद के ऑफिस में और दूसरा पॉल्यूशन बोर्ड की जो रीज़नल लेबोरेट्री है वहां पर स्थापित किया गया है। वर्ष 2011 से 2015 के बीच के सैम्पल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लिए गए। हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड और आई0आई0टी0, रामपुर द्वारा इसका अध्ययन किया गया। उसी के पश्चात् हिमाचल प्रदेश के ये सात शहर अधिक प्रदुषित शहरों में इनका नाम आया। अन्य छः शहर जो हिमाचल प्रदेश में हैं उनमें स्वाभाविक तौर पर

इण्स्ट्रीज़ हैं, जिसके कारण वहां पर प्रदूषण बढ़ा होगा लेकिन मेरी चिन्ता सुन्दरनगर को लेकर है। वहां पर कोई इण्डस्ट्री नहीं है। उसके बावजूद भी एक सुन्दर शहर हिमाचल प्रदेश के केन्द्र में बसा हुआ है और वह भी उन प्रदुषित शहरों की सूची में आ गया। इसके पीछे कारण क्या हैं, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि सुन्दरनगर में बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या और कच्ची सड़कें हैं? मेरा मानना यह है कि कच्ची सड़कों के कारण जो सड़क के दोनों तरफ कच्ची सड़कें होती हैं जिसको वर्न कहते हैं उसके कारण जब ट्रेफिक ज्यादा होता है और जब गाड़ियां कच्ची सड़क पर उतरती हैं तो स्वाभाविक तौर पर उससे धूल उड़ती है जिसके कारण भी प्रदूषण बढ़ता है। उसके साथ-साथ जब टूरिस्ट दिल्ली से चण्डीगढ़ और बिलासपुर से होता हुआ सुन्दरनगर हो करके मनाली जाता है, उससे हमारा सुन्दरनगर शहर प्रदुषित हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हमको कदम उठाने होंगे। यदि हमने यह कदम नहीं उठाए तो हम लोगों से आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि यह जो सुन्दरनगर में प्रदूषण बढ़ा उसके तुरन्त बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक PAPA अभियान की लाँचिंग की यानि Pollution Abating Plant Abhiyan, जिसके अन्तर्गत पूरे प्रदेश के प्रदुषित शहरों में पौधे लगाए जाएंगे लेकिन उसके साथ-साथ मेरी चिन्ता यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि सात शहर जिनमें इण्डस्ट्रियल एरियाज़ हैं और सुन्दरनगर भी उस सूची में शामिल हुआ है। मैं, मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह सुन्दरनगर जिसका नाम भी सुन्दरनगर है और वाकई में वह सुन्दर है। धीरे-धीरे एक एजुकेशन हब बनने की ओर बढ़ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि सुन्दरनगर प्रदुषित शहरों की सूची में कैसे आया, उसके लिए भी पुनः अध्ययन किया जाए? अगर वाकई वह प्रदुषित शहरों की सूची में है तो उस प्रदूषण को ठीक करने के लिए उचित रोकथाम हेतु कदम उठाए जाएं, ऐसा मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, नियम-62 की इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी ने जिला मण्डी के सुन्दरनगर क्षेत्र में प्रदूषण के सन्दर्भ में चिन्ता जाहिर की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि बढ़ता प्रदूषण हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है, चाहे हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग हैं। हालांकि बाकी प्रदेशों की तुलना में अभी भी हम इस बात को कह सकते हैं कि हम स्वर्ग में हैं लेकिन ऐसी स्वर्ग जैसे परिस्थिति भी नहीं रही है। बहुत सारे शहरों की स्थिति तो बहुत खराब है।

14.12.2018/1210/SS-YK/1

जिसके कारण पूरे देश व विश्व के पर्यावरण पर व्यापक असर पड़ रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति न हो, अगर परिस्थिति हो भी जाए तो हम समय रहते सजग हो जाएं और सजग होकर आने वाले समय में किस प्रकार से कदम उठा सकते हैं मुझे लगता है कि यह हम सब के लिए सोचने का विषय हो सकता है। सुन्दरनगर सचमुच में सुन्दर है। हम भी इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सुन्दरनगर में भी पर्यावरण खराब है। मानकों के हिसाब से वह चिन्ता का विषय है। पूरे प्रदेश भर में हम सब देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग सुन्दरनगर को अपना निवास स्थान बनाने के लिए इच्छुक रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछेक स्थान हैं जहां पर प्राकृतिक सुन्दरता, कनैक्टिविटी और उसके साथ-साथ में वहां बहुत सारी चीज़ें बेहतर ढंग से हैं। हिमाचल प्रदेश के अच्छे स्थानों में सुन्दरनगर भी आता है। स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की रिपोर्ट आए तो वहां के जन-प्रतिनिधि होने के नाते विधायक की चिन्ता स्वाभाविक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को वस्तुस्थिति के बारे में अवगत करवाना चाहता हूंः-

- हिमाचल में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इन सभी अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखना और इसमें सुधार लाना है।
- बढ़ते हुए शहरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं अन्य स्त्रोतों से हो रहे वायु प्रदूषण के मूल्यांकन के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा 12 विभिन्न स्थानों क्रमशः बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, धर्मशाला, डमटाल, पांवटा साहिब, कालाअम्ब, सुंदरनगर, शिमला, ऊना, मनाली-रोहतांग में 25 जांच केन्द्रों पर परिवेश वायु गुणवत्ता की निरंतर जांच की जा रही है। इन जांच केन्द्रों द्वारा वातावरण में सामान्यतः पाए जाने वाले वायु प्रदूषक जैसे कि धूल-कण पी0एम0_{10}, पी0एम0_{25} और सल्फर डाईऑक्साइड, एस0ओ0_2 नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, ओज़ोन, अमोनिया जैसी गैसों की निरंतर जांच की जा रही है। इसकी जानकारी आम जन-मानस को 12 विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से प्रचारित की जा रही है।
- जांच केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों में पाया गया है कि प्रदेश में केवल एकमात्र प्रदूषक Particulate Matter, जिसको हम पी0एम0_{10} बोलते हैं जोकि वातावरण में 10 माइक्रोन से कम आकार के धूल-कणों की मात्रा को दर्शाता है, का वार्षिक घनत्व सुंदरनगर के साथ-साथ 6 अन्य शहरों, कस्बों क्रमशः बद्दी, नालागढ़, डमटाल, कालाअम्ब, परवाणु व पांवटा साहिब में भी निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया है। शेष अन्य स्थानों पर वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा पाया गया है और सभी प्रदूषकों का घनत्व वातावरण में तय सीमा से कहीं कम पाया गया है।
- इस एकमात्र प्रदूषक पी0एम0_{10} की वार्षिक मात्रा वर्ष 2011 के उपरांत निर्धारित सीमा जो कि 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है, से अधिक होने के कारण केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुन्दरनगर और प्रदेश के अन्य उपरोक्त शहरों को non-attainment शहरों/कस्बों में वर्गीकृत किया गया है।

- सुन्दरनगर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु गुणवत्ता जांच के लिए दो जांच केन्द्र क्रमशः एम0सी0 कार्यालय सुन्दरनगर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय प्रयोगशाला सुन्दरनगर में स्थापित किये गए हैं।
- सुन्दरनगर में स्थापित उपरोक्त जांच केन्द्रों द्वारा मापी गई वायु गुणवत्ता में पी0एम0_{10} की मात्रा में निरन्तर सुधार पाया गया है, जिसकी वार्षिक दर वर्ष 2011 में 105.6 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर थी, जो कम हो करके वर्तमान में 79 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गई है।

14-12-2018/1215/KS/YK/1

यह अच्छा सूचक है। इसके साथ-साथ इस प्रदूषक की अधिक गहनता से जांच के लिए राज्य बोर्ड द्वारा अप्रैल, 2018 से पी.एम. 25 को वातावरण में 2.5 माइक्रोन से कम आकार के धूल कणों की मात्रा को दर्शाता है। इसका वार्षिक घनत्व सुन्दरनगर में तय सीमा के भीतर पाया गया है ये छोटे आकार के धूल कण स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही, हम इनसे सहमत हैं कि शहर में बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन बढ़ी है। साथ ही हमारी ट्रैफिक भी बढ़ी है। लोगों के पास आने-जाने के साधन हो गए, लोगों ने ज्यादा गाड़ियां खरीदी है जिससे प्रदूषण तो बढ़ता ही है। क्योंकि सुन्दरनगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जबकि दूसरे कस्बों का जो इसमें जिक्र किया गया है, वहां चिंता का विषय है और वहां उसको रोकना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं। चाहे बद्दी है, नालागढ़ है, काला अम्ब है । इसके साथ-साथ जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उन सभी स्थानों पर तो यह करना ही पड़ेगा। आने वाले समय में उसको कंट्रोल किया जा सकता है। विशेषतौर पर सुन्दरनगर का यहां पर ज़िक्र हुआ,

फिलहाल वहां पर इतनी भयावह परिस्थिति नहीं है जिस पर ज्यादा चिन्ता की जाए लेकिन फिर भी प्रदूषण न बढ़े इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि सुन्दरनगर सहित उपरोक्त सात शहरों/कस्बों जहां धूलकणों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण रोकथाम और हरित हिमालय के उद्देश्य से वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए एक पहल की गई है। वृक्षारोपण अभियान, जिसका जिक्र यहां पर किया गया और पोल्युशन अवेटिंग प्लांटेशन अभियान जिसका पापा के नाम से छोटा नाम रखा गया है और यह काफी प्रचारित और पॉपुलर नाम है । यह योजना भी पॉपुलर योजना बनती जा रही है जो पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से शुरू की गई है उसके लिए मैं विभाग को बधाई देता हूं । इसे 5 जून को हमने शुरू किया था। यह अभियान एक नवीन पहल है जिसमें राज्य बोर्ड द्वारा 27 प्रजातियों के 1,60,995 बाह्य पौधे तथा 18 प्रजातियों के 1210 इन्डोर प्लांट्स का प्रावधान किया गया। यह बहुत अच्छी पहल है। इसके अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन सात शहरों/कस्बों के लिए विस्तृत एकीकृत वायु प्रदूषण रोकथाम कार्य योजना तैयार कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य बोर्ड द्वारा सुन्दरनगर में 6,434 विभिन्न प्रजातियों के वायुशोधक बाह्य पौधे रोपित किए गए हैं। आने वाले समय में सुन्दरनगर के साथ लगती पंचायतों को भी अभियान में जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा। इन प्रयासों से सुन्दरनगर की वायु गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। ये चिन्हित पौधे विशेष औषधीय गुणों के साथ-साथ वातावरण में भी अधिक ऑक्सिजन प्रदान करते हैं। इस विशेष पौधारोपण कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त राज्य बोर्ड द्वारा नगर परिषद सुन्दरनगर के अधीन चिन्हित 13 पार्कों में वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए पौधे लगाए जाएंगें और इनसे वायु गणवत्ता में सुधार की जांच भी की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि सारी चीजें सरकार या विभाग करें यह सम्भव नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए समाज को भी आगे आने की आवश्यकता है और एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते माननीय सदस्य बहुत सक्रियता से इसमें भाग लेते हैं,

14.12.2018/1220/av/ag/1

भाग लेते हैं। ज्यादा मजबूती दें ताकि आने वाले समय में वहां पर इस प्रदूषण के कारण हो रही चिन्ता को रोका जा सके और इससे बाहर आ सके। मैं माननीय सदस्य को यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय कृषि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। इस संदर्भ में माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी का भी नोटिस है इसलिए आप भी इस बारे में अपनी बात कह सकेंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को पंजाब केसरी समाचार पत्र में प्रकाशित 'वन अधिकार कानून के लिए गरजे किसान' नामक शीर्षक से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय से एक और विषय जुड़ा है जिसको मैं यहां मान्य सदन में रखकर ही आगे अपनी बात कह सकता हूं। मैं बड़े दुःखी मन से कह रहा हूं कि यह एक ही बार तय करना पड़ेगा कि हमने जो व्यवस्था कायम की है यह किसी की इच्छा शक्ति से कायम नहीं हुई है। यह राष्ट्र मुक्ति आंदोलन की देन थी कि हमारे पार्लियामैंट्री सिस्टम में सर्वोच्च स्थान किस को दिया जाए। यह विधान मण्डल को दें या ब्युरोक्रेसी व ऐग्जैक्टिव को दें; इस बात को सैटल करने की जरुरत है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र मुक्ति आंदोलन के दौरान जो कुर्बानियां हुई हैं वह इस मत से हुई है कि आजाद भारत में जनता का वर्चस्व चलेगा और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्लियामैंट और विधान सभा

में भेजेंगी। इसीलिए जो कानून विधान सभा या पार्लियामैंट में बनेगा उसको लागू करने की जिम्मेवारी ऐग्जैक्टिव की होगी। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कानून बनने के बावजूद आज भी ऐग्जैक्टिव लेजिस्लेचर को डायरैक्शन देता है जो कि यहां भी प्रकट हो रहा है और काफी समय से प्रकट हो रहा है। इसलिए इस प्रस्ताव को मैं इस मान्य सदन में पेश कर रहा हूं और जो इससे उत्पन्न स्थिति है उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, जो ग्रहण लग रहे हैं और उनके कारण जो किसान पीड़ित हैं उनको आप कुछ कनसैशन दे पायें, वैसे कनसैशन कोई नहीं है। उस किसान के कुछ कानूनी अधिकारी बनते हैं। इस विषय में मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन दिन पहले कांगड़ा के अलग-अलग हिस्से से किसान यहां पर आए। उन्होंने प्रोटैस्ट किया और अपना दुःख प्रकट करने के बाद वे विधान सभा के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले। सम्भव है, मुख्य मंत्री महोदय ने उनको संतुष्ट किया होगा। लेकिन बात यह है कि हमने अपने देश में वर्ष 2006 की पार्लियामैंट में एक विषय उठाया था जिसको मोटे तौर पर 'फोरैस्ट राइट्स ऐक्ट' के तौर पर जाना जाता है। वास्तव में कानून का नाम "The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006" है जिसको हमने वर्ष 2008 में ऑपरेशनल किया। हम हिमाचल प्रदेश के फोरैस्ट ड्वैल्र्ज हैं। अगर हम फोरैस्ट ड्वैल्र्ज नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि देश में किसी को भी फोरैस्ट ड्वैल्र्ज नहीं माना जा सकता। हमारे प्रदेश का अधिकतर हिस्सा यानी जो इसकी भौगोलिक परिस्थिति है उसमें 55000 किलोमीटर में से 67 प्रतिशत फोरैस्ट लैंड है और 27 प्रतिशत जंगल है इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता को फोरैस्ट ड्वैल्र्ज मानकर चलना चाहिए

14.12.2018/1225/TCV/AG/1

और इस कानून में उसके अधिकार है, इस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी हमारी और सत्ता पक्ष की बनती है, । लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से यह कानून बना है, पूरे देश में हमारा रिकॉर्ड हर बातों में सबसे ऊपर होता है परन्तु इस मामले में हमारा रिकॉर्ड सबसे नीचे है। इसमें तथ्य यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब इस

कानून के तहत क्लेम फाइल किए गए, जिसके तहत हमारे राइट्स आने थे, जिसके तहत जमीन पर हम खेती कर रहे हैं और जिस जमीन पर ट्राइब्ल एरिया लाहौल, किन्नौर और भरमौर का जो एरिया है, जहां पर एक पीढ़ी 25 सालों रह रही है, वह जमीन उसकी हो जानी चाहिए। लेकिन वर्ष 1980 में लाहौल-स्पिति में ग्लेशियर आ गया और उस ग्लेशियर से पूरा गांव तबाह हो गया। इसमें 27 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद उस गांव के लोगों के बिजली-पानी के कनैक्शन काट दिए गए थे। ये सब हाईकोर्ट के कहने पर हुआ क्योंकि यह कहा गया कि उन्होंने सरकारी जमीन पर इंक्रोचमैंट की है। ये कहां का न्याय है। आज चाहे किन्नौर, लाहौल-स्पिति या भरमौर है, वहां पर जो किसान रह रहा है, उसकी जमीन उसकी बन जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टिव नहीं चाहता है, इसलिए हम भी उन्हीं की भाषा बोलकर मोहर लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आखिरी आदमी हूंगा जो इनकी बातों पर मोहर नहीं लगाउंगा। मैं मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि मैं यहां पर सदन में खड़ा हुआ हूं तो मैं इस बात के लिए खड़ा हुआ हूं कि यह जो कानून बना है, ये कानून पूरी तरह से प्रदेश में लागू होना चाहिए। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून के तहत तीन अधिकार आते हैं, जिनमें डेवेल्पमेंटल राइट्स, कम्युनिटी राइट्स और इंडविज्वल राइट्स आता है। हमने डेवेल्पमेंटल राइट्स तो मान लिए है। ये जो 13 अधिकार 1980 के वन संरक्षण कानून में हैं, जिन्होंने इन पर सारी बातों पर ग्रहण लगा दिया था और सबको जंगल मान लिया था। आप सड़क नहीं निकाल सकते थे, चलने के लिए यदि कोई निकल जाता था तो वन विभाग थानेदार बनकर खड़ा हो जाता था कि आप कैसे यहां पर घुस गए? यदि घास-पत्तियां काटते थे तो मुकद्दमा चलाया जाता था। परन्तु वन विभाग कानून के 13 अधिकार तो हमने बहाल कर दिए हैं। लेकिन जो कम्युनिटी और इंडविज्वल राइट्स थे, उनको हमने नहीं किया। ये जो गांव में वन संरक्षण समिति बनाई जाती है, ये किस लिए बनाई जाती है? ये जो एस0डी0एम0 और जिला स्तर पर कमेटियां बनाई जाती है ये किस लिए बनाई जाती है? ये इन राइट्स को बहाल करने के लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि नई सरकार आई है और माननीय मुख्य मंत्री जी के दिल में गरीबों के प्रति सहानुभूति रहती है। अभी जो प्रश्न माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा ने उठाया था, उसमें जो एन0डी0पी0एस0 के प्रश्न का जवाब दिया गया, वह पॉल्टिकल जवाब नहीं था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब था। यही मुझे परेशानी है। इसलिए पॉल्टिक्स over executive actions prevail करनी चाहिए और वह कानून इसके लिए बना है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी हमारे पास समय है कि हमारे बहुत से अधिकार कोंट्रवर्शियल जरूर हैं। लेकिन क्या हम जनता को अधिकारों से वंचित कर सकते हैं? जहां पर हम सैंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं, वहां पर लोगों को जमीनें दी हैं और अभी तक इन जमीनों के इंतकाल नहीं हुए हैं। माननीय कृषि मंत्री महोदय, आज भी हिमाचल प्रदेश में 44,000 केस ऐसे हैं, जहां पर वर्ष 1980 से पहले भूमि दे दी गई है और नज़राना की पर्चियां उनके पास हैं, प्रूफ है कि जो भी उस समय मांगा गया था, उस कानून के तहत, नौतोड़ के तहत जो फीस जमा होनी थी, वह कर दी गई है। दुर्भाग्यवश अक्तूबर, 2018 तक कोई इंतकाल नहीं हो पाए। किसान उस जमीन पर है और आप कैसे कहेंगे कि आप जंगल में बस गए हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार के समय और आपकी सरकार के समय बहुत सारे ऐसे लोग जो उस भूमि पर बैठे हैं, आप उनको बेदखल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी सरकार सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, अगर वह भूमि बसी है और वर्ष 1980 से पहले वहां लोग बसे हुए हैं और उनके पास इसके कागज हैं तथा इंतकाल नहीं हुआ है तो हम उसको कैसे बेदखल कर देंगे। आप मुझे बताएं। आप वहां पर विश्वविद्यालय बनाईए। लेकिन आपको उसे इसके बदले में दूसरी जगह देनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। माननीय कृषि मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने केसिज़ हैं, जहां पर विधवा है और कई जगहों पर पति ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है तथा वह अपने माता-पिता के घर में रहती है। उस समय कहा गया था कि दो या तीन बिस्वा जमीन देंगे। आप यह बताईए कि कितनी जमीनें दे दी गई, पिछली सरकार और नई सरकार ने कितनी जमीनें दे दीं। आप कहां से जमीन देंगे? जब तक आप इस कानून पर अमल नहीं करेंगे, तब तक आप जमीन नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि आप इस कानून को लागू करें। आप जब इस कानून को लागू करेंगे तो प्रदेश के गरीब किसानों को राहत दे पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो बिजली पानी का धंधा चला हुआ है, इसको भी बंद कर दो। क्योंकि अब माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया है और पहले भी जो procedure of Law था, उसको लागू करने की जरूरत थी। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया है। मैं माननीय उच्च न्यायालय को पूरा सम्मान देता हूं। लेकिन हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय कोई

भगवान नहीं है, देवता नहीं है और इसके फरमान को कैसे माना जाएगा। इस देश के अंदर procedure which is laid down under the Law is to be followed, अब इन्होंने कह दिया कि आप बिजली और पानी नहीं काट सकते हैं क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। पहले यह प्रूव करो कि आप गलत बैठे हैं, तब आपकी बिजली और पानी भी कटेगा तथा आपको बेदखल भी किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी मंशा यही थी कि आज जो हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में किसान पीड़ित है और किस बात के लिए पीड़ित है? क्योंकि फोरेस्ट राईट एक्ट, 2006 के कानून को आंशिक रूप से लागू किया जा रहा है, उसको पूर्ण रूप से लागू करें। पूर्ण रूप से लागू करने का मेरा मतलब क्या है कि जो हमारे कम्यूनिटी और इंडिविजुअल अधिकार हैं, इनको बहाल किया जाए, लागू किया जाए। इसके बाद अगर बेदखली होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्री महोदय, यहां जितना भी ग्रहण लगा है, यदि आप इस ग्रहण को हटा देंगे तो हिमाचल प्रदेश में गरीब किसान को राहत मिलेगी।

अध्यक्षः अब माननीय आशीष बुटेल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री आशीष बुटेल (पालमपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बोलने का मौका दिया है। इस सत्र का जो दूसरा दिन यानि 11 दिसम्बर, 2018 को जोरावर स्टेडियम में बहुत से किसान आए, जिनके अधिकार अभी तक उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं और

14.12.2018/1235/RKS/DC-1

Forest Rights Act बनने के बावजूद भी उन लोगों को अपने राइट्स अभी तक नहीं मिले हैं, चाहे वे Individual rights हो या community rights हो। उनके यहां आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे इस मामले पर हम सब से बात करें और माननीय मुख्य मंत्री जी से मिल कर अपनी बात उनके सामने रखें। इस पर आगे क्या होगा यह वर्तमान सरकार तय करेगी लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में एक मौका आया था जब यह फोरैस्ट एक्ट बने थे। इसमें चाहे एफ.सी.ए. हो, या Wild Life Protection Act हो, यह

इतने सख्त थे कि इनके अंतर्गत जो फोरैस्ट में लोग रहते थे या उनकी कम्यूनिटिज के राइट्स थे, वे तबाह होते जा रहे थे। उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे थे। यू.पी.ए. सरकार जो सरदार मनमोहन सिंह जी चलाते थे और उस समय प्रधान मंत्री थे, उन्होंने इस एक्ट को लाया। इस तरह वर्ष 2006 में फोरैस्ट राइट्स एक्ट यहां पर आया और वर्ष 2008 में यह एक्ट पूरे हिन्दूस्तान में लागू किया गया। जब वर्ष 2008 में यह एक्ट लागू किया गया तो बाकी राज्यों ने 'Other Traditional Forest Dwellers' के पूरे अधिकार उन्हें दिए परंतु यह दुःख की बात है कि हिमाचल प्रदेश में यह एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह एक्ट बना , I would like to quote the preamble of this Act which says "AND WHEREAS the forest rights on ancestral lands and their habitat were not adequately reorganized in the consolidation of State forests during the colonial period as well as in independent India resulting in historical injustice to the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who are integral to the very survival and sustainability of the forest ecosysyem". इस एक्ट के आने का उद्देश्यय यह था कि जो historical injustice हमारे लोगों के साथ हो रहा था उसको हटाया जाए। उन लोगों के साथ अंग्रेजो के समय से historical injustice हो रहा था। जो हम bio diversity conservation और ecological balance की बात करते हैं वह तब होनी थी और फोरैस्ट तब डिवैल्प होने थे, जब यह लोग वहां पर रहते और उनके राइट्स वहां पर उनको मिलते। दुर्भाग्यवश सैक्शन-3(1) जो कि individual and community rights प्रदान करता है, वे हिमाचल प्रदेश के लागों को नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जो सैक्शन-3(2) है, जिसके अंदर हम डिवैल्पमैंट राइट्स की बात करते हैं, वह यहां पर धड़ाधड़ बन रहे हैं। मैं भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोशिश करता हूं कि FRC के जरिए फोरैस्ट कनवर्जन के लिए केसिज भिजवा दूं। इसके अंतर्गत एक हैक्टेयर की भूमि कनवर्ट करवाने के लिए जिसमें 13 चीजें सैक्शन- 3 (2) में a to m दी गई हैं। इसके अंदर आप स्कूल, डिस्पैंसरीज, आंगनबाड़ी, रोड्स और कम्यूनिटी सैंटर्ज आदि बनवा सकते हैं। लेकिन एक आदमी जिसका यह राइट बनता है, हमारी सरकार

उसको यह राइट्स देने से मना करती है। जब 11 तारीख को लोगों ने ज़ोरावर स्टेडियम में धरना दिया तब से मैं कई ऑफिसर्ज और पोलिटिशियन्ज से बात कर रहा हूं और हर किसी ने एक ही बात कही कि यह बहुत टेढ़ी चीज है। इसको करना बहुत मुश्किल होगा। जब आपके सामने पार्लियामेंट ने एक एक्ट को लागू करके भेजा है तो उस एक्ट को लागू करना क्यों मुश्किल होगा? आज वहां पर जो 'Other Traditional Forest Dwellers' हैं उनको यह कहा गया है कि 13.12.2005 आपकी कट-ऑफ डेट है और उससे पहले उन्हें यह साबित करना होगा कि वे तीन जनरेशन्ज से वहां पर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं या उनकी वहां पर रिहाइस है तभी उनको यह राइट्स मिलेंगे। उन्हें जमीन नहीं मिलेगी बल्कि उनके राइट्स ही मिलेंगे तो इसको करने में सरकार को क्या दिक्कत है? महोदय, जो हम राइट्स की बात करते हैं, these are non saleable rights. यह ऐसे राइट्स नहीं है कि आज आपको अलॉट हुए और आपने इन्हें बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।

14.12.2018/1240/बी.एस./एच.के./-1

इस एक्ट में यह दिया गया है कि सिर्फ आप इन्हेरिट कर सकते हैं आप इन्हें बेच नहीं सकते। महोदय मैंने अपने चुनाव क्षेत्र पालमपुर के बारे में एक प्रश्न किया था कि पंचायत खलेट में रोड़ी नामक गांव हैं क्या वहां से किसी को इविक्ट किया गया? उसका उत्तर मुझे यह मिला कि किसी को इविक्ट नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर some families were evicted. आज भी वे लोग इतनी ठंड में त्रिपाल के नीचे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। अगर डलहौजी के 53 मामले हमारी पिछली सरकार ने अप्रूव किए हैं, उन्हें हमने राइट्स दिए, टाइटल्स दिए हैं तो बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश में यह राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं ? माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें । इसमें सरकार को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी एफ.आर.सी. आपकी ग्राम सभा बना रही है। एफ.आर.सी. से वह एस.एल.डी.सी. में जाएगा। एफ.एल.डी.सी. से डी.एल.सी. में जाएगा और डी.एल.सी. को अगर ठीक लगेगा और अगर जांच ठीक होगी तब उसका टाइटल और

राइट्स प्रदान होंगे। लेकिन महोदय, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सबने क्लेम्ज एप्लाई किए, क्लेम्ज बनें, एफ.आर.सी. से गए और वहां वह डी.एल.सी. तक नहीं पहुंच पाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि इस कार्य को समयबद्ध तरीके से किया जाए। ताकि हर एक एरिया में वह फाइल कितने समय तक रह सकती है, इसके लिए किसी की जिम्मेवारी फिक्स की जाए। ताकि जल्द-से-जल्द यह राइट्स लोगों को प्रदान किए जा सके। आपके ध्यान में एक और चीज लाना चाहूंगा, एफ. सी.ए. का एक कानून आ रहा है कि जो developmental works है उसमें एक पत्र पर्यावरण मंत्रालय से आया है उसमें यह लिखा गया है कि जब तक एफ.आर.ए. एक्ट के अंदर आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आपको एफ.सी.ए. की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार ने अपने जिलाधीशों के माध्यम से पत्र लिखवा दिए और एक अपना ही फोरमेट बना दिया । जब कि ए.बी.सी. फोरमेट एफ.आर.ए. के एक्ट में निर्धारित है। उस पर वे पत्र नहीं गए। पत्र आपने

14.12.2018/1240/बी.एस./एच.के./-1

अपने बनाए हुए फोरमेट पर भेज दिए। पंचायत सचिव की धड़ाधड़ मोहरें लगी और वह ग्राम सभा का भी सचिव था। उन्होंने वहां से कह दिया कि हमारे पास इस तरह का कोई क्लेम्ज ही नहीं आए है। 11(6) के अंदर पंचायत सचिव को इसी एक्ट ने अधिकार दिया था। 11(4) के अंदर इसी सचिव को यह भी कह दिया था कि आप सारे क्लेम्ज को प्रोसैस करेंगे। यह मेरी समझ से परे है। यह तो सही है कि उसे पंचायत सचिव बनने का हक है लेकिन पंचायत सचिव ने यह नहीं माना कि उसको यह भी ड्यूटी प्रदान की गई है कि वह क्लेम फाइल करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने वर्ष 2002 में, आपको ध्यान होगा डेढ़ लाख लोगों की अतिक्रमण दावा के केसिज मंगवा लिए थे और उन डेढ़ लाख लोगों के जब क्लेम आए तो मामला हाई कोर्ट में चला गया । उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। आपने लोंगो से जानकारी तो ले ली परंतु उन्हें पट्टे और जमीन उपलब्ध नहीं करवाई। वह उस वक्त किया गया जब इस प्रकार का एक्ट भी नहीं था। आज तो आपके पास एक्ट है, आज आपके पास

संसद ने एफ.आर.ए. (2006) एक एक्ट भेजा है। उसके अंदर आप इस कार्य को कीजिए। आप यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमें जो जिलाधीश महोदय ने नई-नई चिट्ठियां शुरू की हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा और बिना निर्धारित फोरमेट पर लोगों से मंगवाना शरू किया है कि वहां पर कोई क्लेम्ज नहीं हैं। यह सब बंद करना पड़ेगा। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि it is not only for the residential spaces, it is also for agriculture and individual claims can be for agriculture. माननीय मंत्री जी, कहीं लाहौल-स्पिति के एरिया में 4 बीघा का एक केस ऐसा हुआ है जिसमें एग्रीक्लचर के लिए भूमि प्रदान की गई है बाकी लोगों को क्यों नहीं प्रदान की गई। मेरे क्षेत्र में और चम्बा के क्षेत्र में बहुत सारे गद्दी, गुज्जर हैं और कांगड़ा के एरिया में गद्दी, गुज्जर हैं, घुमंतू पशु पालक हैं, उन लोगों के भी तो अधिकार हैं।

14/12/2018/1245/RG/HK/1

...(घण्टी)...महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी State Level Monitoring Committee की मीटिंग शायद पिछले साल की 25 जुलाई को हुई थी। उसमें यही कहा गया कि शायद इस Forest Rights को propagate करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस सरकार का एक साल बीत गया और आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा कि इस सरकार को आए हुए एक साल बीत चुका है, S.L.M.C. गठित हो गई लेकिन आज तक, मतलब मैं दो दिन पहले तक की बात कर रहा हूं, उसकी कोई भी बैठक नहीं हुई। जबकि यह मॉनीटर करती है। श्री राकेश सिंघा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। यहां दिनांक 31-01-2018 तक 2000 केस इन्डिविजुअल क्लेम्ज़ के आए। उनमें सिर्फ 129 क्लेम्ज पूरे हिमाचल प्रदेश में होते हैं, यह शर्म की बात है। हम आज 68 लोग यहां बैठे हैं और हम 68 लोगों का, इन लोगों को उनके अधिकार दिलवाना फर्ज बनता है। यदि हम मिलजुल कर इन लोगों को इनके अधिकार न दिलवा सकें, तो यह सबसे ज्यादा शर्मनाक बात होगी जबकि हमारे पास एक ऐक्ट इनप्लेस है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात शायद हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत दो माननीय सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा की। यह सही बात है कि इस ऐक्ट को वर्ष 2006 में इम्पलीमेंटेशन के लिए कहा गया और जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पहली बार इस ऐक्ट को वर्ष 2008 में प्रथम बार जनजातीय इलाकों में इम्प्लीमेंट किया गया। वर्ष 2012 में इसी ऐक्ट को नॉन-ट्रायबल इलाकों में इम्प्लीमेंट किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा जनजातीय विभाग एक नोडल एजेन्सी है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जमीन राजस्व और वन विभाग के पास है। हिमाचल प्रदेश में इस ऐक्ट को इम्पलीमेंट करने के लिए तीन तरह की समितियां बनाई गईं। एक स्टेट लेवल पर State Monitoring Committee के नाम से, जिसका अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को बनाया गया है, Secretary(Revenue), Secretary(Forest), Secretary(Panchyati Raj), Secretary(Tribal Development) और इसके साथ ही तीन टी.ए.सी. मेम्बर्ज होंगे। यह स्टेट लेवल की कमेटी है। इसके साथ-साथ डी.सी. लेवल पर एक समिति होगी जिसके चेयरमेन डी.सी. होते हैं, डी.एफ.ओ. इसके मेम्बर होंगे या कंजरवेटर होंगे, इसमें तीन जिला परिषद सदस्य हैं। इसमें एक महिला को भी रखा गया है और मेम्बर सैक्रेट्री इसका ए.डी.सी. होगा। इस प्रकार से इसमें 6 मेम्बर्ज होंगे। इसके अलावा सब-डिवीजनल लेवल पर एस.डी.एम. चेयरमेन, डी.एफ.ओ. मेम्बर और तीन बी.डी.सी. मेम्बर्ज हैं, इसमें एक महिला को रखा गया है और तहसीलदार उसका सैक्रट्री होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज हिमाचल प्रदेश में 17,500 एफ.आर.सीज़. विलेज लेवल पर बनाई गई हैं। इनको बनाने का ओचित्य यह था कि हमारे फॉरेस्ट राइट्स ऐक्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसकी शुरूआत पंचायतों से होती है। यहां बुटेल जी ने स्पष्ट कहा। यहां पंचायतों को ही अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा ऑथोराइज है कि वह तीन महीने में और ऐक्ट में यह प्रावधान है कि वे ऐपलीकेशन क्लेम्ज लेते हैं और नियम 11(a) के मुताबिक उसको ऐक्सटेंड भी करते हैं। प्रार्थी पहले यानि जो लाभार्थी है, वह अपनी ऐपलीकेशन ग्राम सभा में देते हैं, उसके बाद ग्राम सभा से पास होने के बाद वह सब-डिवीजन लेवल पर जाती है और इसमें फाईनल अथौरिटी जिलाधीश है।

मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है कि जन-जातीय विभाग नोडल एजेंसी है। The implementation has to be done by the Deputy Commissioner level जिलाधीश के लैवल पर करना है। हमने सारी कमेटीज बना दी हैं। हमने यू0एन0डी0पी0 के माध्यम से लगभग 277 लोगों को ट्रेनिंग दे दी है। उसमें चाहे अधिकारी थे या गैर-सरकारी पंचायती राज के चुने हुए लोग थे, सभी को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमने 42 लाख 41 हजार रुपये की धनराशि सभी जिलाधीशों को स्वीकृत की है ताकि सभी को ट्रेनिंग देकर एजुकेट कर सकें तथा जो लाभार्थी हैं वे पंचायतों के अंदर अपनी एप्लीकेशन्ज मूव कर सकें और अपने केसिज को सैटलडाउन कर सकें। यह जन-जातीय विभाग का काम है।

जहां तक कहा कि यह विषय कई समय से लम्बित पड़ा है और सिंघा जी ने तो लाहौल-स्पिति की चर्चा कर भी दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो वर्ष 1997 में ग्लेशियर आया था उसमें 239 लोग मारे गए थे। पिछले पांच सालों में क्या होता रहा, मैं आज उसकी बात करना चाहूंगा। लाहौल-स्पिति का केस है जिसमें 194 लोगों के नाम उच्च न्यायालय में भेजे गए जब यह कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एन्क्रोचमैंट के कितने केसिज हैं। लाहौल-स्पिति के विधायक ने तब क्या किया कि लोगों के नाम उच्च न्यायालय में भेजे और वहां से आदेश होते हैं कि ---(व्यवधान)--- मैं उसको ठीक कर रहा हूं और सिंघा जी हम उसको ठीक कर भी चुके हैं। तो 194 लोगों के मकानों के मीटर काटे गए और वे लोग डेढ़-दो साल तक अंधेरे में रहे। यहां पर आशीष बुटेल जी ने कहा कि किसी को भी क्लेम नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं जिनमें मैं बताऊंगा कि कितनी एप्लीकेशन्ज आई हैं और कितनी हमने सैटलडाउन कर दी हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत चम्बा जिले के अंदर प्राप्त हुए व्यक्तिगत आवेदन पत्रों की मैं बात कर रहा हूं। चम्बा जिले में 587 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 53 क्लेम सैटल हुए। कांगड़ा में कम्युनिटी में मात्र 28 एप्लीकेशन आई। व्यक्तिगत दावों में लाहौल-स्पिति में 829 में से 76 केस हमने सैटल किए। ये वे क्लेम हैं जिनके घरों के मीटर कट चुके थे। मैं उन मकानों की बात कर रहा हूं जिनके मकान 4 बिस्वा में बने थे। इसी तरह से किन्नौर के अंदर व्यक्तिगत 730 दावे प्राप्त हुए

और नेगी जी कोई भी केस सैटल नहीं हुआ सिर्फ 14 केस कम्युनिटी के सैटल हुए हैं। कुल्लू में एक ही कम्युनिटी की एप्लीकेशन आई है।

जहां तक सिंघा जी ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी जब किन्नौर के प्रवास पर गए थे तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि केस को सैटल करना है। हमने 17 मई को सभी जिलाधीशों को प्रिंसिपल सैक्रेटरीज के माध्यम से एप्लीकेशन्ज लिखी हैं कि शीघ्र इन केसिज को सैटल किया जाए। हमने मुख्य मंत्री महोदय के आदेश के बाद दुबारा पत्र लिखा है और सभी जिलाधीशों को कहा है कि जो आपका फॉरैस्ट राइट ऐक्ट है इसको शीघ्र इम्प्लीमैंट किया जाए। यह ठीक है कि कई सालों से, मैं इसमें चर्चा नहीं करना चाहूंगा, आशीष बुटेल जी not only Himachal Pradesh if we will talk about other States, Uttarakhand has totally rejected it. They said these cases are not implemented in our State because there is not even a single persons in our State who is depend on Forest Dwellers Act. Like this there are many other States. कई राज्यों ने कहा है कि इसको इम्प्लीमैंट नहीं किया जा रहा है। परन्तु हिमाचल प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमने सारे जिलाधीशों को आदेश दे दिए हैं कि बहुत जल्दी जिन लोगों के पास जमीन के कब्जे हैं इसे इम्प्लीमैंट किया जाए ताकि लोगों के केसिज सैटल हों। कई केसिज कोर्ट में चल रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनरल इलाके में थ्री जनरेशन तक कहा गया है और ट्राइबल इलाके में कहा गया है कि 13 दिसम्बर, 2005 से पहले जिनके पास ये केसिज हैं। They have to prove it, अपना कोई एविडेंस लेकर आएंगे। यह पंचायतों को पावर दी गई है।

14.12.2018/1255/जेके/वाईके/1

अभी तक पंचायतों के लैवल पर ही केसिज़ पैंडिग पड़े हैं। पंचायतों ने न उनको रिजैक्ट किया और न ही फरदर एक्सटेंशन दी है। हमने पंचायतों को कहा है । पंचायतों के लैवल पर हमने ट्रेनिंग कैम्प लगाए हैं। हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लिमैंट किया जाए ताकि इसका रिजल्ट ठीक समय पर सामने आए। मैं श्री राकेश सिंघा जी और श्री आशीष बुटेल जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने प्रयास किया है और सभी जिलाधीशों को कहा है। यह जन-जातीय विभाग is a nodal agency हमने इसको इम्प्लिमैंट जिलाधीशों के

माध्यम से कमेटियां बन चुकी हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इसको इम्प्लिमैंट कर पाएंगे, धन्यवाद ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य केवल स्पष्टीकरण ही मांगे।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और शायद सुनने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रह गई हो। मुझे ऐसा लगा कि जिलाधीश सरकार है और वे तय करेंगे। मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या ये आदेश जिलाधीश को देंगे कि all the cases should be processed and as per the Law.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ने तो यही कहा है।

कृषि मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि दिनांक 17 मई, 2018 को सभी जिलाधीशों को हमने पत्र लिखा है और आदेश दिया है कि इसको कार्यान्वित करिए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब 2 नवम्बर को किन्नौर के प्रवास पर गए तो दोबारा वापिस आने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा पत्र लिखा गया कि इसको कार्यान्वित किया जाए। इसको हम बहुत जल्दी कार्यान्वित करेंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल जी केवल स्पष्टीकरण ही मांगे।

श्री आशीष बुटेलः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या आप सबसे पहले प्रत्येक लैवल की जो कमेटीज़ हैं इनको टाइम बाउंड करेंगे to process these cases? दूसरे, जो डी0सीज0 ने अब ग्राम सभा के सेक्रेटरीज़ से किसी और फोरमैट पर एन0ओ0सीज0 मांगना शुरू कर दिया है, क्या उसे बन्द करवाएंगे? इन दो चीजों का स्पष्टीकरण चाहूंगा।

कृषि मंत्रीः माननीय सदस्य जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने जो 17 तारीख को लैटर लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यक्तिगत रूची लेते हुए मिशन मोड़ में इसको कार्यान्वित किया जाए। सभी जिलाधीशों को यह पत्र लिखा है। जहां तक आपने मेरे ध्यान

में लाया, अगर वह एक्ट में नहीं है तो डी0सीज0 नहीं मांग सकता है। मैं इसको चैक करूंगा। निश्चित तौर पर हमने कहा है कि इसको इम्प्लिमैंट करें। हम फिर से कहेंगे कि जो स्टेट लैवल मॉनिटरिंग कमेटी है, आपने कहा था कि कमेटीज़ बन चुकी है, हम इनकी जल्दी से मीटिंग करवाएंगे और इसको इम्प्लिमैंट करने के लिए कहेंगे।

अध्यक्षः अब माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

14.12.2018/1400/SS-AG/1

(सदन की बैठक भोजनोपरांत 2:00 बजे अपराह्न, माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिंदल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सरकारी संकल्प

अध्यक्षः अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री नियम-102 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प जो केवल मात्र किसी एक विशेष सैक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि इसमें पूरे प्रदेश की भावना है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही इसे एक दिशा दी है कि इस पर कोई विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपकी अनुमति से जो आज का संकल्प है उसको प्रस्तुत करता हूंः-

"यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि सशस्त्र बलों में हिमाचल का राज्य कोटा बढ़ाया जाये और एक नई हिमालयन रेजीमेंट का गठन किया जाये।"

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि अगर आप अनुमति दें तो इस संकल्प पर आगे बढ़ें। जब तक आप अनुमति नहीं देंगे तब तक कोई भी सदस्य संकल्प को आगे नहीं बढ़ा सकता।

अध्यक्षः सर, हमने तो आपको पहले ही कह दिया। ...(व्यवधान)... अब माननीय मंत्री जी, आप इस पर अपना विषय रखें।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज़ादी से पहले भी हिमाचल प्रदेश के हमारे ऐसे हज़ारों योद्धा हुए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।

कुछ उनमें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चिन्हित हुए हैं लेकिन बहुत ऐसे हैं जो कि चिन्हित से बाहर रह गए हैं लेकिन उन्होंने कुर्बानियां दी है तब जा कर इस देश को आजादी मिली है। हिमाचल प्रदेश का जो योगदान देश की आजादी के लिए रहा वही योगदान उसके उपरान्त इस देश की सुरक्षा के लिए भी रहा है। वह चाहे 1962 का युद्ध जो हिन्दुस्तान और चाइना के बीच में हुआ, 1965 का युद्ध जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ, 1971 की लड़ाई जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई थी या 1989 का कारगिल का अघोषित युद्ध हुआ है। इसके उपरान्त भी और इससे पहले भी अनेकों ऐसी कुर्बानियां हिमाचल प्रदेश के हमारे नौजवान अधिकारियों ने, जवानों ने सीमाओं पर और सीमाओं से हट कर आंतरिक सुरक्षा के लिए दी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख 15 हजार एक्स सर्विसमैन हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रदेश की आबादी मात्र 70 लाख हो, उस प्रदेश में अगर 1 लाख 15 हजार पूर्व सैनिक हो तो कितनी बड़ी कुर्बानियां हिमाचल

प्रदेश के लोग देते हैं? जितने भी ये युद्ध हुए हैं या अघोषित युद्ध हुए हैं, इनमें जो वीरता हमारे हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों और जवानों ने दिखाई है, उसमें हिमाचल प्रदेश के बहादुरों ने चार परमवीर चक्र हासिल किए हैं। 2 अशोक चक्र हासिल किए हैं, 10 महावीर चक्र लेने में जहां हमारे वीर योद्धा सफल हुए हैं वहीं 21 कीर्ति चक्र भी हासिल किए हैं। इसके अलावा भी अनेक पदक हैं जिनसे हमारे हिमाचल प्रदेश के 1037 बहादुर जवान सम्मानित हुए हैं। जितने भी युद्ध हुए ये सारे हिमालयन बैल्ट में हुए हैं। 1962 का युद्ध भी हिमालय बैल्ट में हुआ। 1965 के युद्ध में भी हिमालय बैल्ट आती है। 1971 का युद्ध हुआ, उसमें भी हिमालय बैल्ट आती है और 1989 का जो अघोषित कारगिल युद्ध हुआ है, उसमें भी हिमालय बैल्ट आती है । 1985 से पहले इस देश के अंदर प्रदेशों के नाम से रजिमेंट्स बनती रही है। उनमें जैसे पंजाब रेजिमैंट पंजाब की है, जाट रेजिमैंट हरियाणा की है, राजपूत रेजिमैंट राजस्थान की, मद्रास रेजिमेंट मद्रास की, कुमाऊं रेजिमेंट उत्तराखंड की, गोरखा रेजिमेंट गोरखा भाइयों के नाम से हैं, इसी प्रकार से अनेकों रेजिमेंट्स इस देश के अंदर आर्मी में बनती रही हैं लेकिन 1984-85 में जब इस देश में ब्ल्यू स्टार ऑप्रेशन हुआ था उस वक्त ऐसा महसूस किया गया कि किसी भी जाति विशेष, किसी भी क्षेत्र विशेष, किसी भी प्रदेश विशेष के नाम से रेजिमेंट खड़ी न की जाए।

14.12.2018/1410/av/dc/1

हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है मगर फिर भी हिमाचल प्रदेश के सैनिकों और ऑफिसर्ज की बहुत वी0वी0आई0पी0 ड्यूटीज लगती है। उसमें चाहे महामहिम राष्ट्रपति की ड्यूटी हो या प्रधान मंत्री, दूसरे मंत्रियों, मुख्य न्यायधीश (सुप्रीम कोर्ट) या किसी भी व्यक्ति के साथ वी0वी0आई0पी0 ड्यूटी लगती है उसमें अधिकतर हिमाचल प्रदेश के जवानों को तैनात किया जाता है। उस पर विश्वास किया जाता है क्योंकि यहां का जवान या ऑफिसर विश्वास के योग्य है। वर्ष 1972 में मुझे भी मौका मिला क्योंकि मैं वर्ष 1971 में डोगरा रेजीमैंट में भर्ती हुआ था। उस वक्त मेरठ में ट्रेनिंग के दौरान मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आर0एस0पठानिया जी थे और वह महान शख्सियत शायद नूरपुर से माननीय

सदस्य श्री राकेश पठानिया जी के ताया जी थे। उनका डोगरा रेजीमैंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहां पर जो भी कोई भर्ती होकर जाता था और सी0ओ0 इन्टरव्यू होता था तो वे सी0ओ0 इन्टरव्यू के दौरान सबसे पूछते थे। वे मुन्नू कहकर बुलाते थे कि मुन्नू कहां से आया, क्यों आया, कहीं भाग कर तो नहीं आया? फिर साथ में यह भी कहते थे कि आप आर्मी में ऑफिसर बनो। मैं उनका धन्यवादी हूं कि उन्होंने डोगरा रेजीमैंट के अंदर केडैट क्लास चलाई हुई थी और वहां गये हिमाचल प्रदेश के हर पढ़े-लिखे बच्चे को उस केडैट क्लास में भेज देते थे ताकि वह वहां पर ऑफिसर ट्रेनिंग ले तथा उसके बाद सम्बंधित कम्पिटेटिव ऐग्जामिनेशन में अपीयर हो। वर्ष 1971 की लड़ाई में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला और वह मेरे जीवन में एक ऐसी यादाश्त है जो इस जीवन में नहीं भुलाई जा सकती। वहां से जो मैंने सीखा है वह आज भी मेरे जीवन की एक दिनचर्या बनी हुई है। वर्ष 1971 की लड़ाई में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो कुस्तियां जिला जो वर्तमान में बंगला देश है वह उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था। वहां कुस्तियां जिला में जब हमारी बटालियन पहुंची तो हम लगातार एडवांस में थे। हमें एक दिन का रैस्ट मिला और मद्रास रेजीमैंट को बोला कि आज आप एडवांस्ड होंगे। जब उनकी केजुअल्टी हुई तो कहा गया कि नहीं, डोगरा रेजीमैंट को आगे लाओ। डोगरा रेजीमैंट में पंजाब, जे0 एण्ड के0, हिमाचल प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड के जवान शामिल होते थे। लेकिन पहले जब कोई ओपन भर्ती होती थी तो उसमें जनसंख्या को आधार नहीं माना जाता था। लेकिन वर्ष 1980-85 के दशक में एक ऐसा दौर आया कि जनसंख्या के आधार पर भर्तियां शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और हमारी जनसंख्या बहुत कम है। हमारे प्रदेश की जनसंख्या कम होने के कारण भर्ती में हमारा कोटा बहुत ज्यादा घट गया। हिमाचल प्रदेश का जो कोटा कम हुआ है, उसको पूरा करने के लिए हमने जो संकल्प इस मान्य सदन में लाया है उसके अनुसार हम चाहते हैं कि हमारी बहादुरी और लॉयल्टी को देखकर उसको बढ़ाया जाए। अब जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार किसी भी प्रदेश के नाम से अब कोई रेजीमैंट खड़ी नहीं की जा सकती।

लेकिन हिमाचल प्रदेश के अलावा हम हिमालयन रेजीमेंट के नाम से एक प्रस्ताव भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजें ताकि वह हमारी दो बातों को स्वीकार कर सकें। एक तो हमारा भर्ती का कोटा बढ़ाया जाए और दूसरा हिमालयन रेजीमेंट के रुप में हिमाचल प्रदेश को एक अलग से रेजीमेंट मिले। मेरी जानकारी के मुताबिक एक रेजीमेंट में 10 हजार से ज्यादा भर्तियां की जाती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि इसमें पूरे सदन व प्रदेशवासियों की सहमति हो ताकि इन दो चीजों के लिए हम भारत सरकार को यह संकल्प भेजें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा पहले ही चाहा है। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि जैसे ही यह प्रस्ताव यहां से जाए, उसके पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर से व्यक्तिगत रूप में आग्रह करें तो शीघ्र ही यह मांग पूरी हो जाएगी। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम एक जुट हो करके भारत सरकार से आग्रह करें कि हमारी इस बात को स्वीकार किया जाए। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री सुरेश भारद्वाज (संसदीय कार्यमंत्री)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में रखा है। वास्तव में हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। हिन्दूस्तान का पहला परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के सपूत मेज़र सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था और कारगिल युद्ध में भी 4 परमवीर चक्र विजय के उपरान्त सरकार द्वारा दिए गए थे। जिनमें से 2 हिमाचल प्रदेश के जवानों को प्राप्त हुए थे। इनमें से एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया था और दूसरा आज भी देश की सेवा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश आज से ही नहीं बहुत प्राचीन काल से वीरभूमि रहा है। जिला कांगड़ा में अहमदशाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था। इसलिए यह वीरभूमि के नाम से जाना जाता रहा है। ये सारी डोगरा लैंड है। यहां से हमेशा लोग सेना में जाकर देश की सेवाएं करते रहे हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की हमेशा से मांग रही है कि हिमाचल प्रदेश के नाम से एक रेजीमेंट बनाई जाए। क्योंकि जब सेना के नियम बदले, उन नियमों के अनुसार हमारी जो भर्ती थी जो पहले किसी भी संख्या में हो जाती थी, उसमें थोड़ा-सा व्यवधान उत्पन्न हो गया था। अब उस संख्या में भर्तियां नहीं हो सकती थी। इसलिए

हमेशा से मांग रही है कि हिमाचल प्रदेश की अलग रेजीमेंट सेना में बने। सेना की ओर से यह कहा जाता रहा है कि किसी प्रदेश के नाम से सेना की रेजीमेंट नहीं हो सकती है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने इसका नाम हिमालयन रेजीमेंट के नाम से प्रपोज किया है और सारा सदन इससे सहमत होगा कि हिन्दूस्तान की सेना में अलग से एक हिमालयन रेजीमेंट हो। ये हम केन्द्र सरकार से सिफारिश करेंगे। हिमालयन रेजीमेंट में वर्तमान में जो अलग-अलग टेरेन्स भी हैं

14/12/2018/1420/NS/HK/1

चाहे वे सियाचन, कारगिल या लद्दाख जैसी टेरेन्ज़ हैं; उनमें हिमाचल प्रदेश का जवान और हिमाचल प्रदेश की रेजीमैंट बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। इसमें अगर हिमालय रीज़न के बाकी सैनिक भी होते हैं तो वे भी इस टेरेन में बहुत अच्छी प्रकार से नेचुरल तरीके से काम कर सकते हैं व देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हिमालयन रेजीमेंट बनाया जाए। माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और सारे सदन से निवेदन करता हूं कि इस रेजोल्यूशन को जिस भावना से माननीय मंत्री जी ने यहां पर रखा है, उसी भावना में रिकोमेंडेशन की शक्ल में केंद्र सरकार को भेजा जाए। अगर बिना चर्चा के हमारा यह प्रस्ताव जाएगा और सर्वसम्मति से जाएगा तो इसका महत्व और वेट भी ज्यादा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्षः मेरे पास अभी बोलने वाले सात नाम आए हैं। अगर समर्थन ही करना है तो मैं एक-एक करके सबको बुलाता हूं और थोड़ी शीघ्रता से अपनी बात कह लें। क्योंकि आगे भी चर्चा में बहुत सारे विषय लगे हुए हैं। अब डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल (सोलन)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो सरकारी प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन है। इन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में यहां पर कहा है और जिसका समर्थन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया है। मैं इसके समर्थन में यहां पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हिमाचल की देव भूमि को वीर भूमि के नाम से भी जानी जाता है। मैं विलियम

स्लिम का एक कथन उद्धृत करना चाहता हूं, जो उन्होंने अपनी पुस्तक 'Defeat into Victory' में कहा है। उन्होंने कहा था कि "Dogras' are a military aristocracy to command". माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहां पर बात कही कि प्रदेश के जवान और अधिकारी जो होते हैं तो सचमुच में उन सबकी निगाह रहती है और जहां भी ये काम करते हैं, वहां पर प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इन्होंने डोगरा सेंटर से ले करके उनके अनुशासन, दिनचर्या और काम करने का तरीका बताया है। यहां पर इस माननीय सदन में हमारे बहुत सारे साथी मौजूद हैं, जैसे माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी, माननीय बिक्रम सिंह जरयाल जी भी सेना से संबंध रखते हैं। माननीय राकेश पठानिया जी खुद ऐसे परिवार से संबंधित हैं, जो सेना से संबंध रखते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हिमाचल का संबंध डोगरा लैंड से है। यहां के जितने गाने, वेशभूषा और चिंतन होगा, वह सचमुच में वही होता है। हम सब इसके गाने भी देखते रहते हैं जैसे भला सिपाहिया डोगरया आदि गीत लता जी ने गाए हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रथाएं चली आ रही हैं, चाहे वे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, भारत और चीन का युद्ध, 1965 और 1971 के युद्ध रहे हों तो मैं स्वयं इन युद्धों में शामिल था। कारगिल के समय मैं सेना से यहां पर आ गया था। मैं समझता हूं कि ये सब विषय हमारे प्रदेश के साथ ज्यादा संबंधित हैं। अब प्रश्न आता है कि recruitable male population का जो सिद्धांत है, वह हर बार बदलता रहता है। जैसे-जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती है और वहां पर आर एंड पी फॉर्मूला बदलता रहता है। यह बात ठीक कही है। माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए कम-से-कम इसमें किसी प्रकार की छूट होनी चाहिए।

14.12.2018/1425/RKS/HK-1

इस विषय को मैंने दोनों बार तेरहवीं और चौदहवीं लोकसभा में सदन में उठाया है और इसके बारे में पत्र भी लिखे हैं। हमारा देश सैक्यूलर देश है और प्रदेश के नाम पर जैसे पंजाब रेजिमैंट, बिहार रेजिमैंट, मद्रास या जे. एंड. के. इत्यादि रेजिमैंट्स बनी हैं; उनका रिप्लाई था कि यह हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें हमारा तर्क यह था कि हमारे प्रदेश को एक अलग पैमाने से नापा जाया। यहां से बड़े-बड़े उद्योगपति नहीं रहे हैं। हमारे पूर्वजों के समय से ही सेना में काम करना, सेना में सेवा देना बहुत अच्छा मानते थे। जैसा

कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमें इतने महावीर चक्र या परमवीर चक्र मिले हैं। मेरी अपनी ही रेजमैंट आठ डोगरा के एक सुबेदार मेजर, ऑनरेरी कैप्टन जोकि बिलासपुर के एक गांव से थे और अब इस संसार में नहीं रहे हैं, फर्स्ट विकटोरिया क्रॉस थे। जब वे लंदन पहुंचते थे तो उन्हें देखकर लोग खड़े होकर सलूट मारते थे क्योंकि वहां पर किसी भी डेकोरेट्री सोल्जर को सम्मान देने की एक प्रणाली है। हमारे देश में इतना ज्यादा सम्मान नहीं है। मैं इसी के ऊपर यह कहना चाहूंगा कि जो पिछली राजा वीरभद्र की सरकार थी, इन्हें भी डोगरा रेजिमैंट के परिवार का एक अंग मानते हैं। क्योंकि इन्हें भी हमारे Honorary Colonial of the Regiment and Captain of the Regiment पलटन ने स्वीकार किया है। जो यहां पर हमारा वार मैमोरियल बना है, वह सर्वोत्तम वार मैमोरियल है। पूरे देश में ऐसा वार मैमोरियल देखने को नहीं मिलेगा। जब मैं सैनिक कल्याण मंत्री था तो मैंने एयर चीफ से कहा था कि हमें एक पुराना एयर क्राफ्ट दिया जाए। उन्होंने यह एयर काफ्ट दे दिया जिसका एक अच्छा मोडल बाहर लगा हुआ है। जो हमारे परमवीर विजेता हैं या वीर चक्र हैं या दूसरे चक्र हैं, आप सभी लोग उन्हें जरूर देखें और अंदाजा लगाएं कि वहां पर हमने किस तरह से लोगों की यादों को संवार कर रखा है। हिमाचल का नाम यहां की ट्रूप्स, यहां के सोल्जर और यहां की सेना के बलिदान से जाना जाता है। जो इस रेजोल्यूशन में दो बिन्दु माननीय मंत्री जी ने उठाए हैं, इसमें पहला यह था कि how to increase this recruitable male population formula? इस तरह हमारे प्रदेश के लोग ज्यादा खिंचतान करते रहे। उन्होंने दूसरे प्रोफैसन को ज्यादा पसंद नहीं किया और न ही कोई बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज चलाई। यहां के आफिसर्ज, जवान और जितने भी ट्रूप्स हैं वे सब सेना में जाना चाहते हैं। यदि हम इस प्रश्न को उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार मान जाएगी। चाहे हिमालयन रेजमैंट हो या हिमाचल रेजमैंट हो इस पर एक फाइल चली हुई है, जोकि एक एक्टिव फाइल है। अगर हम इसे as a consensus के रूप में दें तो जो हमारी फॉर्सिज हैं, चाहे वह डोगरा हो, जे.एंड के. हो या दूसरी रेजमैंट हो या जो जवान इंजिनियर्ज और सिगनल्स में हैं, उन सब का मनोबल बढ़ेगा। हम समझते हैं कि इसे as a consensus रूप में भेजा जाए। हमारे प्रदेश के जवान बहुत अच्छे जवान रहे हैं जिन्होंने सभी युद्धों में अपने

मैडल्स जीते हैं। इसलिए यहां की रेजमैंट का नाम हिमालयन या हिमाचल रेजिमैंट रखा जाए। मैं समझता हूं यह हमारे लिए और हमारे जवान की वीरगाथाओं का एक प्रकार से स्मरण होगा और उनका मनोबल भी ऊंचा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी इन दोनों मांगों को मान जाएंगे। हमें हिमालयन रेजमैंट या हिमाचल रेजमैंट के नाम एक रेजिमैंट दी जाती है तो यह एक राष्ट्रीय एकता की तरफ ले जाने वाला कदम है और इस पर पूरे सदन को अपना समर्थन देना चाहिए।

14.12.2018/1430/बी.एस./एच.के./-1

मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे सेना से संबंधित पूर्व सैनिक अधिकारी एवं सेना के जवानों हैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, साथ ही माननीय मंत्री महोदय का भी इस संकल्प को लाने के लिए धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः विषय दोनो पक्षों की ओर से बहुत अच्छे से आ गया है इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित करूं, कृपया वे अपनी बात दो-दो मिनट में रखें।

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जिस प्रकार आपने आदेश दिया है, मैं अपनी बात दो मिनट में ही कहूंगा। आदरणी ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने जो यहां पर संकल्प लाया है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा । प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार ने इस तरफ सोचा। माननीय मुख्य मंत्री जी को याद होगा कि वर्ष 1998 में भी इसी प्रकार का एक संकल्प हम विधान सभा में ले करके आए 'थे और यह हर वर्ष प्रस्ताव विधान सभा में आ रहा है। Let's not make joke for a soldier. मेरे बड़े ताया जी वर्ष 1078 में फौज में गए थे, छोटे ताया जी 1943 में कमीशनर रिडायर आए हैं, मेरे पिता जी 1944 में कमीशनर आर्मी ऑफिसर रिटायर आ गए। मेरे ब्रदर-इन-लॉ ने एज-ए सिनियर जी.ओ.सी. नर्दन कमांड को कमांड किया है। मेरे परिवार

में एक सिपाही से ले करके जी.ओ.सी. तक सब मौजूद हैं। मेरे भाई साबत 8 डोगरा में आदरणीय डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल जी के साथ 1971 के ऑप्रेशन में मौजूद थे। हमारे ई.एम.ई. के कर्नल साहब यहां बैठे हैं, हमारे पैरा कमांडो से आदरणीय जरयाल साहब यहां बैठे हैं। A good soldier is in the blood of the Himachal Pradesh. मेरे पिता जी और माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी के ससुर साहब जी दोनों आई.एम.एस. से ग्रेजुएट हुए थे। Himachal is a State of fighting soldiers. अब हम बोलेंगे कि हमारे जवान हिमाचल प्रदेश से कारगिल में शहीद हुए थे, यह बात गलत होगी। As an Army Officer's son, I think it will be wrong. जो भी सैनिक मरता है, लड़ता है वह देश के लिए मरता है न कि हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ता-मरता है। आज विषय यह है कि हिमाचल प्रदेश के सैनिकों के लिए हिस्से की बात कही गई है। यदि आप स्वतंत्रता का थोड़ा इतिहास निकाल कर देखेंगे तो नर्दन इंडिया की जितने भी स्टेटस थे वे हिमाचल प्रदेश में भर्ती करने के लिए आते थे और ढोल बजाकर हमारे गावं में 10वीं पास बच्चा होता था उसे डायरेक्ट ऑफिसर ले लेते थे। In the post independence era of Indian history, it was called a 'Pratha' and it is a recorded statement. जब 8-10 प्रदेशों के लोग यहां से जवानों को भर्ती ले करके जाते थे तो अब हमारा कोटा क्यों कम हुआ जबकि हमारे तो खून में ही फौज है, हमारे खून में लड़ना लिखा हुआ है। We have the best soldiers that Indian Army have produced. We are the best soldiers the Indian Army can ever get. मेरे गांव में शायद ही कोई घर होगा जिसमें फौजी न हो। Every house has a soldier. परंतु आगे-आगे यह कम होता जा रहा है। यह जो ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं यह भी प्रभावित कर रहा है। लास्ट महीने में मैंने चम्बा की भर्ती देखी you didn't get a tea cup in Chamba. एक समोसा नहीं मिल रहा था आपको 10 हजार बच्चे वहां भर्ती के लिए पहुंच गए। बसों की छतों में जगह नहीं थी । इसमें 3-4 हजार बच्चे तो नूरपुर से ही गए थे। अब ऐसी परिस्थिति में बच्चों को चाहे बिहार या साऊथ में कहीं भी भर्ती करा लो। Army employment would be another thing. वे लड़के बेरोजगारी के लिए फौज में जाते हैं परंतु हमारा बच्चा पेसिनेट फौजी जाता है। वह बॉम सोल्जर है।

उसके खून में फौज है । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी प्रार्थाना है कि एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया जाए we all should go to Delhi and meet the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Home Minister for this. Let us not only discuss it. कुछ करके दिखएं। हम 15-20 लोग सदन के जाएं और वहां अपनी प्ली को रखें अपनी स्वतंत्रता की बात भी करें । अपने भविष्य की बात भी रखें और अपने बच्चों के लिए कोटा भी मांगे। जैसा आपने कहा आज snow warfare is one of the toughest warfare and we are fighting a very bitter snow bite battle in the Siachien और लाहौल-स्पिति और किन्नौर से अच्छा हमारे पास सैनिकों के लिए ट्रेनिंग सैंटर नहीं हो सकता। We can have the best training facilities for a soldiers in our Tribal Areas. So, these things could be combined in the mountain warfaring. जो माउंटन वॉर फेयरिंग है वह अपने आप बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उस विषय में हिमाचल प्रदेश एक बहुत अच्छा प्रदेश है। हम सब उसका समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14/12/2018/1435/RG/YK/1

अध्यक्ष : अब श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी(किन्नौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ठाकुर महेन्द्र सिंह जी, माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव यहां रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इनकी भावनाओं की कद्र करता हूं और देश के महान् सैनिकों को भी सलाम करता हूं कि उनकी गाथाएं सेना के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है। परन्तु जिस मन्शा और नीयत से ये यहां प्रस्ताव लाए हैं, मुझे उस पर थोड़ा ऐतराज़ है। क्योंकि अब लोक सभा के चुनाव आने वाले हैं और केन्द्र में आपकी सरकार अब जाने वाली है। एक लौलीपॉप फिर दुबारा बेरोजगार युवाओं को आप ला रहे हैं। ...(व्यवधान)....एक मिनट, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए, सुन्ने की शक्ति रखें। ...(व्यवधान)....आप अपनी बात कहते हैं और हमें बोलने नहीं देते। ऐसे कैसे चलेगा कि आप अपनी बात कह देते हैं परन्तु हमें बोलने नहीं देते।

अध्यक्ष : जगत सिंह जी, कृपया आप इधर देखकर बोलिए।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी अपनी बात कहने की पूरी आजादी है जैसे सभी को है। बीच में मुझे ये रोक रहे हैं। अब दिल्ली में आपकी सरकार को बने हुए चार साल से ज्यादा का समय हो चुका है और आप हजार बार हैलीकॉप्टर में बैठकर दिल्ली गए हैं। इस प्रस्ताव को लेकर पहले क्यों नहीं गए? पठानिया जी, आपने जो बात कही, मैं आपका समर्थन करता हूं कि हम सब मिलकर इस प्रस्ताव को हैलीकॉप्टर में लेकर दिल्ली जाते हैं, इस बात का मैं समर्थन कर रहा हूं। ...(व्यवधान)....मैं कहां नहीं मान रहा हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि खाली चुनावों के मद्देनज़र कहीं यह एक जुमला साबित न हो जाए। यह एक जुमला साबित नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)....

अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। नेगी जी, कृपया आप इधर देखकर बोलिए।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो ये बोल लें या मुझे बोलने दें। ये जुमलों से क्यों चिढ़ रहे हैं, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं भी चाहता हूं कि इस किस्म का प्रस्ताव पास हो। खाली नाम बदलने की बात की जा रही है। All ready there are number of mountain divisions in this Indian Army. If you want to change the name हिमालयन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हां, जहां तक कोटा में आने की बात है, तो मैं उसमें आपका बिल्कुल समर्थन करता हूं। उसके लिए हमें यहां से जाना चाहिए। चाहे पूरा सदन दिल्ली क्यों न जाए। अब आखिर के चार महीने केन्द्र सरकार के रह गए हैं। कहीं जाते-जाते कुछ हो जाए, उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही पावन एवं पवित्र भावना के साथ एक प्रस्ताव माननीय सिंचाई एवं जन-सिंचाई मंत्री जी ने यहां रखा। सारा सदन उसकी भावनाओं के साथ सहमत है। सब अपनी बातों को भावनात्मक रूप से व्यक्त करके उसमें अपने आपको शामिल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस पवित्र भावना के साथ इस प्रस्ताव को लाया गया है, उस भाव को समझने की कोशिश हमारे माननीय सदस्य श्री

जगत सिंह नेगी जी को करनी चाहिए। पता नहीं उनको क्या हो गया है कि आगे अब ऐसा होगा, वैसा होगा, दिन थोड़े रह गए। ...(व्यवधान)....वह तो सच्चाई थी, वह हकीकत है, वह दौर जब आएगा तब आप भी बोलना। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है जो 27 दिसम्बर को पूरा होना है। हमने पहले साल ही यह पहल की है। आप भी यह प्रस्ताव ला सकते थे। आप लोग पांच वर्ष सत्ता में रहे। लेकिन अगर यह प्रस्ताव आप लोग नहीं ला पाए और हमारी सरकार के एक साल के कार्यकाल में इस सत्र में इसको यहां प्रस्तुत किया गया है और इसमें सभी के सहयोग के लिए आग्रह किया गया, तो क्या बुरा है? मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवादी हूं कि कर्नल शांडिल जी ने यहां अपनी भावनाएं व्यक्त कीं कि हर हालत में यह प्रस्ताव पास होना चाहिए, पहले नहीं हुआ तो अब की बार होना चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए और इसमें सबको जुटना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इसको अलग दिशा में ले जाने की बात

14/12/2018/1440/MS/AG/1

बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक विषय पर लाया गया है। हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश है लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश का योगदान जितने भी आज से पहले युद्ध हुए हैं उनमें बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए यह हमारी मांग भी है और मैं तो कहता हूं कि यह हमारा अधिकार भी है। हिमाचल प्रदेश के लिए केन्द्र की ओर से ऐसा सहयोग मिलना चाहिए। यदि पहले कमी रह गई है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सफलता हर समय मिले, यह संभव नहीं होता है लेकिन प्रयास करने में क्या दिक्कत है? माननीय अध्यक्ष जी, यह उस दिशा में प्रयास है और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस प्रस्ताव की भावना को हमारे माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने आहत किया है, उससे हम भी आहत हुए हैं। सब लोग इसके समर्थन में हैं। सब लोग चाहते हैं कि यह होना चाहिए। ...(व्यवधान)... आपने कहा कि इस प्रस्ताव को अब क्यों लाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी मंशा बहुत पवित्र और पावन है, आप उस मंशा को जानने की कोशिश कीजिए। ...(व्यवधान)... माननीय नेगी जी बहुत उत्साहित हैं इसलिए इनको मालूम नहीं है कि इनसे क्या बोला जा रहा है। ...(व्यवधान)... आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि अभी केन्द्र सरकार हमारी कायम है। केन्द्र में सरकार कब

तक चलेगी या उसका कार्यकाल कब तक होगा, क्या इस बात को आप तय करेंगे? यह मेरे कहने का अभिप्राय है। माननीय नेगी जी ने सचमुच में इस प्रस्ताव की भावना को आहत किया है माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को मैं रिकॉर्ड पर लाना चाता हूं।

अध्यक्षः अब कर्नल इन्द्र सिंह चर्चा में भाग लेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह(सरकाघाट)ः माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव आदरणीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में लाए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, Army fights for traditions. आर्मी अपनी रेजिमैंट की ट्रेडिशन्ज में बनी हैं और उनके लिए जी-जान से लड़ाई लड़ती है। इसलिए मैं नेगी जी की बात से सहमत नहीं हूं कि रेजिमैंट का नाम हिमालयन रेजिमैंट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं ...(व्यवधान)... Please listen to me. In our country, name any State जिसके नाम पर रेजिमैंट न हो। In Punjab, we have Sikh Regiment. In Haryana, we have Jat Regiment. ...(interruption)... You name any State in this country. They have a Regiment on their name and people fight for the name of that Regiment. This is our tradition. ...(interruption)... Kindly sit down.

अध्यक्षः कर्नल इन्द्र सिंह जी आप चैयर की ओर सम्बोधित कीजिए।

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल एक छोटी सी स्टेट है। हमारी रेजिमैंट होनी चाहिए। Nagaland is smaller than us in size. They have their own Regiment. They fight for those traditions. Why not Himachal Pradesh? ...(interruption)... We are war soldiers. General Zorawar Singh brought Ladakh for us. Himachalis are great people. I am telling you. When we passed out from the academy, those commissioned officers, who wished to join infantry, opted for Dogra Regiment. Dogra Regiment is known for its loyalty. We have known for our loyalty, integrity and honesty. I strongly feel that we should have our own Regiment and our quota must be increased. The quota must be increased not as per population but यहां पर भर्तियां होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... Thank you very much. It's too late.

अध्यक्षः कर्नल इन्द्र सिंह जी यदि आपने अपनी बात कह दी है तो मैं अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमने कितने मैडल जीते हैं। Everybody knows we fight for the last bullet. मैं एक बात कहना चाहता हूं।। have studied कि post retirement फौजियों को बाकी देशों में कैसा ट्रीटमैंट मिलता है और हमारे देश में कैसा मिलता है

14.12.2018/1445/जेके/एजी/1

there is a difference. General Jaswalji is my classmate. He is the only General of Himachal Pradesh who commanded Northern Army. Where is he today? What is he doing? His talent is being wasted. We must make use of experience and talent of such people. We must exploit that to the maximum for the benefit of the State. मैं माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का 100 प्रतिशत समर्थन करता हूं और इसके विरुद्ध मेरे ख्याल में there should be any iota of doubt in anybody's mind. I think this is the best resolution we should send forward.

Thank you very much, Sir.

अध्यक्षः श्री राम लाल ठाकुर जी।

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो श्री महेन्द्र सिंह जी ने संकल्प यहां रखा है, मैं उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं और उसमें शामिल होना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की अपनी पुरानी गाथा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया है। जो हिन्दुस्तान की फौज है, चाहे वह नेवल हो, इन्फेंट्री हो या एयर फोर्स हो, इन सभी में हिमाचल प्रदेश का योगदान इतिहास में अंकित है। जैसे

राकेश पठानिया जी ने कहा कि विक्टोरिया क्रॉस हिमाचल प्रदेश से हुए हैं, परमवीर चक्र विजेता हिमाचल से हुए हैं और अनेकों ने वीर चक्र भी लिए हैं। हिमाचल प्रदेश की जो हमारी जनसंख्या है जिसके आधार पर हमें फौज में एन्ट्री मिलती है, पहले अगर देखा जाए तो उस वक्त हमारी जनसंख्या थोड़ा कम होती थी लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है बड़े राज्यों की तुलना में ज्यादा नहीं बढ़ी। डोगरा रैजिमैंट का अपना इतिहास रहा है और ये जो डोगरा रैजिमैंट ने एक हिस्ट्री बनाई है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जरूरत इस बात की है कि भले ही प्रदेश हमारा छोटा है लेकिन हमारे खून में सेना में जाने की, भारत के प्रति समर्पित होने की जो भावना है, उसको ध्यान में रखते हुए यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पहले भी यहां से प्रस्ताव गए लेकिन उनकी पैरवी नहीं हो सकी क्योंकि दिल्ली में जब ये जाते हैं तो और बातें सामने आ जाती हैं। मेरा निवेदन है कि जैसे राकेश पठानिया जी ने कहा कि यहां से कुछ लोग इकट्ठे जाते, दिल्ली में जा कर बात करें कि यह हिमाचल प्रदेश के नौज़वानों का, हमारे खून का और जो हमारा पुराना इतिहास है, उसके लिए हम यहां आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप किन्नौर में जाओ तो हिमाचल स्काउट के नाम से हमारा जो बॉर्डर है उसकी वहां पर रक्षा होती है। जिस भी बटालियन के लोग वहां पर जाते हैं,वे हिमाचल स्काउट के नाम से जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे बर्फानी एरियाज़ हैं, जम्मू-कश्मीर का एरिया है, हिमाचल प्रदेश का है और उत्तराखंड का एरिया है तो वहां पर कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए हमारे लोग वहां जाते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि वे वहां पर अच्छे ढंग से दुश्मनों से लड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में वह पोटैंशियल है, हमारे खून के अन्दर वे सारी चीजें हैं कि हम किस प्रकार से देश के लिए बलिदान दे सकते हैं। दूसरे, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई दो साल पहले एक नौजवान सुबेदार शहीद हुआ। उसके पिता जी सुबेदार मेजर रिटायर्ड थे। जब वह फौजी शहीद हुआ तो उसका जो छोटा भाई था, जब उसका अन्तिम संस्कार हुआ तो उस दिन उसने कहा कि मैं फौज में जाऊंगा

और दो महीने के अंदर-अंदर वह नौजवान जालंधर में गया और अपने बड़े भाई की तरह फौज में भर्ती हो गया। जिस घर में बड़ा भाई शहीद हुआ हो और छोटा भाई अपने पिता जी के कहने पर फौज़ में शामिल होने के लिए जालंधर में पहुंच गया हो, मैं यह कहूंगा कि ऐसी हमारे लोगों की सोच है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए, हम सबको इकट्ठे हो कर हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं, हिमाचल प्रदेश का जो सेना में अपना एक स्थान रहा है और आज भी है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे को सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार से इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि कुछ विधायकों की यहां से टीम दिल्ली जाए। मंत्री लोग भी जाएं ताकि दिल्ली में जाकर इस इश्यु को स्ट्राँगली केन्द्र सरकार के समक्ष रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं पुनः जो संकल्प ठाकुर महेन्द्र सिंह जी लेकर आए, उसका समर्थन करता हूं और इनका मुबारकबाद देता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप जी, चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश कश्यप (पच्छाद): माननीय अध्यक्ष जी, आज सरकारी संकल्प के रूप में माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री, ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प इस मान्य सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प माननीय मंत्री जी इस सदन में लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश वीरभूमि है और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल जैसा छोटा-सा राज्य जिसकी 40 लाख की आबादी है उसमें ढाई लाख फौजी हैं। देश की कुल आर्मी जो साढ़े 12 लाख के लगभग है, उसमें ढाई लाख हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिक हैं। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं बताना चाहूंगा कि ये फौजी ही हैं जिनकी बदौलत हम रात को चैन से सो सकते हैं। फौजी सरहदों पर हमारी रक्षा के लिए दिन-रात तैनात रहते हैं। इन्हीं की बदौलत हम रात को

चैन से सोते हैं। जो हम स्थिति आज देखते हैं, हमारे बॉर्डर की स्थिति किस प्रकार की है उसके बावजूद मैं उन बहादुर सैनिकों को सलाम करना चाहूंगा जिनकी बदौलत हमारा देश आज सुरक्षित है। हमारे लिए गर्व की बात है, चाहे वह 1965, 1971 या 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो हिमाचल के वीर सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय इन युद्धों में दिया। हमारा सौभाग्य है कि जब पहला परमवीर चक्र किसी को मिला था तो मेजर सोमनाथ को मिला था जोकि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से ही थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को अभी तक 940 गैलंटरी अवार्डस मिल चुके हैं। कारगिल का जो युद्ध हुआ उसमें भी चाहे हम कैप्टन बिक्रम बतरा की बात करें या कैप्टन सौरभ कालिया की बात करें, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे भी वायुसेना में सैनिक के रूप में काम करने का मौका मिला। साढ़े 16 वर्षों तक मैंने भी इंडियन एयरफोर्स में देश की सेवा की। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय मुझे भी राजस्थान में जैसलमेर सैक्टर, जोकि साउथ-वैस्टर्न एयर कमांड है, उन दिनों मैं वहां पोस्टिड था। मुझे भी कारगिल वार के समय में एक्टिवली पार्टीसिपेट करके देश की सेवा करने का मौका मिला था। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत ही अच्छी मंशा के साथ यह संकल्प इस माननीय सदन में लाया गया है। मैं भी इसका भरपूर समर्थन करता हूं। साथ ही कहना चाहूंगा कि हमें हर विषय के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की बात है यहां के लिए भी हिमालयन रैजीमैंट बने जैसे कि अन्य प्रदेशों में रैजीमैंटस हैं। हमारे जो बच्चे हैं जिनमें जज्बा है और देश की सेवा करना चाहते हैं, हमारा हिमालय जैसा क्षेत्र है, उसके युवा बच्चे

14-12-2018/1455/KS/DC/1

इस प्रकार के रणयुद्ध के लिए हमारे प्रदेश के युवा बहुत ही अच्छे हैं और जो भी हमारे यहां के सैनिक हैं, जब-जब भी देश को उनकी जरूरत पड़ी हमारे सैनिकों ने सदा ही बढ़-चढ़ कर भाग लिया और हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया। मैं भी इस प्रस्ताव का भरपूर

समर्थन करता हूं और हमें इस प्रकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए, इस बात की मैं भी वकालत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री महेन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया, मैं भी उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिला कांगड़ा के बाद सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक जिला हमीरपुर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कांगड़ा और हमीरपुर में ही है, पूरे प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक भी हैं और सर्विस में भी हैं। जहां ये देश की सीमाओं में खड़े हो कर हमारे देश की रक्षा करते हैं वहीं रिटायरमैंट के बाद अपने गांव का विकास भी करते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे कर प्रदेश को हर क्षेत्र में और भी ऊपर ले कर जा रहे हैं। वह चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात हो या घर में या खेत में काम करने की बात हो। आज माननीय सदन में हमारे बीच बहुत से भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं। अच्छी-अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं और उनके परिवार के सदस्य भी यहां बैठे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं। जो संकल्प माननीय मंत्री महोदय यहां पर लाए हैं ये बधाई के पात्र हैं। यह सही है कि जो हमारा कोटा कम हुआ है, इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और एक नयी हिमालयन रेज़िमेंट के गठन की जो आपने बात की, यह भी बहुत आवश्यक है। मैं इसका जोरदार समर्थन करता हूं लेकिन हमें केन्द्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखना पड़ेगा। मात्र यहां पर संकल्प प्रस्तुत करके समस्या का हल नहीं होगा इसके लिए हमें लम्बी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सरकार और विपक्ष के लोग इसके बारे में मिलकर आवाज उठाएं और मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी बात होगी । हिमालय क्षेत्र के लोग वैसे भी जाबांज, मेहनती और ईमानदार होते हैं। कभी भी अपनी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आप का बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगें।

Shri Rakesh Singha(Theog): Hon'ble Speaker, Sir, I rise to support the resolution moved by the Hon'ble IPH Minister, Shri Mahinder Singh Thakur ji, in this Hon'ble House. I would be very brief and of a firm opinion that there has to be a principle for each subject and for each recruitment. This principle cannot be separated where we have population as a base for recruitment, especially for the Army and for the Armed Forces. Therefore, the second question arises that what would be the criteria? I feel the criteria for the recruitment in the Army has to be sacrifice and martyrdom. In this regard, I feel proud that I belong to Himachal Pradesh which has the highest martyrdom in this country. Therefore, this has to be explained to the Government of India that it is not just a question of some small recruitment but it is a question of the defence of this Nation. Therefore, this must be the base for the recruitment and I strongly feel that for this base, we all should join together. Hon'ble Speaker, Sir, I am grateful to you that you gave me the opportunity to speak on this resolution. Thank you.

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगें। आपने पत्र में 10 मिनट लिखा है परन्तु कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

14.12.2018/1500/av/hk/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं भी एक रिटायर्ड फौजी हूं तथा यहां पर हमारे कुछ और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी बैठे हैं। मैं भी प्रथम छात्ताधारी पल्टन विशेष दल जो आजकल पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, का हिस्सा रहा हूं। गर्व की बात है कि उस फोर्स में मैक्सिमम हिमाचली

जवान सेवाएं दे रहे हैं। हमारे जवान फीजिकली फिट व मैंटली प्रीपेयर होने के नाते इस स्पेशल फोर्स में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं जिसको कि 'क्रीम ऑफ इंडिया आर्मी' कहा जाता है। यदि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो कारगिल युद्ध में वहां के चार जवान शहीद हुए और एक मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र की मोरठू पंचायत के हथियां गांव से सरदार सिंह वीरचक्र है। इसके अतिरिक्त मेरे दादा, मेरे फादर और मेरा भाई आर्मी में है। आदरणीय ठाकुर जी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं क्योंकि जितनी भी फोर्सिज है उसमें चाहे आर्मी है, नेवी है या पैरा मिलिट्री फोर्सिज हैं। उनमें अधिकांश ऑफिसर्ज हिमाचल के हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र से भी बहुत सारे ऑफिसर्ज हैं जिस पर हमें फ़क्र होता है। नई रेजीमैंट खुलने से एक फायदा यह भी होगा कि हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उनके अंदर जो एक जज्बा है वह उसको आर्मी में भर्ती होकर दिखायेंगे और हिमाचल का नाम पूरे भारत वर्ष में गूंजेगा। मैं साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारत वर्ष का प्वाईंट आठ प्रतिशत हिस्सा भी नहीं बनता मगर उसके बावजूद कारगिल युद्ध के दौरान मिले चार परमवीर चक्र में दो हिमाचली थे, यह हमारे लिए गर्व की बात है। हिमाचल प्रदेश के जवानों के बारे में मैंने कभी यह नहीं सुना कि उन्होंने कभी इनडिसप्लिन काम किया हो, हमारे जवान बहुत अच्छा डिसप्लिन दिखाते हैं। जब यह पूछा जाता है कि कहां से आए और हमारे जवान बताते हैं कि हिमाचल से आए हैं तो कोई भी ऑफिसर चाहे किसी भी स्टेट का हो वह उसे स्वेच्छा से अपनी टीम में लेता है। किसी भी प्रकार के ऑपरेशन में मैक्सिमम हिमाचली पैराट्रूप्स लीडिंग में होते थे। ...(घंटी)... मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। अतः मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस भावना से ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने यह प्रस्ताव इस मान्य सदन में रखा है, मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं कि सशस्त्र बलों में हिमाचल का राज्य कोटा बढ़ाया जाए और एक नई हिमालयन रेजीमैंट का गठन किया जाए।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र से पुरज़ोर सिफारिश करता है कि सशस्त्र बलों में हिमाचल का राज्य कोटा बढ़ाया जाये और एक नई हिमालयन रेजीमेन्ट का गठन किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार

14.12.2018/1505/TCV/AG/1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरः स्थापना

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् स्थापना और विनिमयन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् स्थापना और विनिमयन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् स्थापना और विनिमयन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् स्थापना और विनिमयन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् स्थापना और विनिमयन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) को पुरःस्थापित करेंगे।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् स्थापना और विनिमयन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) को पुरःस्थापित किया जाए।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् स्थापना और विनिमयन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) को पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-12) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-12) पर विचार किया जाए।

श्री राम लाल ठाकुर(श्री नैनादेवी जी)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं इसके लिए इनको मुबारिकबाद देना चाहूंगा। इसके लिए हमारे विपक्ष के साथी भी इनसे इनके चैंबर में जाकर मिले थे। हमने इनको लिखित तौर पर भी दिया था। ये जो हिमाचल प्रदेश में नौजवानों में बढ़ती हुए नशीले पदार्थों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है और आजकल तो अलग-अलग ढंग से नशीले पदार्थ मार्केट में आ रहे हैं। उनको रोकने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सख्त कानून बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा नार्कोटिक ड्रग्ज एक्ट है, ये केन्द्र सरकार का एक्ट ऑफ 85 है और उसमें जो ये नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है, चाहे वह चिट्टा या आजकल तो चायना से इससे भी ज्यादा खतरनाक पदार्थ म्याऊं-म्याऊं के नाम से आ रहा है। इस कानून में कमर्शियल क्वांटिटी शब्द को निकाला गया है। मैं माननीय सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह इस गैर कार्य को रोकने के लिए काफी होगा? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि In presence of the Central Act जहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट है, जहां तक सेक्शन 19, 24 और 27 का संबंध है, जब प्रोसीजर्ली कोर्ट में केस जाता है, तो इस थोड़ी-सी अमेंडमेंट करने से हमारा मसला हल नहीं होता। यह अच्छी शुरूआत है कि सरकार ने इसको किया है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ग्राउंड रियलटी क्या है यह आपको भी पता है और किस प्रकार से इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी इसमें काम करती है, वह भी आपको मालूम है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मेडिकल की दुकानों या

14/12/2018/1510/NS/YK/1

फार्मेस्यूटिकल से कुछ दवाइयां ऐसी निकल रही हैं और जो नौजवानों को खराब कर रही हैं तो इसके ऊपर और भी ज्यादा सख्त कानून बनना चाहिए। लेकिन यह जो अमेंडमैंट हुई है, माननीय मुख्य मंत्री जी इससे मुझे यह लगता है कि जो हमारी हर्ब्ज़ हैं और मुल्क के अंदर जो सोच चली है और इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने भी आदेश दिए हैं।, लेकिन कई राज्यों में इसके बारे में कुछ और ढंग की सोच चली हुई है कि दवाइयां बनाने के लिए भांग को कैसे प्रयोग करें। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इंटरिम आदेश कर रखे हैं और यह अभी फाइनल नहीं हुए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी, जो सारे प्रोवीज़न इसमें किए गए हैं, कहीं उससे हमारी सारी जेलें औरतों और लड़कों से न भर जाएं। क्योंकि विभाग के पास इतनी ज्यादा केपेस्टिी नहीं है। इस कानून से यहां पर जितने भी साधु संत हैं, वे 90 प्रतिशत अंदर हो जाएंगे। इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए इस कानून का पालन होना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जो साधु संत थोड़ी सी भांग पी लेते हैं और शिवजी भगवान के नाम से बमबम भोले का नारा लगाते हैं, कहीं यह कानून उन्हीं को ही न पकड़ ले। इसके बारे में इंवेस्टिगेटिंग एजैंसी को बताया जाए। इसके बारे में जो सोच चली है और माननीय

उच्च न्यायालय में भी विचार चला है कि क्यों न भांग की खेती को अलौ कर दिया जाए ताकि इसमें जो नशीला पदार्थ है, वह कम हो जाए। इंप्रूवड वैरायटी की भांग से अच्छे कपड़े भी तैयार होंगे तथा कैंसर जैसी बीमारी का ईलाज करने के लिए इससे दवाई भी बनती है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन है कि कहीं ऐसा न हो कि इस कारपेट के अधीन जो हर्ब्ज़ वाला ईश्यू है अगर इन सबको इक्ट्ठा कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा सुल्फे और भांग वाले पकड़े जाएंगे। प्रदेश के कुछ लोग मेलों में जा करके भी घोटा पीते हैं। प्रदेश की जो एजैंसी इस कानून को लागू करेगी या कानूनी तौर पर बांधेगी तो कहीं ऐसा न हो कि छोटे-छोटे उद्योगपति पकड़े जाएं और बड़े उद्योगपति बच जाएं तथा हमारी जेलें कैरियरों से भर जाएं। बड़ा काम करने वाले चंद चांदी के टुकड़ों के लिए सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों को खराब करें। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने शुरूआत की है, लेकिन इसका जो दूसरा भाग है और वह सिंथैटिक ड्रग्ज से संबंधित है तथा जिसकी फार्मेस्युटिकल में दवाइयां बनती हैं, उनके ऊपर सख्ती करने की जरूरत है। इन दोनों को एक ही पैमाने से नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश कारगर होंगे। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा कि यह अमेंडमैंट पहल है और आगे के लिए जो कानून बन गया, उसमें ऐसा नहीं है कि आगे के लिए कोई अमेंडमैंट नहीं हो सकती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें और अमेंडमैंट करनी पड़ेगी। लेकिन आपने जो शुरूआत की है, उसके लिए मैं आपको मुबारकवाद देता हूं।

अध्यक्षः अगर सभी माननीय सदस्य थोड़े-थोड़े समय में अपनी बात रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (कुल्लू)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यहां पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के संशोधन के बारे में विधेयक आया है। मैं, आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस एक्ट के आने से हम ऐसी शक्तियां पुलिस को दे देंगे, तो जो भोले-भाले लोग हैं, ग्रामीण लोग और साधु संत हैं

जोकि हमारी परंपरा का हिस्सा है। पर्यटकों को वैसे भी नाकों में बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है अगर उनकी जेब में 2-2, 4-4 ग्राम माल मिल गया तो टूरिस्ट घूमने कम आएगा और बेल के चक्कर में ज्यादा रहेगा। जो कदम आपने चिट्टे, स्मैक या सिंथैटिक्स ड्रग्स के लिए उठाया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसे और भी कठोर बनाने का प्रावधान होना चाहिए। जिस प्रकास से हमें इस संशोधन को प्रभावी बनाना चाहिए था, वह हम नहीं बना पाए। चिट्टे के मामले को और प्रभावी बनाने के लिए हमें इसमें ज्यादा शक्तियां प्रदान करनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति हो तो पुलिस फोर्स एक सप्ताह में ड्रग माफिया को खत्म कर सकती है क्योंकि यह माफिया, मिलीभगत के बिना नहीं चल सकता। जब एक जेब कतरा दूसरे जेब कतरे के इलाके में जाता है तो डर रहता है जब तक वह पहले ग्रुप से न मिले। उसे एलिमनेट भी कर सकते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया विषय पर बोलिए।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आ रहा हूं। अभी कोर्ट किस तरफ जा रहा है। जनवरी माह में कोर्ट में सी.डब्ल्यू.पी. 83/2018 में एक ऑर्डर आया है कि सरकार को भांग, हैम्प को वयावसायिक व मैडिकल उपयोग के बारे में पॉलिसी बनाने पर विचार करना चाहिए। एक तरफ हम एक ग्राम भांग को भी इतने सख्त नियम में ला रहे हैं कि वह कई दिनों तक कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। जबकि भांग से epilepsy, lung function, alzheimer disease, hepatitis, arthritis, parkinson disease, brain tumor, HIV etc. सहित कई अन्य बीमारियों की रोकथाम होती है, this is medically proven. आज मेडिकल साइंस की सोच है कि इसके ऊपर स्टडी की जाए और कोर्ट ने भी इस पर एक डायरैक्शन्ज देने की कोशिश की है। उत्तराखंड, जे.एंड के. में भी इसके लिए पॉलिसी बनी है। भांग, कैनावीस, हैम्प यह सब एक ही नाम हैं। हैम्प के ऊपर उत्तराखंड नोडल स्टेट बन गया है। Section (14) of the NDPS Act provides that "by special order or

general order a State Government may by such order allow cultivation of any cannabis plant for industrial purpose only for obtaining fiber or seeds or for horticulture purpose". भांग में मन प्रभावी पदार्थ टी.एच. सी. है। भांग में दो कम्पाउंड हैं एक टी.एच.सी.(टैट्रा हाइड्रो कैनाबिडोल) और दूसरा सी.बी.डी. है। अगर आप टी.एच.सी., मन प्रभावी पदार्थ को निकाल दें तो यह पूरी-की-पूरी भांग लीगल हो जाएगी और लीगल होने के बाद इस एक्ट के प्रोविजन में नहीं आएगी। जो सी.बी.डी. है , जितनी भी दवाइयों से इलाज होता है, यह सारा सी.बी.डी. से होता है। इस भांग को लीगल किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि पहले एक अच्छी पॉलिसी भांग पर लाएं और उसके बाद इस अधिनियम को लाया जाए। वरन् साधुसंत के चक्कर में कहीं राम भक्त भी अंदर न चले जाएं। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष जी मेरा माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह है कि इस अधिनियम को या तो डैफर किया जाए या फिर क्लैरिफाई किया जाए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है। अब माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र ठाकुर चर्चा में भाग लेंगे।

14.12.2018/1520/बी.एस./एच.के./-1

श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर)ः माननीय अध्यक्ष जी, नारकोटिक्स पर जो अमेंडमेंट यहां पर लाई गई है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं यहां पर जो डिस्कशन हो रही है जैसे माननीय ठाकुर राम लाल जी ने भी इस पर बोला है, आखिर इसका मूल उद्देश्य क्या है। इसमें कामर्शियल क्वांटिटी को बाहर नहीं किया गया है। पहले इसकी जो क्वांटिटी थी उसमें 10-15-20 ग्राम तक जो चरस होती थी उसमें बेल हो जाती थी । अब जो अमेंडमैंट लाए हैं उसमें जो कामर्शियल क्वांटिटी पर जो बेल का प्रोविजन था वह एक सा हो जाएगा। इनको हमारे संतो की चिंता पड़ी है जो हमारे बच्चे बराबाद हो रहे हैं उसकी चिंता नहीं पड़ी है । आज हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के तौर पर यदि कोई चीज यूज होती है तो वह भांग यूज हो रही है

और भांग को आप वाइफरकेट नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी अमेंडमेंट ला रहे हैं यह बहुत भी अच्छी अमेंडमेंट है। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो बात आ रही है कि जो लोग इसके अडिकटिड हैं जो इसके बिना नहीं रह सकते और कोमर्सियल यूज के लिए अपने पास रखते हैं । वह चाहे 1,2,3 ग्राम जितनी भी हो, पकड़ने पर उन्हें भी जेल हो जाएगी। उनके लिए भी बेल का प्रोविजन नहीं है। यह थोड़ा चिंता का विषय है। इसमें अगर हो सके तो अलग से जो एडिक्टिड लोग हैं उनके कोई अलग से अमेंडमेंट लाई जा सके तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब इस पर कार्रवाई होगी तो हमारी जेलों में अपराधियों के लिए जगह नहीं रहेगी। इसमें यह मेरा थोड़ा सा सुझाव है कि जो एडिक्टिड लोग इसके बिना नहीं रह सकते उनके लिए अलग से अमेंडमेंट लाई जा सके तो सही रहेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप इस अमेंडमेंट का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र ठाकुर : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नशा एक गंभीर समस्या है और कांग्रेस पार्टी का भी एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था । इस बारे में कुछ परिवार मानीय मुख्य मंत्री जी से मिले और कुछ हमारे साथ भी मिले थे। नशै की तरफ जो हिमाचल का युवा अगरसर हो रहा है, उसमें मूलरूप से पंजाब में जो नशे के खिलाफ फांसी का प्रावधान किया गया उसके कारण पंजाब के जो तस्कर थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सीमा के जो एरियाज हैं वहां नशे के कारोबार को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। आदरणीय नरेन्द्र ठाकुर जी और आदरणीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने भी इस बारे में कुछ बातें यहा पर रखी हैं। मूलभूत प्रश्न क्या है? मूल भूत प्रश्न यह है कि सैक्शन 37 में आप अमेंडमेंट ला रहे हैं और सेक्शन 37 में जो कामर्शियल क्वांटिटी है उसमें यह है कि पहले जो ।-2 ग्राम नशा करता था और चिट्टे में 2.50 ग्राम वाले को बेल हो जाती थी। उसमें हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जो 10-15 या 20 ग्राम का नशा करता है उस नशे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाना चाहिए। यह अमेंडमेंट सब सैक्शन 37 के तहत लाई गई है। हम

इसका स्वागत करते हैं। कोस्मेटिक ड्रग्स है, सिंथैटिक ड्रग्स है या कोई अन्य चिट्टा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिट्टे कर एक ग्राम की चार डोज बनती है और जो व्यक्ति दो बार डोज ले लेता है और उसके बाद फिर से दो डोज ले ले तो वह इसका आदि हो जाता है। शिमला के बैमलोई में एक ऐसी घटना हुई कि एक लड़के ने चिट्टे का नशा किया वह बड़े अच्छे परिवार से संबंध रखता था। पुलिस के पास वह केस रजिस्टर्ड हुआ या नहीं पता नहीं, परंतु शिमला में 35-40 लोगों की इस चिट्टे के कारण मृत्यु हुई है। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि जिन लोगों के बच्चे नशा करते हैं वे बताते नहीं हैं। अभी लद्दखी मोहल्ले में कोई 5 दिना पहले ओवर डोज के कारण लड़के की कृत्यु हो गई। अब आपने यह अच्छा समाधान किया है। लेकिन मेरे साथी आदरणीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी की एक चिंता है जो आपके क्षेत्र से भी संबंधित है

14/12/2018/1525/RG/AG/1

सेक्शन-90 में कल्टीवेशन है। भांग तो कहीं भी और किसी भी खेत में हो जाती है। जबकि अफीम में अढ़ाई किलो से कम पर भी बेल हो जाती थी। आपने अच्छा काम किया। लेकिन भांग हमारे गांवों में होती है, धतूरा होता है, भांग के पकौड़े होते हैं या भांग की कुछ और भी चीजें होती हैं। तो उसको कैसे अलग किया जाए। जर्मनी और कनाडा में भांग लीगलाईज की गई है क्योंकि इसका उपयोग दवाइयों में किया जाता है। इस मामले में हमें सोचने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि आपके क्षेत्र में भी भांग होती है। अब एक ग्राम, दो ग्राम या दस ग्राम के साथ कोई पकड़ा गया या सुट्टा मारते हुए कोई पकड़ा गया, देशी भाषा में हम इसको सुट्टा कहते हैं, जैसे कि श्री नरेन्द्र ठाकुर जी कह रहे हैं, सुट्टा मारते हुए पकड़ा गया, तो उसको भी जमानत होने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना पड़ेगा। यानि जब तक पब्लिक प्रोसीक्यूटर उसको सुनता नहीं है, एक-दो महीने के लिए वह अंदर ही रह गया।

माननीय अध्यक्ष जी, यह एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के तहत लाए हैं। समाज में जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है। यदि हम इसको अभी सलेक्ट कमेटी को भेजते हैं और भांग के सन्दर्भ में हम कोई अलग से एक और सेक्शन इन्सर्ट कर देते हैं तो ठीक है और आने वाले समय में जैसे जो बड़े-बड़े भांग के व्यापारी हैं, उसके लिए भी एक क्लॉज बनाया जा

सकता है, अफीम के लिए भी एक क्लॉज बनाया जा सकता है कि जो एक किलो से ज्यादा पकड़ा जाएगा, तो उसको और कड़ी सजा दी जाएगी। क्योंकि इस ऐक्ट के अनुसार एक ग्राम का भी, चिट्टा ठीक है, कॉसमेटिक्स ड्रग्ज ठीक है, लेकिन एक ग्राम भांग भी पकड़ी गई, तो उसको ऐन्टीसिपेटरी बेल क्या, एक-दो महीने तक उसको कोई भी बेल नहीं मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री, आपके अधिकारी यहां बैठे हैं, ऐसा न हो कि हमारे युवा जो भांग के नशे में रहें, वे जेलों में भर दिए जाएं। श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी की बात बिल्कुल सही है। अब अगला बजट सत्र आने वाला है, आप इस मामले में एक सलेक्ट कमेटी बना दीजिए जिसमें हम लोग बैठकर तय करें कि 10 या 20 ग्राम तक कोई ऐक्शन न हो और बेल हो सके। इस प्रोविजन को इसमें किया जाए। आपने यह ऐक्ट लाया। आपको बहुत-बहुत मुबारक़ हो, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी बिल आए, तो वह समाज या जनमानस की भलाई के लिए हो। कहीं ऐसा न हो कि उसका गलत दुरूपयोग पुलिस के द्वारा किया जाए। इसलिए यदि आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेजेंगे तो बजट सत्र में विस्तृत विचार-विमर्श करके इस पर चर्चा की जा सकती है और इसको पास किया जा सकता है। मैंने यही कहना था। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री राकेश पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश पठानिया(नूरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैंने भी इस बिल को बहुत गंभीरता से पढ़ा है और विशेष तौर पर आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें अपना मैसेज भी दिया है, उस स्टेटमेंट को भी मैंने पढ़ा है। मैं केवल एक-दो मिनट ही लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, it is a very bold decision. कम-से-कम हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार ने पहली बार इतना बोल्ड डिसीजन लिया है। अब नशा चाहे सौ ग्राम का हो या एक ग्राम का, offence is offence, आप एक खून करो या दस खून करो, फांसी तो लगनी ही है। ....(व्यवधान).....सुक्खु जी, मैंने आपके समय कुछ नहीं बोला। I am just expressing my opinion. Everybody has a right to express his opinion.

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो ठीक है कि आपने इस बिल को बहुत स्ट्रौंग कर दिया है। Nobody will get bail for any amount of drugs at this level. लेकिन मेरा अपने सारे मित्रों से निवेदन है कि अगर हमने इन ड्रग्ज के बारे में कुछ करना है तो we will have to

take a bold decision. अगर ऐसा कहो कि इसको रख लो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको रख लो, तो ...(interruption)... I understand tourist. ऐसा है कि जब मणिमहेश का सीजन आता है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र से लेकर चम्बा तक के रूट में हजारों बाबा जाते हैं और कोई भी ऐसा बाबा नहीं होगा जिसकी जेब में दो गोलियां नहीं होंगी। जब वे सुल्फा पीते हैं तो बाबा भोले का नारा भी लगता है और जब सिगरेट एक-दूसरे के साथ पास होती है, उसमें हमारे नौजवान बच्चे भी जाकर बैठते हैं। वहां माथा टेकते हैं और सौ रुपये चढ़ाकर आते हैं। वे बाबा तो चले जाते हैं लेकिन वहां से उस बच्चे को आदत पड़ती है। वह दो महीने सीजन चलता है। वहां से उनको सुट्टा लगाने की आदत पड़ जाती है और फिर वह सुट्टा वाला यह नहीं देखता कि वह चिट्टा खा रहा है या सुट्टा लगा रहा है। Drug is a drug. So when you start it from somewhere, you have to take a bold decision. If you have taken a bold decision, stick to it. क्योंकि अभी यह आपको भारत सरकार को भेजना है, but let a message go to the Himachal Pradesh youth अगर इतना सा भी ट्राई किया तो अंदर होगा और सारी उम्र जमानत नहीं

14/12/2018/1530/MS/DC/1

होगी। जब तक आप यह मैसेज नहीं देंगे तब तक इस चिट्टे की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा स्ट्राँग स्टैप लिया है। I support the cause and I request the Hon'ble Chief Minister to move it to the Government of India for the quick implementation. Thank you.

अध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी भाग लेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान(शिलाई)ः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी को बिल में संशोधन लाने के लिए बधाई देता हूं। यह जो संशोधन आया है इसमें कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्ज के साथ पकड़ा जाएगा तो इस बिल में संशोधन यह किया गया है कि जज को उसको बेल देने से पहले सरकारी वकील की बात को सुनना पड़ेगा। इस बिल में सिर्फ यह संशोधन है। इसमें जो कमर्शियल क्वांटिटी है वह तो चेंज हुई ही नहीं है।

...(व्यवधान)... यह मुख्य मंत्री जी बताएंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जो प्रोफैशनल ड्रग्ज वाले हैं जिनका काम ही यही है उनको रोकने के लिए यह एक कड़ा कदम उठाया गया है। अब जिक्र कर रहे हैं कि बाबा या फलां की वजह से ऐसा होता है। मैं कहता हूं कि जो भी व्यक्ति प्रोफैशनल नहीं है अगर वह पहली बार पकड़ा जाएगा तो जजिज भी उसके प्रति लिबरल व्यु लेते हैं और उस व्यक्ति की बेल हो जाती है। जैसा कहा कि जिनको एडिक्शन है, वे भी रखते हैं। अगर ऐसा है तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखो और भाग/अफीम भी रख लो। तो हर चीज का एक प्रोसैस है। मगर प्रश्न यह है कि हम कानून जो मर्जी बना लें लेकिन कानून को इम्प्लीमैंट किसने करना है? कानून को इम्प्लीमैंट पुलिस ने करना है। अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता ने सही कहा कि बॉर्डर एरिया की जो हमारी पुलिस है, चाहे सिरमौर, सोलन, बद्दी-बरोटीवाला, ऊना या कांगड़ा की है, सब करप्ट हो चुकी है। पुलिस का सिस्टम करप्ट हो चुका है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह आपके समय में हुआ है। वह विद द पैसेज पिछले 15-20 सालों से सिस्टम करप्ट हुआ है। कोई भी क्राइम या तस्करी जो एक जगह से दूसरी जगह होती है, उसमें मैं कह सकता हूं कि 80 परसेंट वह पुलिस वालों की छत्रछाया में होती है। अब सरकार आपकी है और आप इस संशोधन को पास कर देंगे। कागज़ में संशोधन करके कानून बन जाएगा लेकिन मौके पर कितना इम्प्लीमैंट होगा, वह बिल्कुल नहीं होगा। वह सरकार और पुलिस की इच्छा-शक्ति पर डिपैंड करेगा।

मैं मुख्य मंत्री जी एक और बात आपसे कहना चाहता हूं और यह बात मैं अपने तुजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं। मैं वर्ष 1993 में विधायक बना। हम आज कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए लेकिन जब गुण्डे/बदमाश या ड्रग्ज का धंधा करने वाले पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले वे हमें फोन करते हैं कि हमें छुड़वाओ। मैं अपने तुजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि हरेक चुनाव क्षेत्र में ऐसे लोग हैं और वे सबसे पहले छत्रछाया राजनीतिज्ञों की चाहते हैं। चाहे वह कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो और सबसे पहले हमें कहते हैं कि हमारी क्वांटिटि कम करवा दो। हम पुलिस को बोलते हैं और पुलिस वाले एक के बजाए 10 लोगों की क्वांटिटि कम करते हैं। तो यह एक मिलीभगत है। जो कहते हैं कि "P" politicians and police. हमारी वजह से यह सिस्टम खराब हुआ है। अगर हमने इस सिस्टम को ठीक करना है, इस सोसाइटी से क्राइम को कम करना है तो मैं कहना चाहता

हूं कि हम सब लोगों को मिलकर जो तस्कर हैं, गुण्डे/बदमाश या डकैत हैं, उन्हें संरक्षण नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते हैं। उनका सिर्फ अपना काम निकलना चाहिए और अपना कारोबार चलना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि पौंटा, कालाअंब और बद्दी बरोटीवाला इत्यादि बॉर्डर एरियाज में 15-15 सालों से कॉन्स्टेबल और हैड-कॉन्स्टेबल उन्हीं थानों में घूम रहे हैं। अगर आपमें इच्छा-शक्ति है तो आप ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट बनाओ जो बॉर्डर एरिया में कई वर्षों से तैनात हैं। उनको उठाकर कठिन एरिया में लाइन में बिठाओ और फिर देखों आपका सिस्टम कैसे ठीक नहीं होता है। इसलिए इच्छा-शक्ति की भी जरूरत है। आपने संशोधन लाया है, यह बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे कि इसमें और भी संशोधन लाए जाएं ताकि तस्करी और ड्रग्ज का चलन कम हो सके। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री राकेश सिंघा जी भाग लेंगे। मुझे लगता है कि अब सबका विषय आ गया है।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग)ः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया।

मुख्य मंत्री जी को सब मुबारिकवाद दे रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि मुबारिकवाद देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ...(व्यवधान)... सुन लीजिए कि यह है क्या। हाई कोर्ट में केस आया और हाई कोर्ट ने सर्टन डायरैक्शन्ज पास कीं और उसके बाद क्या कहा ' who are apprehended with small quantity of drugs'.

14.12.2018/1535/जेके/डीसी/1

जो कम हुआ है उसको भी आप बगैर सुने ज़मानत नहीं दे सकते। हमने क्या बोला, हमने बोला 'make the provisions of the Act more stringent and deterrent, there is a need to be prescribe same procedure for obtaining bail in all the offences under the Act'. अब इसका हमने क्या stringent कर दिया और क्या deterrent कर दिया? कुछ नहीं किया। एक ऐसा एक्ट खोदा पहाड़ निकली चुहिया। Exactly what I am

telling you. जब मैंने बोला, मैंने कहा कि time & space के साथ कानून परिवर्तित करने हैं। आज की तारीख में चिट्टे के लिए NDPS का कानून नहीं चल सकता। आपको NDPS के कानून को छोड़ कर चिट्टे के लिए जो सिंथैटिक ड्रग है separate Act enact करना है इस हाऊस को, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश की अलग सी परिस्थिति है। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये अपने आपमें सफिशिएंट नहीं है। आपका 'Aim and Objective' खुद कहता है कि deterrent होना चाहिए यानि वह और सख्त होना चाहिए। हमने इसको कहां deterrent किया? कुछ नहीं किया लिपापोती कर दी। मिल मिला करके इसमें होना क्या है ? अंत में यही होना है कि जो हिमाचल प्रदेश की भोगौलिक परिस्थिति है, जिसका जिक्र ठाकुर राम लाल जी ने भी किया और कुछ माननीय सदस्यों ने भी किया। यह चिट्टा वाला नहीं होना है लेकिन बेगुनाह वाला इसमें फंस जाएगा। इसलिए the two things have to be distinguished. जो सिंथैटिक ड्रग है a separate Law needs to be enacted for it. अगर हम इस कानून को अमैंड करते हैं,उसमें कांस्टिच्युशनल प्रोविजन्ज़ है। हम तो कर नहीं सकते हैं। Ultimately it is a Central Act. सेन्ट्रल एक्ट को अमैंड करने के लिए no doubt the Constitution gives the right to amend it probably under Article 245 of the Constitution. लेकिन उसमें प्रेजिडैंट के साइन चाहिए। अगर हम सीरियस है, अगर राजनीति करनी है तब तो कह देंगे कि चिट्टे वालों का कल से कुछ नहीं होगा। यह तो सिर्फ राजनीति करना हुआ। लेकिन if we are serious कि उसको हमने रिमूव करना है। उसको चैक करना है तो then the Law Department must give a serious Act जो उसको डिस्टिंग्विश करें, वह तरीका है। इसलिए मैं आपकी मंशा के बिल्कुल साथ हूं लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो यहां पर अमैंडमैंट लाई गई है वह सीधी सैक्शन 37 पर लाई गई है। Section 37 is regarding granting of bail. जो हमारा 1985 का मेन एक्ट है, सेन्ट्रल एक्ट NDPS है, जो आप आज अमैंडमैंट लाने जा रहे हैं that is already in that Act. Section 37 is very clear , everything is very clear in this Section. For the

convenience of this Hon'ble House, I shall read only the parent Act जो हमारा 1985 का सेन्ट्रल एक्ट है। वह क्या कहता है कि :

[37. Offences to be cognizable and non-bailable.- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),-

(a) every offence punishable under this Act shall be cognizable:

(b) no person accused of an offence punishable for [offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity] shall be released on bail or on his own bond unless-

(i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and

(ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(2) The limitation on granting of bail specified in clause (b) of sub-section (l) are in addition to the limitations under the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) or any other law for the time being in force on granting of bail.].

अमैंडमैंट में आप वही चीज ला रहे हैं। 1985 का हमारा सेन्ट्रल एक्ट है।

14.12.2018/1540/SS-HK/1

[**37. Offences to be cognizable and non-bailable.**- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),-

(a) every offence punishable under this Act shall be cognizable:

(b) no person accused of an offence punishable for [offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity] shall be released on bail or on his own bond unless-

(i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and

(ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(2) The limitation on granting of bail specified in clause (b) of sub-section (I) are in addition to the limitations under the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) or any other law for the time being in force on granting of bail.].

बिल्कुल सिमिलर है। In my opinion I may be wrong, in my opinion there is no difference in both these. ठीक है, सिंघा साहब ने बात की। जो हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी, वह आपने यहां स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्टस एंड रीज़न में बता दिया कि हाई कोर्ट की ऐसे-ऐसे एक जजमैंट है उसके बाद in order to make the provisions of the Act more stringent and deterrent, there is a need to prescribe same

procedure for obtaining bail. There is nothing because the amendment which you are bringing today that is already in the Central Act ND&PS Act 1985.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, ठीक है, आपका विषय आ गया।

Sh. Mohan Lal Brakta: Otherwise, I am also supporting the amendment. इसके लिए कानून सख्त होना चाहिए जो आजकल ऑफैंस चले हुए हैं। जो आजकल नशाखोरी चली हुई है इसके खिलाफ सख्त-से-सख्त कानून बनना चाहिए। परन्तु जहां तक अमैंडमैंट का संबंध है in my opinion this is no amendment.

अध्यक्षः श्री रमेश चंद ध्वाला जी, आप शीघ्रता से अपनी बात रखें।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। यह ठीक है कि आजकल सिर्फ एक बच्चे का कंसैप्ट है। पिछला चार-पांच बच्चों का कंसैप्ट खत्म हो गया है। मैं ठाकुर साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि इसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाए। अल्टीमेटली लोग हमें ही फोन करते हैं कि अब फंस गए। इसलिए सैक्शन-37 में जो प्रोविजन किया जा रहा है कि इसमें जमानत नहीं होगी, इससे बच्चों का भविष्य खराब होगा। अगर वह पढ़ा-लिखा भी होगा तो उसको जिन्दगीभर नौकरी नहीं मिलेगी। यहां पर जो पहले एस0पी0 थे उन्होंने जिला कांगड़ा में कम-से-कम 50 केस बनाए हैं। वे केस भुगत रहे हैं। एक बच्चे को नौकरी मिली, वह मेरा पड़ोसी था, उसके खिलाफ केस चला हुआ है। तो इसको गम्भीरता से लिया जाए। चिट्टे वगैरह के बारे में मैं भी सहमत हूं। हमारे क्षेत्र का एक लड़का बाघा बॉर्डर पर गया था, वहां उस गांव के कम-से-कम 42 लड़के चिट्टे से खत्म हो गए। सिर्फ 18 नौजवान बच्चे वहां बचते थे। चिट्टे के ऊपर या अन्य कोई नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए लेकिन इसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाए जो सैक्शन-37 में प्रोविजन किया जा रहा है कि अब पांच ग्राम या दस ग्राम मादक पदार्थ मिलेगा तो जमानत नहीं होगी। अगर किसी से कोई दुश्मनी होगी और कोई मादक पदार्थ जेब में डाल देगा तो वह फंस जायेगा। तो इसमें गम्भीरता से विचार किया जाए। ठाकुर साहब ने ठीक कहा कि इसे 15-20 दिन के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए और कमेटी डिसाइड करे कि इनमें जो-जो

कमियां हैं उनमें यह सुधार किया जाए। हमें बिगड़े हुए बच्चे सुधारने चाहिएं। अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो बिगड़े हुए बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। अगर आप मौका नहीं देंगे तो फिर वे जेल में सड़ेंगे। जेलों में अंदर जगह नहीं रहेगी। ऐक्ट में संसोधन के बजाय बच्चों को सुधारना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे जिस संगत में चले जाते हैं वैसा ही काम-धंधा करते हैं इसलिए इस संशोधन को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मैं इससे सहमत ज़रूर हूं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जिन 40-50 बच्चों के खिलाफ पहले केस बनाए गए, अब पता नहीं पांच साल या कितने साल केस चलना है, अब उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब हर घर में एक-एक बच्चा है, चार-पांच बच्चों वाला कंसैप्ट खत्म हो चुका है। अगर एक बच्चा जेल में होगा तो उसका बाप क्या करेगा? ...(व्यवधान)... नशे को लीगलाइज नहीं कर सकते लेकिन हमको समाज के साथ भी चलना पड़ेगा। हम सब आत्मचिंतन करें कि

14-12-2018/1545/KS/HK/1

रात को कितने लोग शराब पीते हैं? इसलिए इसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाए और इस बिल को पैंड किया जाए। इसमें सलैक्शन कमेटी बनाई जाए जो डिसाइड करेगी । जो आप धारा-37 में प्रोविज़न कर रहे हैं, इसमें कोई जमानत नहीं होगी। सारे आपके पास आएंगें कि मेरे बच्चे को छुड़वा दो। जब पुलिस वाले शराब पकड़ते हैं तब भी तो लोग हमें ही फोन करते हैं और उनके पास अगर एक पेटी होती है तो कहते हैं कि मेरे पास तो दो बोतलें ही है। वे हमें फोन करते हैं। इसलिए इसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाए। यह कुछ लोगों के साथ अन्याय भी होगा, बदले की भावना से भी ऐसे काम होंगें। मैं बिल के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद न बीड़ी पीता हूं, न शराब पीता हूं, न मैं मीट-मच्छी खाता हूं। मैं इस बिल से बिल्कुल सहमत हूं परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 50 बच्चों को यहां पर पहले ही जेलों में डाला जा चुका है और पांच-पांच या दस-दस ग्राम भांग उनके पास पकड़ी गई है जिसकी वजह से वे आज जेलों में हैं। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा कठिन विषय है। यह करना भी चाहिए लेकिन नहीं भी करना चाहिए। इस बिल को यहां लाने के पीछे बहुत सोच-विचार किया

गया। यह हमने कोई बड़े अच्छे मन से नहीं लाया, इस प्रकार की एक विवशता, एक परिस्थिति हमारे समाज व प्रदेश के सामने पैदा हो गई है। हम इस बात से भी सहमत है कि पहले से कानून बने हुए हैं और तमाम चीजों का उनमें भी प्रावधान है और खासतौर से जो आज के इस बिल पर यहां पर चर्चा कर रहे हैं, इसका भी कानून बना है, एग्जिस्ट कर रहा है और वह लागू भी होता है लेकिन उसके बावजूद विषय यह है कि उस कानून का डर क्यों समाप्त हो रहा है? वह समाप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ थोड़ी-बहुत अभी भी इस प्रकार की गुंजाइश है जिसका लोग फायदा ले रहे हैं। हमारी मंशा यह है कि उस गुंजाइश को कम किया जाए। बहुत सारे जो लॉ बैकग्राउंड के लोग हैं, मैं तो लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूं लेकिन हमने इस पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यहां पर बात भी कही कि ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिन्जैंट कर दिया। हम कह रहे हैं कि शुरूआत करने का अवसर आ गया है। जो इसमें पहले से प्रोविज़न है, ऐसा भी नहीं है कि हमने उसमें बहुत बड़ा चेंज किया है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिन्जैंट किया है लेकिन आम तौर पर यह होता था कि जो भी पकड़ा जाता था, कमर्शियल क्वांटिटी का इशू आता था कि यह है या नहीं है। उसकी आड़ में यह होता था कि कोर्ट में उसको जमानत मिलने की सम्भावना बढ़ जाती थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में जो प्रावधान किया गया है, उसमें हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि अब प्रावधान किया जा रहा है कि प्रत्येक केस में जमानत देने से पूर्व कोर्ट सरकारी वकील को अवश्य सुने। पहले क्या था कि उसे सुना नहीं जाता था और बिना सरकारी वकील के जमानत हो जाती थी। उसका बहुत बड़ा एडवांटेज उस आदमी को मिल जाता था जो इसमें पकड़ा जाता था।

सरकारी वकील को सुनने के बाद कोर्ट अपने विवेक के अनुसार फैसला देने के लिए स्वतंत्र होगा, यह प्रावधान भी पहले से ही है लेकिन सरकारी वकील को सुनना अनिवार्य कर दिया, यह बात अब इस बिल में कही है।

अभी यह है कि सरकारी वकील को छोटी मात्रा में सुनना जरूरी नहीं है। अगर आप भांग में रिलैक्सेशन देने की बात कह रहे हैं तो उससे बनने वाले चरस को रोकना भी मुश्किल होगा। मगर मैं आपके बीच में यह कहना चाहता हूं कि यह मामला चर्चा हेतु अलग से लाया जा सकता है मगर इसमें संशोधन का स्कोप बहुत लिमिटिड है क्योंकि हमने अभी शुरुआत की है। मैंने यहां पर जिसका जिक्र किया कि हमारे पब्लिक प्रोसिक्युटर को सुनना जरूरी है; इस प्रावधान को जोड़ना जरूरी है नहीं तो उसके बिना ही उनकी जमानत हो रही थी। इसमें सजा के प्रावधान यह है कि चरस और भांग अगर सौ ग्राम से कम मात्रा में पाई जाती है तो उसमें 6 महीने की कैद के साथ 10000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अफीम के मामले में अगर 25 ग्राम तक की मात्रा पाई जाती है तो 6 महीने की कैद या 10000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। हेरोईन के केस में 5 ग्राम के साथ पकड़े जाने पर 6 महीने की कैद के साथ 10000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। गांजा में एक किलोग्राम के साथ पकड़े जाने पर 6 महीने की कैद या 10000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। चूरापोस्त में एक किलोग्राम के केस में 6 महीने की कैद या 10000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। इस संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े जाने की स्थिति में एवं अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध में पब्लिक प्रोसिक्युटर को सुने बगैर जमानत न देने का प्रावधान है। अब जहां तक सिंघा जी कह रहे थे कि अगर हम एकदम स्ट्रीन्जैंट कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि सैंट्रल ऐक्ट के अनुसार इसमें कुछ लिमिटेशन्ज हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसको यहां पर पारित कर दिया और यह लागू हो गया। हमें केंद्र को भेजकर इसकी स्वीकृति का इंतजार करना पड़ेगा जिसके लिए हम कोशिश करेंगे। अगर हम इस तरह का संदेश नहीं देंगे कि अब कानून सख्त हो गया है, यदि गलत करोगे तो पकड़े जाओगे और जमानत नहीं मिलेगी। वरना इस सारे कारोबार को बहुत बड़ा बल इसलिए मिल रहा है कि अगर पकड़े जायेंगे तो क्या पर्क पड़ेगा, जमानत तो हो ही जायेगी। मुझे लगता है कि इस

साइकोलोजिकल इम्पैक्ट को आने देना चाहिए कि कानून सख्त हो गया है। हमारे कुछ मित्र यहां पर इस संदर्भ में एक सलैक्ट कमेटी के गठन का जिक्र भी कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर ऐसा हो जायेगा तो पुलिस विभाग में इसके मिसयूज का स्कोप बढ़ जायेगा। इस बात को लेकर भी आशंका व्यक्त की जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति निर्मित होने से हम सब लोग रोकेंगे, पुलिस अधिकारी रोकेंगे। अगर उसके बावजूद भी इसका मिसयूज होता है तो इसमें भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि जब कमर्शियल क्वांटिटी से दो या तीन ग्राम कम मिल रही है तो भी शक पुलिस पर जा रहा है कि उसने दो या तीन ग्राम कम कर ली और उसे बचा लिया तथा उससे अपना हिसाब-किताब कर लिया। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है मगर फिर भी हम इस प्रकार की बातें लोगों से सुनते हैं। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमें इस दौर से गुजरना पड़ेगा।

14.12.2018/1555/TCV/AG/1

जिस प्रकार से माननीय सदस्य हर्षवर्धन चौहान और बाकी सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी बात रखी है, ये रोजमर्रा की बात है। माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने भी अपनी बात कही की शराब की एक पेटी पकड़ी जाती है, लेकिन दो बोतलें लिखवाने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन आखिरकार हमें भी रूकना पड़ेगा। कई बार हमारे पास भी लोग आतें, किसी के मां-बाप रोते हुए आते हैं कि उनका बच्चा पकड़ा गया है और वह जेल में है। आप सरकार है आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बारे में उनकी ये धारणा है। हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है। वे फोन करने के लिए स्ट्रेस करते है लेकिन हम फोन करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ये सारी चीजें तो आती ही रहेगी। हमें यह मानकर चलना पड़ेगा और आखिरकार एक दिन इन सब चीजों के लिए न करनी पड़ेगी। यदि हम न नहीं करेंगे और दुविधा में झुलते रहेंगे तो वह बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें बहुत सख्त प्रावधान नहीं है। इसमें हमने प्रावधान यही किया है कि इसमें जो पब्लिक प्रोसीक्यूटर है, उसको कोर्ट को सुनना पड़ेगा और बिना सुने पहले जो जमानत हो जाती थी वह नहीं हो

पाएगी। ये अभी शुरूआत है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, आने वाले समय में केन्द्र सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। केन्द्र को भी आने वाले समय इस कानून में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को पारण के लिए प्रस्तुत करता हूं। मैं सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की है। लेकिन मेरा आग्रह है कि इसको अन्यथा मत लीजिए। एक शुरूआत के तौर पर संदेश देने की आवश्यकता है कि यदि पकड़े जाओगे तो बिना जमानत छूटोगे नहीं, जमानत तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जिस परिभाषा में लाया गया है, जिस संदर्भ में लाया गया है, वह प्रावधान शुरूआती तौर पर हमने किया है और आज की तारीख में यह संदेश देने की बड़ी आवश्यकता है। इसके बारे में जिन माननीय सदस्य ने समर्थन किया या सुझाव दिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मंशा और विचार अच्छे हैं, सभागार में जिन्होंने विचार रखे, उनकी नियत भी अच्छी है। समाज में जब कोई भी कानून बनता है और कोई भी संशोधन होता है तो वह अच्छे के लिए ही होता है। मैं इतना ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपने कमर्शियल क्वांटिटी का सबस्टिच्यूट किया है। पहले 250 ग्राम से नीचे नशीला पदार्थ पकड़े जाने पर बेल हो जाती थी और एक किलोग्राम से नीचे यदि चरस पकड़ी जाती थी तो भी बेल हो जाती थी। उसमें पब्लिक प्रोसीक्यूटर को सुनने की पॉवर का आपने एक्ट लाया है। मेरा मानना यह है कि आपने जो संशोधन लाया है, वह अच्छे के लिए लाया है। आज नशे की किस्में कितनी हो गई है? आपने अच्छा कदम उठाया, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप एक दिन में एक और सैक्शन इसमें जोड़ सकते हैं, जो हमारी परम्पराओं से जुड़ा हुआ है। आज आप एक एक्ट लाकर कल ही कमेटी की रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। मैं सिर्फ भांग की बात कर रहा हूं। चिट्टे के लिए यदि आप फांसी की सजा देते हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी आपका पूरा समर्थन कर रही है।

14/12/2018/1600/NS/AG/1

कोस्मेटिक और सिंथैटिक ड्रग्ज़ के लिए हम भी समर्थन कर रहे हैं। मैं आज फिर यह बात माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी के ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि जब कानून बन जाएगा तो भांग को आपके क्षेत्र से ले करके पूरे हिमाचल प्रदेश में कई लोग इसको दवाई के रूप में

प्रयोग करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जीभ में भांग और अफीम का टेस्ट करवा देते हैं। मेरा मानना है कि आप जब 24 घंटों के अंदर कानून बना रहे हैं तो एक कमेटी का गठन करके इसको हम कल भी प्रेजैंट कर सकते हैं और यदि किसी के घर में 10 ग्राम या इससे नीचे की क्वांटिटी की भांग पाई जाती है तो उसको सजा हो सकती है। सदन के सभी माननीय सदस्य सहमत हैं; इस मामले में हम सब बैठ सकते हैं। माननीय सदस्य नरेन्द्र ठाकुर जी भी इस बारे में काफी अच्छा ज्ञान रखते हैं। ---(व्यवधान)--- हिमाचल में पहाड़ की स्थितियों में यह वे ऑफ लाईफ है। मूढ़े में भांग डाली जाती है। आपने यह तो मैंशन ही नहीं किया कि मल्ली भी भांग है। मेरा, माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि जल्दबाजी में इस पर फैसला न लें। आप इसको कल दोबारा लाएं और इस पर फिर से चर्चा करें। यहां पर आपके अधिकारी बैठे हैं और आप इसके लिए सलैक्ट कमेटी बनाएं तथा हम लोग बैठ कर इसको कल ही प्रेजैंट कर देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरा आपसे पुनः निवेदन है। क्योंकि यह विषय समाज से संबंधित है।

अध्यक्षः माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी हो गया। आपने विषय रख दिया है। इस पर लगातार चर्चा हो रही है।

सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय दीजिए। समाज के लिए एक्ट बन रहा है। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि "स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-12) पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।"

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खंड 2 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्य यह है कि खंड1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि "स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-12) को पारित किया जाए।"

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-12) को पारित किया जाए।"

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-12) को पारित किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि "स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-12) को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार

बिल "स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-12) पारित हुआ।"

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि " हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-13) पर विचार किया जाए।"

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि " हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-13) पर विचार किया जाए।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि " हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-13) पर विचार किया जाए।"

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से पहले छोटा दुकानदार दस लाख रुपये की टर्नओवर पर जी0एस0टी0 कटवाता था और अब इस एक्ट के तहत उसकी लिमिट बीस लाख रुपये तक चली जाएगी। इसके लिए मैं

सरकार को बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारे छोटे व्यापारियों को इससे बहुत राहत मिलेगी। सरकार का टैक्स पेयर कंपेनसेशन जो लगभग 75 लाख रुपये फिक्स क्राइटिरिया था,

14.12.2018/1605/RKS/AG-1

इसको बढ़ाकर आप एक करोड़ रुपये तक ले जा सकते हैं। इसमें जो लोग छोटा कारोबार करते थे उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं देख रहा था कि इस बिल के आने से छोटा व्यापारी quarterly return भर सकता है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि यदि टैक्स रिटर्न में भी quarterly return का प्रावधान किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः श्री राकेश सिंघा जी।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग)ः माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं उसका एक कारण यह भी था। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि आज से पहले इतना जटिल कानून नहीं आया। यह कानून इससे पहले भी जल्दबाजी में लागू हुआ जिसके कारण छोटा उद्योग तबाह हो गया और कोरपोरेट मजबूत हुआ। 5 नवम्बर, 2018 गैजेट नोटिफिकेशन्ज में अभी इस पर ओर्डिनैंस आया है और इस ओर्डिनैंस की लाइफ 6 महीने है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें इस पर चर्चा करने के लिए समय दें। यह एक गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न को जल्दबाजी में पास कर नम्बर तो बढ़ा दिया जाएगा कि हमने इतने कानून पारित किए। लेकिन उसका परिणाम क्या होने वाला है, वह चीज खतरनाक है। हमारा कर्त्तव्य क्या है और हिमाचल के पक्ष में हम क्या कर सकते हैं इसमें यही सुझाव दिया गया है। मैंने इस बिल को बहुत अध्ययन करने की कोशिश की। मैंने मेन एक्ट को भी निकालने की कोशिश की और मुझे लगता है कि बहुत से प्रावधानों में आज भी गुंजाइश है जिसके तहत छोटे उद्योगों को हम हिमाचल प्रदेश में बचा लेंगे। अगर यह बिल इसी रूप में पारित करना है

तो आप पास कीजिए। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। न मेरी सरकार बननी है और न ही गिरनी है। आप इसे पास कीजिए परंतु आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारे पास अभी समय है और बजट सत्र में इस बिल पर अच्छी तरह चर्चा की जाए और जो भी हिमाचल प्रदेश के हित में सुझाव हो उसकी तैयारी करके इस बिल को चर्चा के लिए लाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-13) पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 32 तक विधयेक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खंड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-13) को पारित किया जाए।"

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरलीकरण की दृष्टि से इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। राहत देने के लिए जैसा माननीय सदस्य श्री राकेश

पठानिया जी ने कहा कि 10 लाख की लिमिट को 20 लाख तक पहुंचाना है और छोटे उद्योग बंद नहीं किए जाएं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जी.एस.टी. कौंसिल की सिफारिशें हैं और इन्हें पूरे देश ने लागू किया है। इस बिल में कोई संशय नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बिल छोटे लोगों और हिमाचल प्रदेश के छोटे व्यापारियों के हित में है।

14.12.2018/1610/बी.एस./DC./-1

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-13) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-13) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-13) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-13) पारित हुआ

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमालच प्रदेश निक्षेपकों के हित को (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-14) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमालच प्रदेश निक्षेपकों के हित को (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-14) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः **प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि** "हिमालच प्रदेश निक्षेपकों के हित को (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-14) पर विचार किया जाए।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही है और इसमें गंभीतरा से कार्य भी हुआ है। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि यह जो बिल का पहला पृष्ठ है उसका बी सैक्शन है उसमें जो सैकिंड लास्ट लाइन है जो पढ़ी जाती है from interest, bonus, profit or any other form but does not include. We want you to add dividends with interest & bonus. इसके साथ ही आपको इस कार्य के लिए मुबारकबाद देता हूं। इस संशोधन की इसलिए भी असवश्यकता थी कि आज की तारीख में ठगने का कार्य बहुत चल पड़ा है। उस ठगी में जो गरीब आदमी है बहुत से धोखे में आ जाते

हैं। चिटफंड्स आर्रेनाइजेशन बहुत स्थानों पर खुली हैं। इसमें मैं समझता हूं कि जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक को पावर दी है कि इस बिल के आने के बाद वे जो भी नॉन बैंकिंग संस्थानों को चला रही हैं उनको रिपोर्ट करेगी। मैं चाहता हूं कि इसमें एक और प्रावधान डाला जाए कि जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को ऐसी संस्थाएं जो उनके जिलों में चल रही हैं उनको समन करने की भी आवश्यकता है। यहां वन वे हमने कहा कि जो इस तरह की संस्थाओं को चला रहे हैं वे रिर्पोट करेंगे और 3-3 महीने के बाद उनका पूरी जानकारी प्रदान करें कि वे कहां कारोबार कर रहे हैं । क्योकिं ये अधिकतर करोबार राज्य से बाहर करते हैं। They throw up many housing schemes and bonds, और कहते हैं कि आप इनवैस्ट कीजिए आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। जब आप पता करते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी हुई नहीं होती है। इसलिए इसमें प्रावधान होना चाहिए कि सिर्फ वे रिर्पोट ही न करें लेकिन डी.सी. और इस.पी. भी अपने जिला के अंदर पूरी जानकारी लें और उनको समन करें। आप कहेंगे कि वे तो वैसे भी कर सकते हैं लेकिन जब हम एक्ट का हिस्सा डाल देंगे तो हम अपनी सरकार के तंत्र को मजबूत करेंगे। उसके बाद अगर कोई ठग जाएगा तो

उसका कुछ नहीं हो सकता। इसमें 14 (C) का प्रसवधान भी बिल्कुल सही है जो इसमें शामिल हुआ है कि नो एंटरीस्पेटरी बेल, क्योंकि यह लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं और बेल बहुत आसानी से ले लेते हैं । यह बहुत अच्छी बात है इस बात के लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। यह एक ऐसा बिल आया है जो लोगों को मदद दे सकता है।

14/12/2018/1615/RG/DC/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 में सरकार द्वारा जो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए उपबन्धों पर विचार किया तथा जनहित में उनमें से अधिकांश को इस अधिनियम में शामिल करने का निर्णय लिया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे विधान सभा द्वारा पारित भी कर दिया गया। विधि अनुसार इस विधेयक का माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया। इस विधेयक को और अधिक सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा संशोधन अधिनियम विधेयक में कुछ और प्रावधान सम्मिलित करने के सुझाव राज्य सरकार को दिए गए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने पिछले सत्र में इसको वापस लिया था क्योंकि एक बार जो बिल हमने यहां से पारित करके भेजा। अगर उसमें संशोधन करना है तो वह बिल वापस लेना पड़ता है। इसलिए इसको वापस लिया था।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो डिवीडेंट का जिक्र किया, तो इसी में ही अगर आपने पढ़ा होगा, और in any form, उसमें वह कवर हो जाता है। इसलिए बहुत सोच-समझकर यह बिल यहां प्रस्तुत किया गया है और मैं समझता हूं कि इसकी बहुत आवश्यकता थी। इसलिए इस प्रकार के जो धंधा करने वाले या गुमराह करने वाली चिटफण्ड कम्पनियां या जो गरीब लोगों का पैसा ऐंठ करके भाग जाते थे, उनके ऊपर हम नकेल कसने में सफल होंगे।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 14)' पर विचार किया जाए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। कहीं आप ऐसा न कहना कि न की, न की न में रही।

अध्यक्ष : मुकेश जी, जब आपका समर्थन है तभी तो 'न' में कुछ नहीं हो रहा। एक शास्त्रीय शब्द है, '**मौनम स्वीकृति लक्षणम्'।** इसलिए जब आप मौन हैं तो आपकी स्वीकृति और आपकी सहमति है।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2 व 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 14)' को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 14)' को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 14)' को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 14)' को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

'हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 14)' सर्वसम्मति से पारित हुआ

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11)' पर विचार किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : इसमें श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी बोलना चाहते हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु(नदौन) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल यहां लाया है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन एक-दो चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा

14/12/2018/1620/MS/HK/1

कि जो आप इस ऐक्ट में नहीं ला सके। एक तो बाहर से जब लोग गाय छोड़ जाते हैं जैसे हमारे पंजाब से सटे हुए क्षेत्र हैं, अगर वे पकड़े जाते हैं तो रूल में यह प्रोविजन किया जाए कि उनके खिलाफ प्युनिटिव ऐक्शन लिया जाए या उनके खिलाफ पैनेल्टी का क्लॉज रखा जाए। दूसरा इसमें जो आपने चेयरमैन/चेयर पर्सन और वाइस चेयरमैन इत्यादि की बात कही है, यह ठीक है कि आप ऐक्ट बना रहे हैं लेकिन ऐक्ट को रेगुलेट करने के लिए क्वालिफिकेशन का होना भी जरूरी है। मेरा यह मानना है कि ऐक्ट को रेगुलेट करने के लिए चेयरमैन/चेयर पर्सन या अन्यों के लिए सैलरी या अलाउंस का मैंशन किया है लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन का मैंशन नहीं किया है कि चेयरमैन/चेयर पर्सन या वाइस चेयरमैन कौन होगा। यह मैंशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि रूल्ज को इम्प्लीमैंट करवाना है। इसलिए जरूरी नहीं है कि वे गो-पालक हैं। गो-पालक या गो-रक्षा के लिए ऐक्ट की जरूरत नहीं है लेकिन रेगुलेट करने के लिए जरूरत है। आपके जो भी चेयरमैन/चेयर पर्सन या वाइस चेयरमैन बने हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन का मैंशन

होना जरूरी है और मैं चाहूंगा कि इस हेतु आप रूल में प्रोविजन करें। यही बात मैंने आपके ध्यान में लानी थी। धन्यवाद।

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस बिल को बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार किसी ने प्रोफैशनली सोचा है कि गायों के रख-रखाव के बारे में क्या किया जाए क्योंकि मुझे इस काम का अच्छा-खासा एक्सपीरियंस है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से चाहूंगा कि जो आपने इसमें एक्स-ऑफिशियो मैम्बर्ज बनाए हैं, माननीय पशु पालन मंत्री जी इसके चेयरमैन है, इसमें लिखा है। बाकी जो सैक्शन ऑफ ऑफिसर्ज आपने इसमें मैंशन किए हैं उसमें एक पूरी टीम ब्यूरोक्रेसी की इसके अंदर है। Only one person Dean of the College of Veterinary and Animal Sciences, Chaudhary Sarwan Kumar, इसको आपने इसमें ऐड किया है। मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है they are all competent people. I have nothing against it. लेकिन एनिमल सांइसिज के अंदर कुछ विशेष विभाग है for example Animal Nutrition Experts, जो एम0एस0ई0 के बाद अपनी ट्रेनिंग करते हैं they are experts in this matter. एम0एस0ई0 के बाद breading and management and genetics, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एम0एस0ई0 के बाद Livestock Protection and Management जिसको एल0पी0एम0 बोलते हैं। ये कुछ एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको पूरे देश में ऐडवरटाइज करके मिल जाएंगे क्योंकि हम तो राजनीतिक प्राणी हैं। इसके बाद आपने 10 एक्स-ऑफिशियो मैम्बर्ज लिखे हैं। मुझे पता है कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी पर प्रैशर पड़ेगा कि इसको डालना है, उसको डालना है। उसके पास दो गायें हैं और फलां के पास गो-सदन है। They are not professional people. मेरा इस बिल के अंदर यही निवेदन है कि such people should be added. मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि उसमें इनको क्यों ऐड करना जरूरी है। अब मंत्री जी उदाहरण के लिए गाय के पेट के कितने हिस्से होते हैं? मैं बताता हूं कि गाय के पेट के चार हिस्से होते हैं। अब गाय के पेट का जो थर्ड कम्पार्टमैंट है उस थर्ड कम्पार्टमैंट में, जिसको हम रियूमन बोलते हैं उस कम्पार्टमैंट के अंदर आजकल एक चिप को इन्जैक्ट करना शुरू कर दिया गया है और पूरे वर्ल्ड में यूरोप ने इसको फोलो कर दिया है। Once you inject that chip in that third compartment, आप हिमाचल प्रदेश की हरेक गाय को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है

और इसमें ज्यादा पैसा भी इन्वोल्व्ड नहीं है। परन्तु अगर हम इसको प्रोफैशनली करें और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर इसको करे, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि there is no professionalism. ये जो लोग आपने बताए हैं they are very senior bureaucrats and senior people. They will come for the meeting, 10 लोग आपके आएंगे। आप अपनी मर्जी से पॉलिटिकल गेन्ज के लिए वाइस चेयरमैन बना देंगे और उसको एक गाड़ी और दफ्तर दे देंगे लेकिन शिमला में इस दफ्तर को रखने का क्या मतलब है? ...(व्यवधान)... पालमपुर में इतनी बड़ी युनिवर्सिटी बना रखी है जोकि आदरणीय शांता जी ने बनाई है और वहां सीमन बैंक्स हैं, रिसर्च सेंटर्ज और लाइव स्टॉक युनिट्स हैं। यह जो पालमपुर युनिवर्सिटी का डेयरी का ऐड किया है, मैंने भी डेयरी चलाई है। अगर हमारी एवरेज़ 28 या 32 किलो दूध की आती है तो इनकी 4 से 6 किलो आती है। The most unprofessional dairy ever run by any university is in Palampur University. आप उनकी सलाह लेकर यह बोर्ड चलाएंगे? मेरा कहना है कि यह कन्सैप्ट मैंने पहली बार पढ़ा है कि किसी सरकार ने इस स्तर तक जाकर सोचा है। जो भाई सुक्खु जी बोल रहे हैं तो हर चीज इसमें कवर्ड हैं अगर आप इसको ध्यान से पढ़े कि कौन सी गाय बाहर से आएगी, कैसे आएगी और कैसे उसको check and imbalances करना है। इसका शिमला में सेंटर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

14.12.2018/1625/जेके/एचके/1

दूसरे, इसमें जो आपने वेरियस प्रोविजन्ज़ रखे हैं, इसमें मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसमें प्रोविजन किया जाए कि मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर भी रिसर्च की जाए। मिल्क प्रोडक्ट्स की रिसर्च के ऊपर एक सैक्शन ऐसा भी है आप इस पूरे बोर्ड को आत्म निर्भर भी बना सकते हैं। इसी बोर्ड के थ्रू आप अपनी इन्कम भी जनरेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश का जब तक इतिहास रहेगा, कोई इस बोर्ड को हाथ भी लगा पाएगा क्योंकि पहली बार गांव के बारे में, गायों की सेवा के बारे में और हर पहलू को आपने इसमें टच किया है । congratulate you for that. एक तो आपने फार्मर्ज़ को इसमें टच नहीं किया, फार्मर्ज़ के प्रोग्राम्ज़ को इसमें आपने टच नहीं किया और आपने स्टडी टूअर्ज़ को इसमें टच नहीं किया। आपने फार्मर्ज़ का एक्सपोज़र टच नहीं किया। आप अगर अपने 100

फार्मर्ज़ को हर जिले से एक साल में गुजरात भेज दें वहां पर वे अमूल के सोसायटी सिस्टम को स्टडी करके आ जाएं तो that farmer will become expert in himself and would be better than anybody else in Himachal Pradesh. This should be mandatory part of the clauses which you have added. ये सारे इम्पोर्टैंट क्लॉजिज़ इसके अन्दर से मिस कर रहे हैं। जिसके तहत आपका एक्सपोज़र नहीं है। गाय मूत्र से जो-जो दवाइयाँ बन रही हैं, these are unimaginable. लेकिन क्या आपको पता है कि गाय मूत्र का जो अर्क बनता है वह प्रैगनेंट गाय का नहीं बन सकता है। वह गाय जो लेक्टेटिंग है वह किस महीने में बनेगा और किस महीने में नहीं बनेगा, it is very professional chapter. अगर हम इसको केवल अनप्रोफैशनल के हाथों में दे देंगे तो वह सारा गोमूत्र ही इकट्ठा कर देगा और उस गाय मूत्र की कोई मैडिकल वेल्यू नहीं है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाबा रामदेव जी के साथ यहां पर इतना बड़ा सैन्टर मैनेज किया है। अगर बाबा रामदेव जैसे लोगों का सैन्टर यहां पर आ रहा है, you can understand about all cow productions from them. जितना आपका गाय का मूत्र है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और जो गायों का वेस्ट हैं उसका आप कमर्शियली बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसका आपके एक्ट में किसी भी क्लॉज़ में मैंशन नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो उसका सैन्टर पालमपुर में रखा जाए। जो आप काऊ सेंक्चुरीज़ बना रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी-बड़ी सेंक्चुरीज़ बनाने जा रहे हैं जहां पर आप उन गायों को एक किस्म से फैंसिंग के अन्दर रखेंगे। We have to be sitting there and we have to observe. उस पर हमें साइंटिफिकली काम करना पड़ेगा। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इसका जो चेयरमैन और वाईस चेयरमैन both should be advertised. Look for the best person in India. Give him a good salary. Give him a good house in Himachal Pradesh. Let us not make it political ball. Let us not have political persons coming into this. Let us have all professional people come into this. Have the best experts in the milk and livestock industry and get those retired

people here to work for three or five years. I can assure you. एक जमींदार होने के नाते मैं वह कल्पना कर सकता हूं कि अगर आपने यह कर दिया तो हिमाचल प्रदेश में आज से पहले किसी भी मुख्य मंत्री ने, किसी भी सरकार ने ऐसा न किया था और न कर पाएगा। मैं इसके लिए आपको बधाई भी देता हूं और इन चीजों को इसमें शामिल करने का निवेदन भी करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री हर्षवर्धन चौहान जी चर्चा मे भाग लेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी ने यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया है, ऐसा लगता है कि बोर्डज़, काउंसिल्ज़ नए-नए बनाए जा रहे हैं। एक यह बिल है, एक बिल के बारे में आज शिक्षा मंत्री जी ने "हिमाचल प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल" की बात की तो ऐसा लगता है कि इनकी काम करने की मंशा नहीं है । पॉलिटिकल लोगों के लिए उसमें पोस्ट क्रिएट करने की मंशा लगती है। ...(व्यवधान)... अच्छी बात है, हम तो आपका समर्थन करते हैं। राकेश पठानिया जी आप वाईस चेयरमैन बनने चाहिए, आपको नॉलेज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि गाय के लिए प्रदेश में कुछ नहीं किया गया है। पहले हिमाचल प्रदेश गोवंश संवर्धन बोर्ड भी था अब आप उसको चेंज करके उसके एसैट्स और इम्पलॉयज़ को हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग में तबदील करने जा रहे हैं। हम गाय के विरोधी नहीं है मगर हमको पता है कि राम आपका एजेंडा नम्बर-1 है। गऊ माता आपकी नम्बर-2 है और हो सकता है कि आपने हाई कमांड को इम्प्रैशन देने के लिए कि हम गाय के समर्थक हैं, और उसको प्रोटैक्ट करने के लिए हम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में बहुत गौसदन हैं।

14.12.2018/1630/SS-YK/1

ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको बहुत ज्यादा मैनेज कर रहा है। अब आप एक सफेद हाथी खड़ा कर रहे हो, जिसमें आप चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, मेम्बर्ज़ और

ऑफिसर लोग लगाओगे। मैं आपको कह सकता हूं कि अभी प्रदेश में जहां-जहां गौसदन हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से मैनेज करता है। अगर आप सारे गौसदन को अपने हाथ में ले लेंगे तो शिमला से बैठकर उनका मैनेजमैंट/सुपरविज़न नहीं होगा जोकि डिस्ट्रिक्ट से होता है। हमारे नाहन में गौसदन हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करता है। वहां वैटरिनरी डॉक्टर भी अटैच है, सारा सिस्टम अच्छा चला हुआ है। लेकिन अब आप एक और लाइबिलिटी क्रियेट कर रहे हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सैक्शन-14 (D) में आपने लिखा है "to ensure the protection afforded to cow under any law for the time being in force including seizure and custody of the cow being carried for slaughtering or likely to be slaughtered in contravention of any law in force". तो आप इस आयोग को गाओं को जब्त करना, गाड़ियों को पकड़ना, उसका भी अधिकार दे रहे हो। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि आप हमको ज़रा समझाओ। यह पावर तो पुलिस की पावर होती थी और आप इस आयोग को पुलिस की पावर दे रहे हो। फिर आप उसमें ऐसे 10 मुस्टंडे डाल दोगो, जो आप नॉन-ऑफिशियल मेम्बर डालोगे, उनका यही काम हो जायेगा। अभी बुलंदशहर में क्या हुआ? Mob lynching शुरू हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि आप ऐसा अधिकार किसी भी आयोग या व्यक्ति को न दें। कानून पर नियंत्रण रखना तो पुलिस का अधिकार है। अभी सुरेश कुमार कश्यप जी यहां नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि दो साल पहले हरियाणा से कुछ लोग गऊ ला रहे थे। चंडीगढ़ वाले सराहां रास्ते से उन्हें लाए। कुछ लोगों ने, जो गऊ के नाम पर राजनीतिक रोटियां सकते हैं, उनको मार दिया। ऐसा प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि अगर ऐसा है तो इसको डिलीट करो। अगर कहीं ऐसी घटनाएं होंगी तो सबसे पहला काम पुलिस को सूचना देना है और कानून पर नियंत्रण रखना पुलिस का काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा न करें। बाकी तो ठीक है कि गाय की प्रोटैक्शन होनी चाहिए। अभी राकेश पठानिया जी ने कहा, अब

बोर्डस और काउंसिल क्या काम करते हैं उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। इम्प्लीमैंटेशन तो एग्रीकल्चर पालमपुर यूनिवर्सिटी ने करनी है, पशुपालन विभाग ने करनी है, यह तो सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टें क्रियेट करने की कोशिश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

अध्यक्षः अब श्री जगत सिंह नेगी जी, अपनी बात रखेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पशुपालन मंत्री जी ने जो यहां पर बिल लाया है मैं उसके बारे में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं कि मैं कोई गाय का विरोधी नहीं हूं और न ही मैं आपकी आस्था का विरोध कर रहा हूं। केवल कुछ बातें इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं, जिसे गम्भीरता से सरकार को भी समझना चाहिए और हमारे सभी माननीय सदस्यों को समझना चाहिए। आज हमारी प्राथमिकताएं किस ओर जा रही हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। आज हम ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें शुरू में पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे। फिर सालाना खर्चा 3 करोड़ रुपया और बढ़ते-बढ़ते पता नहीं आप कितने करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। आज की तारीख में माननीय मंत्री जी आपके पशुपालन विभाग में मुझे बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला है। मैं अपने जिले में पिछले पांच सालों में कई पशु औषधालयों में गया हूं। वहां पर बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। वहां पर बैंचिज़ और डॉक्टर के बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। आपके पास फार्मासिस्टस नहीं हैं। उपकरण आपके पास नही हैं। कहां आप इस आयोग के धंधे में चले गए। आप तो अपना डिपार्टमैंट ही बंद कर दोगो। आपने इसमें चेयरमैन रखा हुआ है, चेयरमैन बाहर से नहीं आने वाला, जैसे यहां पर माननीय सदस्य कह रहे थे कि चेयरमैन तो मंत्री हैं। इसमें वाइस चेयरमैन पॉलिटिकल आदमी ज़रूर आयेगा। 10 आदमी आयेंगे, जिनका डैफिनेशन गौरक्षक है। वह आपकी मर्जी का है कि गौरक्षक कौन होगा। किस किस्म के कपड़े पहनने वाला होगा। कौन-सा मफ़रल लगाने वाला होगा। वह उसकी परिभाषा हो सकती है। आज

हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विशाल देश है। यहां पर लोग कई किस्म के धर्म मानते हैं। नॉर्थ-ईस्ट में जहां पर ज्यादातर आपकी सरकारें बनी हुई हैं,

14-12-2018/1635/KS/YK/1

वहां पर लोगों की गाय के प्रति क्या आस्था है? एक तरफ देश में हम इसको गऊ माता डिक्लेयर कर दें और वहां के लोग उसका बीफ़ खाते हैं तो क्या हम पूरी दुनिया में अपने आप को जग- हंसाई का पात्र बना देंगें कि हमने ऐसी माता बनाई है जिसका आधे लोग यहां वध करते हैं? इस पर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है । हमारी प्राथमिकताओं पर सोचने की जरूरत है। आज हमारे पशु-पालन विभाग में फंड्ज़ की कमी है, स्टाफ की, दवाइयों की, उपकरणों की कमी है। आज हमारे स्कूलों में बच्चों को प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है । कॉलेजों में लाइब्रेरी और लैब्ज़ की जरूरत है। आज हॉस्पिटलों में उपकरण नहीं है। एक ही बिस्तरे में दो-दो मरीज पड़े होते हैं और आप आवारा गाय जिसने दूध दे दिया, उसके बाद लोगों ने उसे छोड़ दिया, उसको पालने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी पीछे फतेहपुर गया। वहां पर स्कूल से ज्यादा अच्छा गौसदन बना हुआ है। मैंने जब वहां पर स्कूल का हाल देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वहां के स्कूल के बच्चों के पास बैठने के लिए टाट तक नहीं है वे खंडहरों में बैठ रहे हैं और फतेहपुर में गौसदन इतना आलीशान बनाया हुआ है। मैंने वहां पूछा कि इसमें कौन सी नस्ल की गाय हैं तो मुझे बताया गया कि उसमें 90 परसेंट जर्सी गाय हैं। कल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी दूध के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने भी दूध के बारे में जानकारी ली। गाय और भैंस के दूध में फर्क है। भैंस के दूध में कैलरी कम होती है और गाय के दूध में ज्यादा होती है जबकि कैल्शियम भैंस के दूध में ज्यादा है इसलिए मंत्री जी का यह कहना कि गाय के दूध में बड़े विटामिन्ज़ हैं, यह तर्क संगत नहीं है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जो हमारी पहाड़ी गाय हैं ये आप 22 लाख के करीब बता रहे थे

परन्तु यहां पर इस माननीय सदन में जो पहाड़ी गाय की नस्ल के बारे में मैंने जवाब मांगा था उसके उत्तर में आप 5 लाख बता रहे हैं। हमारी पहाड़ी गाय एक या डेढ़ किलो से ऊपर दूध नहीं देती जबकि जर्सी गाय 18-18 किलो दूध देती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि दूध की गंगा बहाएंगें तो क्या इन गायों से आप दूध की गंगा बहाएंगें? आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको आयोग की जरूरत नहीं है। पशु-पालन विभाग इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। मेरे साथी यहां पर कह रहे थे, आपने होशियार हैल्प लाइन, गुड़िया हैल्प लाइन, मुख्य मंत्री हैल्प लाइन बना दी। अब एक आयोग और बन जाएगा, हैल्प लाइन आयोग तो ये जो आयोग बनाने की प्रथा है, अभी हमारे शिक्षा मंत्री श्री भारद्वाज जी एक और आयोग बनाने की बात कर रहे थे, कल कोई और मंत्री नया आयोग ले आएगा तो ये आयोंगों का धंधा कम कीजिए। आप कह रहे हैं कि 50 हजार करोड़ के कर्ज पर हैं। हिमाचल की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप हर रोज़ चेयरमैनों की लाइन लगाते रहे। ... (व्यवधान)... आप अपने समय की बात करो।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यह निवेदन है कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे कि इतना पैसा जो हम इस धार्मिक आस्था को ले कर, वोट की राजनीति के लिए व्यर्थ गवां रहे हैं, क्या इसके माध्यम से आप लोगों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि पशु का दूध निकालो और जब वह दूध देना बंद कर दे ,उसको सड़कों में फेंक दो? अभी जो चिप लगाने की बात की गई, हमने पिछले तीन सालों में जिला किन्नौर में पूरा कल्पा ब्लॉक में चिपिंग की है। गांव में चाहे बछड़ा है, बैल है, गाय है, सभी की चिपिंग की है और आप स्कैन करके पता कर सकते हैं कि

14.12.2018/1640/av/ag/1

किसका पशु है। आप भी इसको करिए ताकि लोग पशु न छोड़े। लेकिन इसके लिए हमें आपके पशु पालन विभाग का सहयोग नहीं मिला। पंचायत का नहीं मिला क्योंकि पंचायत वाले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं और जब पशु छोड़ देते हैं तो छोड़ने वाले को कौन

पकड़ेगा? इसलिए इसको करने की जरुरत है, हम नहीं कहते कि गाय का संवर्द्धन मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो ब्रीड चेंज करेंगे तो वह केवल क्रोस ब्रीडिंग से ही होगा। ...(व्यवधान)... संवर्द्धन का मतलब क्या हुआ? इसमें केवल गाय नहीं है, गाय की डेफिनेशन में आपने लिखा है कि इसमें बैल और बछड़ा भी हो सकता है क्योंकि गौवंश में तो बैल व बछड़ा; सारे आते हैं। इस तरह से आप लोगों को प्रेरित न करें कि वे दूध निकालकर अपने पशु को छोड़ दें। आप वृद्ध आश्रम बनाइए, विधवा आयोग बनाइए। आज पुरूष भी महिलाओं से पीड़ित हैं तो आप उनके लिए आयोग बनाइए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम इसके ऑब्जैक्टिव्स एण्ड रीजन्स में जाएं और यह रैगुलेटरी बोडी रहेगी तब ठीक है। अगर आप बीयोंड रैगुलेटरी बोडी जाना चाहते हैं तब ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो आपने इसमें डाले हैं और वे बीयोंड द रैगुलेटरी बोडी जा रहे हैं। आप गौशाला, गोसदन और काऊ सैंक्चुरी बनाना चाहते हैं। अगर यह बोडी इसको रैगुलेट करने के लिए है, तो ठीक है। यदि आप इसके बीयोंड जायेंगे तो इसका मतलब आपकी मन्शा गलत है। आप मुझे समझाएं, अब मैं आपको बताऊं जिसने भी यह बिल ड्राफ्ट किया है, can you have preservation in conservation. आप ब्लड को प्रीज़र्व करते हैं, फोरैस्ट को कनज़र्व करते हैं तो क्या आप गाय को प्रीज़र्व करना चाहते हैं? क्या मतलब बनता है, क्या गाय को प्रीज़र्व किया जाता है? आपने इसको कानून का नाम दिया है तो यह अपने-आप में faulty है। You cannot preserve. You cannot conserve. वह प्रोटैक्शन हो सकती है या सेफगार्ड हो सकता है। आप प्रीज़र्व और कनज़र्व की बात कर रहे हैं तो फोरैस्ट कनज़र्व होते हैं न कि गाय कनज़र्व होगी। यह बिल किसने बनाया? आप मुझे एक बात और समझाओ कि what is the purpose of the Director General of Police. उसका ऐक्स ऑफिशियो मैम्बर के नाते क्या काम है? उसमें आप किसी होर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या ऐनिमल हसबैंडरी डिपार्टमैंट के डायरैक्टर को डालो; इस बोडी में डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस का क्या काम है?

उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई कांट्रीब्यूशन नहीं है। You are not serious. आप इसके प्रति सीरियस नहीं है और वह इसलिए नहीं है क्योंकि आपने पेज नम्बर 5 में 10(5) के तहत कहा है कि "An ex-officio member may depute his representative to attend meeting on his behalf in the event of his inability to attend a particular meeting". इसका मतलब यह है कि आप पहले ही दिन से सीरियस नहीं है। यह एक सीरियस काम है, यदि हमें रैगुलेट करना है तो क्या वहां मीटिंग में उसकी जगह कोई पीयन चला जायेगा, क्या यह कोई शोभा देता है? How can you insert such a clause in it, कोई किसी के बिहाफ पर कैसे जा सकता है, क्या मेरे बिहाफ पर यहां कोई आ सकता है? No. No one can. I am an elected person. यहां पर मैं ही आ सकता हूं और इसलिए हमने इसमें जो निर्णय कर दिया कि ये-ये 11मैंबर होंगे तो इन 11 मैंबर्ज के बिहाफ पर मीटिंग को कोई और न अटैंड करें। यदि कोई अटैंड करने लग जायेगा तो यह नॉन सीरियस है। इसका संदेश यह जायेगा कि यह गाय की प्रोटैक्शन के लिए या गाय को रैगुलेट करने के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि

14.12.2018/1645/TCV/AG/1

संकेत यह जाता है कि किसी को एडजस्ट करने के लिए आप इस बिल को ला रहे हैं। गाय की चिन्ता तो सिर्फ बहाना है क्योंकि ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि आप गाय की चिन्ता इसमें जाहिर कर रहे हैं। आप एक गलती मत करना। मुझे लग रहा है कि आप एक और गलती कर रहे हैं। ये जो आप सैंक्शन-14 में कह रहे है-"to promote research on various aspects of indigenous cows and make budgetary provisions for the same in the manner as may be prescribed;" आप मुझे बताएं कि indigenous गाय आपके पास कौन-सी है? यदि आपके पास गाय है तो रेडसिंधी है और उसकी originality कराची से आई है जोकि पाकिस्तान में है और साहीवाल पेशावर से है। I stand to be corrected. ये जो हमारी पहाड़ी गाय है, is it registered? Indigenous breed को आपने क्या माना है? "Indigenous breed" means the indigenous cow population which is recognized as a breed by Breed Registration Committee of Indian Council of Agricultural Research; लेकिन ये नहीं है। यदि हम यह प्रचार करने लग जाएं कि जीरो बजट में पहाड़ी गाय पालो ये सारे लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। गोबर की

क्या युटेलिटी है? मैं स्वयं खेती करता हूं। मैं कई-कई गायों को पालता हूं। मेरे पास जो बैल है, मैं उनको सड़कों में नहीं छोड़ता हूं। आज भी मेरे पास बैलों की संख्या 60 हो गई है। लेकिन मैंने उनको कहीं छोड़ा नहीं है। चाहे जितना घाटा हो जाए परन्तु मैं उनको जंगल में नहीं छोडूंगा। मैं जानता हूं मेरी खेती उनसे होगी। उनका गोबर जमीन को कार्बन देता है। आप सोचते हैं कि जो जर्सी गाय का गोबर है, उसमें कम कार्बन कंटैंट होता है? नहीं, यह वैज्ञानिक तौर पर गलत है। गाय पालना आज की तारीख में सबसे महंगा काम है। ये totally un-remunerative है। इसलिए गाय को पालना लोगों की मजबूरी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये conservation और preservation को हम छोड़ दें। अतः में यदि आप हमारे सुझावों को इसमें शामिल करेंगे तो आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही अच्छे सुझाव माननीय सदस्य ने रखे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अभी तो ये शुरूआत है। जैसे पूर्व में भी कहा गया कि इसकी क्या आवश्यकता है? पहले भी माननीय उच्च न्यायालय ने ग्रामीण स्तर पर आदेश दिए थे कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए ऐसे गोसदन खोले जाएं। उसके कई कारण रहे है। मैं बताना चाहता हूं कि हर पंचायत के स्तर पर गोसदन खोलना संभव नहीं है। यहां पर कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई है। ऐसे 40,000 से ज्यादा हैं। हमारा मकसद इनको रेगुलेट करना है। हमारा मकसद गऊ सैंक्चुअरी या विज्ञान केन्द्रों को चलाना नहीं है। जो गऊ है, उसका स्थान किसान के खूंटे के पर है और हमने उसका संवर्धन करके उसको उसके खूंटें तक पहुंचाना है। ताकि वह पहाड़ी गाय जिसके विषय में ये कह रहे हैं, अगर रैडसिंधी और साहीवाल डैनमार्क और ब्राजील में 8 लीटर से 80 लीटर दूध दे सकती है तो हम पहाड़ी गाय का संवर्धन करके उसके दूध देने की क्षमता को बढ़ा नहीं सकते? हम इसी की शुरूआत करने जा रहे है।

14/12/2018/1650/NS/DC/1

आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक शुरूआत या पवित्र संकल्प लिया है तो हम इस ओर काम करेंगे। इस विषय पर माननीय हर्षवर्धन जी ने कहा है कि इस काम को आयोग नहीं करेगा। हमने इस पर कहा कि हम तो रेग्युलेट करेंगे। यह काम तो पुलिस का है। माननीय पठानिया जी और माननीय सुक्खु जी ने भी इस विषय को उठाया है कि बाहरी प्रदेश से गाय को यहां पर छोड़ा जा रहा है और यह हमारे लिए समस्या बनती जा रही है। इसलिए

हमने डी0जी0पी0 को आयोग में मैंबर बनाया है कि जितना भी कानूनन सहयोग होगा, वह हम पुलिस के माध्यम से लेंगे। हमने शुरूआत के तौर पर आयोग की स्थापना की है। अगर हमें लगेगा कि हमें विशेषज्ञ चाहिए तो उनको हम स्पैशल इनवाइटी के रूप बुला सकते हैं। धीरे-धीरे हमने एक शुरूआत की है और इस शुरूआत के पश्चात जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ेगी, इसमें सुधार आते रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि इसको पारित किया जाए।

अध्यक्षः मैं माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी के ध्यान में लाना चाहूंगा"चाहे पाकिस्तान हो या पेशावर हो,चाहे रेडसिंधी हो या साहीवाल हो", वर्ष 1947 से पहले तो ये भारत है और यह गाय 1947 के बाद नहीं आई है। ये सब स्वदेशी ही कहलाएंगी, पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगी। माननीय राकेश जी हो गया है। आप प्लीज बैठिए, आपने बोल दिया और मंत्री जी ने उसका जबाव भी दे दिया है। आप अपना मत रख चुके हैं। ---(व्यवधान)---

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-11) पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 से 24 तक विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खंड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 व 24 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-11) को पारित किया जाए।"

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-11) को पारित किया जाए।"

14.12.2018/1655/RKS/डी.सी.-1

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कि "हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-11) को पारित किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-11) को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वी**कार**

"**हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-11) पारित हुआ।**

<u>नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख</u>

अध्यक्ष: अब नियम-324 के अन्तर्गत आज विशेष उल्लेख के पांच विषय लगे हैं। यदि अनुमति हो तो यह सूचनाएं सभा में प्रस्तुत हुई समझी जाएं और माननीय सदस्यों को उत्तर की प्रतिलिपि आज ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। नियम-324 के अंतर्गत उठाए गए मामले इस प्रकार है:-

श्री सुख राम (पावंटा साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान पांवटा साहिब विधान सभा चुनाव क्षेत्र (B&R Division शिलाई) की सम्पर्क मार्ग राजपुर से मनौर की हालत बहुत ही दयनीय है। सड़क में गड्ढे अधिक होने के कारण छोटे वाहनों को चलाने में भारी दिक्कत आ रही है। अत: मेरा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि जनहित में इस सड़क की हालत सुधारने के लिए उचित कदम उठाने की कृपा करें ताकि लोगों को राहत मिल सके"

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार से है:-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मार्ग की कुल की लम्बाई 13.355 कि0मी0 है। इसमें से 10.800 कि0मी0 भाग में मैटलिंग व टारिंग का कार्य वर्ष 2014–15 में किया गया था जोकि इस वर्ष भारी वर्षा के कारण बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस वर्ष इस मार्ग पर भारी वर्षा के कारण बहुत नुक्सान हुआ है। इस सड़क के कार्य को पूर्ण करवाने हेतु इस सड़क को MLA Priority 2017–18 के तहत डाला गया है तथा इस सड़क की डी0पी0आर0 नाबार्ड के अर्न्तगत विभाग द्वारा बनाई जा रही है। इसमें भोरंज खड्ड पर 20.0 मीटर स्पेन का एक पुल भी प्रस्तावित है।

भारी क्षतिग्रस्त होने कारण इस मार्ग पर पैच वर्क सम्भव नहीं है। अतः अगले वित्तीय वर्ष में इस सड़क की 10.800 कि0मी0 की AMP (resurfacing) को भी प्रस्तावित किया जाएगा। फिलहाल इस सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए विभागीय लेबर, JCB मशीन तथा टिप्पर लगाया गया है।

श्री सुरेश कश्यप (पच्छाद): माननीय अध्यक्ष महोदय,"मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के अर्न्तगत छैला–नेरीपुल–ओच्छघाट सड़क की दयनीय हालत की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय जी, भारी बरसात के कारण यह सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है तथा सड़क के ठीक न होने के कारण वहां की स्थानीय जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि छैला–नेरीपुल–ओच्छघाट सड़क की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाने की कृपा करे।"

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामलें की वस्तुस्थिति इस प्रकार है :–

छैला–नेरीपुल–ओच्छघाट–कुमारहटटी सड़क की कुल लम्बाई 86.450 किलोमीटर है। यह मार्ग एमडीआर–73 है। इस सड़क की ओच्छघाट तक लम्बाई 69 कि0मी0 है । छैला (किलोमीटर 0 मीटर 19 ा वृत शिमला के अन्तर्गत पड़ता है। नेरीपुल (किलोमीटर 19 मीटर 62 42.225 किलोमीटर 12वां वृत नाहन के अन्तर्गत है। धरजा (किलोमीटर 62 ोमीटर 69 बाई तृतीय वृत सोलन के अन्तर्गत है।

चतुर्थ वृत शिमलाः– छैला (किलोमीटर 0 मीटर 19 रखाब पर गत तीन वर्षों में वार्षिक मुरम्मत योजना के तहत 8.435 कि0मी0 में रिन्युवल कोट किया गया एवं 80.10 लाख रूपये खर्च किए गए।सड़क के इस भाग का रख–रखाव का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है एवं इसकी स्थिति ठीक है। इस वर्ष भारी वर्षा के कारण सड़क कई जगह से खराब हो गई थी जिसकी मुरम्मत कर दी गई है तथा छैला से नैरीपुल तक पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस सड़क को कि0मी0 16 ड़ा किया गया 12 न0 Box type culvert RD 1 गाए गए है जिन पर 70 लाख रूपये खर्च हुए हैं और पैच वर्क 0 ए गए हैं।

12वा वृत नाहन :– इस वृत के अन्तर्गत छैला–नेरीपुल–ओच्छघाट सड़क की लम्बाई नेरीपुल (कि0मी0 19 . 62 पड़ती है सड़क का यह भाग पक्का है। इस वर्ष भारी वर्षा के कारण सड़क का यह भाग काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। जिससे लगभग 75.60 लाख रूपये का नुकसान हुआ है। सड़क के इस भाग की अस्थाई दुरूस्ती (temporary restoration) कर दी गई है तथा सड़क का कि.मी. 19 ।ग ठीक नहीं है जिसको मौसम अनुकुल होने के उपरान्त पैच वर्क द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। इस वर्ष कि.मी. 29 च वर्क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सड़क के कि0मी0 29 की हालत ठीक है।

तृतीय वृत सोलन :– छैला नेरीपुल– ओच्छघाट सड़क का कि0मी0 62 7 कि0मी0 का भाग इस वृत के अन्तर्गत है। इस वर्ष बरसात के दौरान भारी वर्षा के कारण सड़क के इस भाग की सतह मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुई थी जिसे बरसात के बाद पैच लगा कर ठीक कर दिया गया है। सड़क का 3 कि0मी0 का भाग कि0मी0 62 वार्षिक मुरम्मत योजना (Annual Maintenance Plan 2018-19) के अन्तर्गत मुरम्मत के लिये स्वीकृत हुआ है जिसके लिए निविदाएं आमन्त्रित करने के उपरान्त कार्य आबंटित कर दिया गया है तथा मौसम अनुकुल होने पर इस कार्य को जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष भाग कि0मी0 65 क ठीक हालत में है।

350 कि0मी0 सड़कों के रख–रखाव को OPBMC (output and performance based maintenance contract) के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। इस सड़क की महत्वता ओर उपयोगिता को देखते हुए इस सड़क को पहले ही OPBMC के अन्तर्गत ले लिया गया है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कि0मी0 0 ान एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान में OPBMC के अन्तर्गत तैयार की जा रही है।

Sh.Ashish Butail (Palampur): Hon'ble Speaker Sir,च्I would like to bring the notice of the Govt. that during the month of September,2018, heavy rains caused irreparable damage to three foot bridges connecting Rajnali, Kalichhamb and other areas of G.P. Jhalla under Development Block Bhawarna. Will the government of the day ensure that these foot bridges which work as life lines for the area be re built to provide respite to people of the area ?छ

Chief Minister: Honb'le Speaker Sir, It is submitted that during rainy season in September,2018, three foot bridges on Neugal khadd damaged in Rajnali, Kali chamb and other areas in Gram Panchayat Thalla Uarla.The Deputy Commissioner kangra at Dharamshala directed all the Gram Panchayats to collect damage report and take appropriate steps to renovate/ reconstruct the damage.

The Gram Panchayat Thalla reported about these damages. Gram Panchyat Thalla passed resolution on 23-11-2018 for MGNREGA 2019-20 shelf for constructing/renovating the damaged foot bridges near Dignala and Neugal Khad and submitted shelf's for approval of the Zila Parishd for the financial year 2019-2020.

1st. foot bridge proposed to be constructed for an estimate amounting to Rs. 1.50 Lakh near Dignalla ward No. 2 under scheme No. 82 of MGNREGA shelf.

The 2nd.Foot bridge over Neugal khad near Lasyadi ward No. 2 proposed to be constructed / renovated for an estimate amounting to Rs. 5.00 lakh under scheme No. 83 of MGNREGA shelf As regards 3rd.Foot bridge near Shamshan ghat Rajnali ward No. 2, an estimate amounting to Rs. 1.50 lakh has been prepared by the technical authority and Gram Panchyat Thalla has to submit resolution, so that estimate and resolution could be sent to the Deputy Commissioner kangra at Dharamshala for sanction the funds.

श्री सुरेश कुमार कश्यप (पच्छाद): माननीय अध्यक्ष महोदयए"मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के अर्न्तगत सराहां से चण्डीगढ़ सड़क की खराब हालत की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय जी, बरसात के कारण यह सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है तथा सड़क ठीक न होने के कारण वहां की स्थानीय जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सराहां से चण्डीगढ़ सड़क को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र ठीक करवाने की कृपा करे।"

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाये गये मामलें की वस्तुस्थिति इस प्रकार है :–

सराहां चण्डीगढ़ मार्ग की कुल लम्बाई 42.00 कि.मी. है जिसमें से 39.00 कि0मी0 सड़क पक्की एवं 3.00 कि0मी0 सड़क कच्ची है। बची हुई तीन कि0मी0 सड़क को मार्च, 2019 तक पक्का कर दिया जाएगा। इस वर्ष भारी वर्षा के कारण यह सड़क काफी क्षतिग्रस्त हुई थी। जिसमें लगभग 50.00 लाख रूपये का नुकसान हुआ था। इस मार्ग की अस्थाई दुरूस्ती (temporary restoration) कर दी गई थी तथा इस मार्ग पर इस वर्ष कि0मी0 0 र्क कार्य किया गया है। इस सड़क की कि0मी0 0 42 सड़क की कि0मी0 13 रने की आवश्यकता है, जिसको पैच वर्क द्वारा मार्च, 2019 तक सुधार दिया जाएगा।

श्री सुखराम चौधरी (पांवटा साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदय**, मैं सरकार का ध्यान पांवटा विधान सभा क्षेत्र की उठाऊ सिंचाई योजना किल्लोड़ व उठाऊ सिंचाई योजना नवादा के सुचारू रूप से न चलने के कारण किसानों की फसल को भारी क्षति हो रही है। मेरा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों स्कीमों को सही तरीके से जनहित में चलाने की कृपा करें। ताकि किसानों की समस्या का हल हो सके।**

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, पाँवटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उठाऊ सिंचाई योजना किल्लोड़ व उठाऊ सिंचाई योजना नवादा की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार से है:–

<u>उठाऊ सिंचाई योजना किल्लोड</u>:–

वर्तमान में किल्लोड़ गांव में 2 सिंचाई योजनाएं चल रही हैं। एक योजना वर्ष 1977 में बनाई गई थी जिसकी अनुमोदित लागत मु0 1,50,230 अन्तर्गत 74.50 हैक्टयर भूमि सिंचित करने का प्रावधान था। शेष क्षेत्र के लिए दूसरी योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2008 में पूरा किया गया जिसकी अनुमोदित लागत मु0 7,16,800 रूपये थी। इस योजना के अन्तर्गत 86.95 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रावधान है। इन योजनाओं में क्रमशः 25 एच0पी0 (Horse Power) व 125 एच0पी0 (Horse Power) के मोनोब्लौक व सबमरसीबल पम्प सैट लगाए गए हैं। वर्तमान में योजना सुचारू रूप से चल रही है तथा किसानों को मांग के अनुसार सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्योंकि यह योजना काफी पुरानी हो चुकी है तथा पम्प व मोटर की समय–समय पर आवश्यकतानुसार मुरम्मत करवानी पड़ती है जिसके कारण सिंचाई में बाधा आती है। यद्यपि योजना के अन्तर्गत पूरे क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है परन्तु वर्तमान में किसानों की मांग के अनुसार 40.11 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

<u>उठाऊ सिंचाई योजना नवादा</u> :–

इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1990 में किया गया तथा इसकी अनुमोदित लागत मु0 34.06 लाख रूपये थी। इस योजना का निर्माण 156.50 हैक्टयर भूमि को सिंचित करने के लिए किया गया था। यह योजना तीन चरणों में बनाई गई है जिसमें प्रथम चरण में 62.00 हैक्टेयर, द्वितीय चरण में 47.50 हैक्टेयर तथा तृतीय चरण में 47. 00 हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है जिनमें क्रमशः 12.5 एच0पी0 (Horse Power), 25. 00 एच0पी0 (Horse Power) तथा 12.5 एच0पी0 (Horse Power) के सबमरसीबल पम्प सेट लगाए गए हैं। क्योंकि यह योजना लगभग 28 वर्ष पुरानी हो

चुकी है जिस पर केवल एक–एक मोटर व पम्प सैट लगे हैं। पम्प व मोटरे पुरानी होने के कारण सुचारु रुप से कार्य नहीं कर पाती हैं व समय–समय पर मुरम्मत करनी पडती है, जिस कारण सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में समस्या उत्पन्न होती है। वर्तमान में दो भागों की पम्प व मोटरें सुचारू रूप से कार्य कर रही है तथा किसानों को मांग के अनुसार सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। परन्तु प्रथम चरण की 12.5 एच0पी0 (Horse Power) के पम्प को मुरम्मत के लिए भेजा गया है जिसे शीघ्र ही ठीक कर दिया जायेगा। यद्यपि योजना के अन्तर्गत पूरे क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है परन्तु वर्तमान में किसानों की मांग के अनुसार 130.35 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

उपरोक्त योजनाओं की पम्पिंग मशीनरी बदलने के लिए वर्ष 2017–18 की विधायक प्राथमिकता में शामिल योजना की मु0 98.45 लाख रुपये की डी0पी0आर0 बना दी गई है जिसे नाबार्ड के अन्तर्गत जल्दी ही वित्त पोषण हेतु भेजा जा रहा है। स्वीकृति उपरान्त समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा।

<u>नियम -63 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा</u>

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री नियम-63 के अंतर्गत चर्चा उठाएंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-63 के तहत राज्य से जुड़ा हुआ एक बहुत-ही महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं। यह मसला हिमाचल प्रदेश के हितों व आर्थिकता से जुड़ा हुआ है। लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि सतलुज जल विद्युत निगम का विलय नैशनल थर्मल पावॅर कोर्पोरेशन्ज में करने का प्रयास चल रहा है। यह मसौदा बहुत ही एडवांस स्टेज पर है। एस.जे.वी.एन.एल. हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मसला है और भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश

सरकार का संयुक्त उपक्रम है। मिनी रत्ना कंपनी "शैड्यूल्ड-ए" कंपनी है और ऐसे आभास मिल रहे हैं कि इस कंपनी के पास 6700 करोड़ रुपये की रिजर्व पूंजी है। अब केंद्र की मोदी सरकार की निगाहें 6700 करोड़ की रिजर्व पूंजी पर पड़ गई हैं। आप देख रहें हैं कि रिजर्व बैंक पर भी प्रैशर बनाया जा रहा है कि वह अंतिम महीनों में पैसा दें। डिसइनवैस्टमैंट का 80 हजार करोड़ रुपये का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए यह कंपनी उनकी आंखों में चढ़ी हुई है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार को ऐसा कदम न उठाने दिया जाए।

अध्यक्षः माननीय सदन की बैठक आधे घंटे के लिए (5:30 बजे तक) बढ़ाई जाती है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार की जिम्मेवारी है कि किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश के हित केंद्र के आगे सरैंडर नहीं किए जाएं और किसी भी स्टेज पर उनकी बात नहीं मानी जाए अन्यथा हिमाचल प्रदेश के हितों से खिलवाड़ करने वालों की लिस्ट में आपका नाम लिखा जाएगा।

(माननीय सभापति, श्री रमेश चंद ध्वाला पदासीन हुए।)

14.12.2018/1700/बी.एस./एच.के./-1

श्री मुकेश गग्निहोत्री जारी.....

यह जो कंपनी है 24 मई, 1988 को बनी इसमें भारत सरकार का शेयर होल्डिंग 63.8 का है, हिमाचल प्रदेश सरकार का 26.8, पब्लिक का शेयर 9.4 है । माननीय मुख्य मंत्री जी कल ही कह रहे थे कि हमें फक्र है कि 10 हजार मैगावाट की क्षमता हमारे पास है। सतलुज जल विद्युत की 6801 मैगावाट की क्षमता है । इसमें अकेला नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन 1500 मैगावाट क्षमता का है। रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मैगावाट का है। महाराष्ट्र में इनका एक प्लांट विंड पावर 40.6 मैगावाट का है । सोलर पावर प्लांट गुजरात

में 5.6 मैगावाट का है और विड पावर प्लांट गुजरात में ही 38 मैगावाट का है। नेपाल बोर्डर पर ट्रास्मिशन लाइन 86 किलोमीटर की बिछाई जा चुकी है और जो इंडियन साइड है अब उसकी तरफ बिछनी है। 2003 मैगावाट का जो अंडर ऑप्रेशन कार्य हो रहा है और जो प्रोजैक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है 900 मैगावाट का है। उराखंड में 60 मैगावाट का है । भूटान में 600 मैगावाट का है। और गुजरात में विंड पावर प्रोजैक्ट 12 मैगावाट का है। यह 1572 मैगावाट के प्रोजैक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अंडर प्री कंस्ट्रक्शन और जो दूसरे प्रोजैक्ट्स हैं 1848 मैगावाट के प्रोजैक्ट्स हैं। जो बिहार, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है । इसके अतिरिक्त नेपाल बोर्डर में लाइन बिछाने का जो मसला है। अंडर सर्वे और इंवेस्टिगेशन 1378 मैगावाट के प्लांट्स है जिनमें ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कुछ समय से लगातार अखबारों में यह आ रहा है कि केन्द्र सरकार इसमें फैसला लेने जा रही है। संभव है कि आगामी किसी भी कैबिनेट में फैसला ले लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की तरफ से इस बात का जबरदस्त विरोध दर्ज किया जाना चाहिए। मुझे याद है जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो यह मसला मंत्री मंडल में आया था। उस समय भी मंत्री मंडल ने जबदस्त विरोध किया था। इसलिए तब हिमाचल विरोधी कदम को रोका गया था।

माननीय मंत्री जी हमें बताने का प्रयास करें कि क्या मौजूदा कैबिनेट में इसके बारे में कोई चर्चा की गई है? क्या आपने इतने बड़े मसले में मंत्री मंडल की ओर से केन्द्र में इसका विरोध दर्ज करवाया है या माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र को कोई पत्र लिखा है? यदि पत्र लिखा है तो उसके रिस्पोंस में केन्द्र ने क्या कहा है। क्या माननीय ऊर्जा मंत्री खुद दिल्ली जा करके केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से इस बारे में मिले हैं। आपने हिमाचल प्रदेश का क्या पक्ष रखा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल कलियर है और वे कह रहे हैं कि "Centre Can Sell Satluj Jal even as Himachal Govt. Opposes Deal". अगर हिमाचल विरोध भी करेगा तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वे उसका विलय कर सकते हैं उसको बेच सकते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा कलियर लिखा है कि the Centre can sell

its stake in Satluj Vidyut Nigam Ltd. even if Himachal Pradesh, the partnering state government, is not open to the deal. आगे इन्होंने कहा कि the Centre has checked the company's shareholding agreement that does not talk about consent or first right of refusal to the existing partner, which is the Himahcal Pradesh.

14/12/2018/1705/RG/HK/1

केन्द्र की तरफ से अख़बारों में ये बड़ी-बड़ी ख़बरें छपवाई जा रही है। इसका मतलब कि केन्द्र एक इम्प्रैशन दे रहा है कि हिमाचल को बिना पूछे, उसकी सलाह या सहमति लिए बगैर सतलुज जल विद्युत निगम का अस्तित्व खत्म किया जा सकता है। हमारा इसमें लगभग 27% शेयर है। लेकिन लगातार यह बात कही जा रही है और ये कह रहे हैं कि हमने सारा चैक कर लिया है कि हिमाचल से सलाह लेने की जरूरत नहीं है।
सभापति महोदय, जो हमारा MOU है, उसमें 4(C) में बिल्कुल क्लियर है कि हिमाचल की सहमति के बगैर केन्द्र ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वे ऐसा कह रहे हैं कि हमने सारा चैक कर लिया है जबकि 4(C) में "the Government of India and the Government of Himachal Pradesh are entitled to and shall subscribe to the equity of the company in the proportion agreed to from time to time".
समय-समय पर समझौता होता रहेगा। इसमें हिमाचल और केन्द्र का 3x1 का रेशो है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 95% जो इन्स्टाल कैपेसिटी है, वह सारी हिमाचल प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त एक और बात रैवेन्यु की है कि हिमाचल प्रदेश को इससे कितना रैवेन्यु आ रहा है। अगर पिछले कुछ सालों का आप रैवेन्यु देखें तो वर्ष 2012-13 में 1682 करोड़ रुपये, वर्ष 2013-14 में 1873 करोड़ रुपये, वर्ष 2014-15 में 2817 करोड़ रुपये, वर्ष 2015-16 में 2493 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 2468 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 में 2229 करोड़ रुपये का राजस्व आया। इतना पैसा लगातार फ्लो हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के तो सबसे ज्यादा स्टेक्स इसमें लगे हुए हैं। अगर आपके सरकार में रहते हुए और खासतौर पर जो मंत्रि-मण्डल सामने बैठा हुआ है, आपके रहते हुए इस सतलुज जल विद्युत निगम का अस्तित्व खत्म हो गया या केन्द्र ने उसका विलय एन.टी.पी.सी. में कर दिया तो

हिमाचल के स्टेक्स या जो इतना बड़ा इम्पायर है, उसमें एक-दो या तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहेगा और यह हिमाचलियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसमें लगभग 1564 लोग काम कर रहे हैं और 6700 करोड़ रुपये रिजर्व में पड़ा है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी 1500 मेगावाट की विद्युत परियोजना हिमाचल में स्थापित है। यह रामपुर का बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। यह प्रस्ताव हमारी कैबिनेट में आया था, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। आप उस समय भी मंत्री थे और आज भी आप विभाग के मंत्री हैं। अब आप हिमाचल प्रदेश के कस्टोडियन हैं। आपको देखना है कि अगर हिमाचल प्रदेश को इस ...(घण्टी)....ढंग से बेचा जाएगा, सभापति महोदय, यह हिमाचल की भाग्यरेखा का सवाल है, हिमाचल के अस्तित्व का सवाल है, इससे इतनी बड़ी इनकम है। इसके बाद आप पैसा कहां से लाएंगे? सतलुज जल विद्युत निगम जो वर्ष 1988 में स्थापित हुआ, अगर ये चीजें हमारे हाथ में नहीं रहेंगी, केन्द्र इस पर भी हमला कर देगा, इसको भी हथिया लेगा, रिजर्व पूंजी उनके हाथ में चली जाएगी और हमारे स्टेक्स शून्य हो जाएंगे और प्रबन्धन उनका हो जाएगा तो क्या होगा? अभी तो इसमें आपका पूरा संचालन है, आपने जगह-जगह देखा होगा कि लिखा हुआ है और कूड़ेदान आपने लगाए हैं, हर जगह प्रबन्धन में आपके लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जिस ढंग से यह चल रहा है तो यह बात बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यह बात माननीय मंत्री जी को भी मालूम है और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मालूम है। आपने किस ढंग से इसके विलय को रोकना है? आज दिन तक हम फ़ख्र से कहते हैं कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश ने बनाई है और गुजरात एवं महाराष्ट्र तक हमारा इम्पायर पहुंचा है, भूटान तक हमारे प्रोजैक्ट पहुंचे हैं। नेपाल तक हमारी लाईनें पहुंची हैं ...(घण्टी)....हमें हजारो करोड़ रुपये इससे इनकम हो रही है।

14/12/2018/1710/MS/yK/1

अब जब चुनाव की बेला और चुनाव की आहट आ रही है और ऐसे मौके पर अगर इस प्रोजैक्ट को आपसे हथिया लिया जाता है तथा यह पैसा ग्रैब कर लिया जाता है तो हिमाचल के साथ इससे बड़ा फरेब़ और धोखा कोई हिन्दुस्तान की सरकार नहीं कर सकती है। ...(घण्टी)...

सभापति(श्री रमेश चंद ध्वाला): माननीय सदस्य, अभी तीन और माननीय सदस्य बोलने को शेष हैं। आपको बोलते हुए 15 मिनट का समय हो गया है। इस तरह से तो सदन का समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री: सभापति महोदय, मैं प्रस्तावक हूं। तो मैं यह कह रहा था कि यह कोई चवन्नी/अठन्नी का मसला नहीं है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का मसला है। मुख्य मंत्री जी ने अगर केन्द्र को इस बारे में पत्र लिखा है तो उन्होंने क्या जवाब दिया है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जाकर दिल्ली में बैठो और किसी भी ढंग से जो उनका यह डिस-इन्वैस्टमैंट का प्लान है, उसको रूकवाओ ताकि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी प्रधानमंत्री स्तर पर बात करें या ऊर्जा मंत्री के स्तर पर बात करें क्योंकि यह बहुत बड़ा मसला है और इससे हिमाचल से 6700 करोड़ रुपये का रिज़र्व चला जाएगा तथा हर साल की इन्कम चली जाएगी। इसके अलावा जो लोगों को नौकरियां मिल रही हैं वह सबकुछ भी चला जाएगा। हमारा कहना है कि आज तक जो हिमाचल ने बनाया, वह आपके रहते हुए सब लुट जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को स्थिति स्पष्ट करें कि आपने इस बारे में क्या बातचीत की है तथा बातचीत किस स्तर पर है। आप सदन को आश्वासन दें कि आपकी सरकार सत्ता में रहते हुए किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विलय न करने बारे यह सदन चर्चा करें।"

सभापति(श्री रमेश चंद ध्वाला): अब माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी(किन्नौर): माननीय सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो नियम-63 के तहत चर्चा शुरू की है, उसमें मैं भी अपने आपको जोड़ना चाहता हूं।

सभापति जी, जो यह सतलुज जल विद्युत निगम है यह पहले नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट के नाम से था और यह मेरे जिला किन्नौर के निर्वाचन क्षेत्र के नाथपा से शुरू होकर

झाकड़ी जोकि रामपुर निर्वाचन क्षेत्र में है, वहां इसका पावर हाउस बना है। यह जो नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट है यह हमारे पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी जो वर्तमान में हमारे यहां माननीय सदस्य हैं, इनकी सोच के कारण केन्द्र और हिमाचल में एक ज्वाइंट वैंचर की पहली बार शुरुआत हुई। यह बहुत ही बढ़िया प्रोजैक्ट है और इससे बहुत आमदनी हो रही है। फिर इसमें विचार आया और पूरे सतलुज बेसिन के नाम से इसको एस0जे0वी0एन0एल0 में तब्दील किया गया। उसके बाद 412 मेगावाट का रामपुर प्रोजैक्ट भी बना और फिर इन्होंने स्टेट से बाहर जाकर भी बहुत सारी जगहों पर जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और अभी नेपाल में हैं, कार्य शुरू किए। आज इनका कारोबार अरबों रुपयों में है लेकिन विडम्बना यह है कि आज केन्द्र की सरकार धन उगाही के लिए हररोज़ कोई-न-कोई स्कीम ढूंढ रही है। अभी कुछ दिन पहले आर0बी0आई0 से धन लेने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी केन्द्र सरकार की पुरानी भूमि पड़ी हुई है जोकि अरबों रुपयों की है तथा जिसमें शिमला में हमारा गवर्नमैंट प्रैस है जिसकी जमीन अरबों की है। उसको भी बेचने की तैयारी की गई है। अभी जो चर्चा यहां पर चल रही है इसके मुताबिक हिमाचल के एस0जे0वी0एन0एल के ऊपर केन्द्र की गिद्ध निगाह है। 6700 करोड़ रुपये के लगभग जो धन संचय किया है उसको निकालने के लिए एन0टी0पी0सी0 के माध्यम से इसके शेयर खरीदने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होगा तो वास्तव में ही हमारे हिमाचल के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। जो हिमाचल को हर साल अरबों रुपये इस प्रोजैक्ट से मिल रहे हैं वे मिलना भी बन्द हो जाएंगे। यह हमारी बहुत बड़ी चिन्ता है।

14.12.2018/1715/जेके/वाईके/1

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि केन्द्र चाहे जो भी तरीके अपनाएं परन्तु हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हम सभी को यहां पर चुन कर भेजा है और आप हमारे मुखिया हैं। केन्द्र में चाहे आपकी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, एस0जे0वी0एन0एल0 को केन्द्र के किसी अन्य उपकरण के साथ न जोड़ा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

सभापतिः माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू (नादौन): माननीय सभापति महोदय, विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने नियम- 63 के तहत एक गम्भीर विषय इस माननीय सदन में लाया है, मैं उसमें बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, पानी हिमाचल का है और उसमें जब डैम बन जाते हैं, इवैपरेशन होती है वहां फॉग पड़ जाती है और कई प्रकार की दिक्कतें वहां के नागरिकों को आती हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है हिमाचल के हितों को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे विधायक दल के नेता ने पहले ही दिन कहा था कि हिमाचल के हितों को नहीं बेचने दिया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सरकार हिमाचल के हितों को बेचने देगी या नहीं देगी? इस गम्भीर विषय पर माननीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी को भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि 1991 में जब एस0जे0वी0एन0एल0 कार्पोरेशन बनी तब आपके पिता जी प्लानिंग एण्ड स्टैटिस्टिकल मिनिस्टर थे। केन्द्र में हमारी सरकार थी। पहला एस0जे0वी0एन0एल0 प्रोजैक्ट जब सेंक्शन हुआ तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी थे। यह एशिया का 1500 मैगावाट का सबसे बड़ा प्रोजैक्ट था। इससे रेवन्यू जनरेट हुआ, जिसमें 25 परसेंट के करीब हमारी भागीदारी थी। 12 परसेंट हमें फ्री पॉवर मिलती थी और फ्री पॉवर के बाद आज इसमें हमारा 26 परसेंट का शेयर बनता है। बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी हम आपसे चाहेंगे कि अभी हमारी आवाज एस0जे0वी0एन0एल0 में है। 40 प्रतिशत के करीब हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वे डैपुटेशन पर आए हैं, चाहे उनको डायरैक्ट लिया जाता है तथा जितना रेवन्यू इससे जनरेट होता है और मुझे दुख इस बात का भी है कि एस0जे0वी0एन0एल0 ने बिहार में एक कोल बेस प्रोजैक्ट लगा दिया और 26 परसेंट भागीदारी वाले हम लोग उसमें कोई आवाज नहीं उठा सके। इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है की एन0टी0पी0सी0 और जो फाइनैंस मिनिस्टर हैं वे इसको एन0टी0पी0सी0 में मर्ज करवाना चाहते हैं। अब सरकार ने क्या प्रयास किए हैं उस बारे में तो हमें जानकारी

नहीं है लेकिन गम्भीरता इस विषय की है कि 1912 मैगावाट बिजली हिमाचल प्रदेश में पैदा हो रही है। एक और 700 मैगावाट का प्रोजैक्ट, लूहरी प्रोजैक्ट अभी आपने केबिनैट में डिसाइड किया, 70 साल के लिए एस0जे0वी0एन0एल0 को दे दिया गया। उसके अलावा एक और प्रोजैक्ट 1500 मैगावाट के करीब यहां बिजली उत्पादन एस0जे0वी0एन0एल0 कर रहा है और टोटल साढ़े 3000 मैगावाट के करीब बिजली का उत्पादन यहां पर हो जाएगा। हम सब लोगों का प्रयास है और आप लोगों का प्रयास अधिक बन जाता है क्योंकि केन्द्र में आपकी सरकार है। अब हितों की रक्षा करना तो आपका काम है। हम तो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। बी0बी0एम0बी0 से हम केस जीते हैं। यह उदाहरण मैं इसलिए इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि 4200 करोड़ रूपया सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड को, हरियाणा गवर्नमैंट को, राजस्थान गवर्नमैंट को कहा कि वह हिस्सा हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। हमारा साढ़े सात परसेंट का शेयर है। वहां भी हमें दिक्कतें आती हैं। जब हम एन0टी0पी0सी0 में मर्ज हो जाएंगे तो हमारी आवाज तो कोई भी नहीं सुनेंगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री महोदय, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो हमारे विधायक दल के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने मुद्दा उठाया है, यह हिमाचल के हितों से सम्बन्धित है और हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए आपने कहा कि हम हिमाचल के हितों को नहीं बेचने देंगे। अगर इसका मर्जर हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के हितों को बेचने वाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाएगी, यही मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, इसलिए आप हिमाचल के हितों की रक्षा कीजिए। हिमाचल प्रदेश के 40 प्रतिशत कर्मचारी उसमें हैं। हिमाचल प्रदेश के 40 प्रतिशत कर्मचारियों का कोटा उसमें है। पानी हमारा है और साढे 3000 मैगावाट बिजली इसमें हमारी पैदा होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14.12.2018/1720/SS-AG/1

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री नंद लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नंद लाल(रामपुर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं यह हिमाचल के इंट्रस्ट की एक बहुत बड़ी बात है कि एस0जे0वी0एन0एल0 का मर्जर एन0टी0पी0सी0 में न हो। मुझसे पूर्ववक्ताओं ने इस पर बात रखी। हम यह कहना चाहेंगे कि संविधान का जो बेसिक स्पिरिट है जिसमें हमको एग्रीमैंट के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी है, एस0जे0वी0एन0एल0 प्रोजैक्ट की सी0एस0आर0 की जो रिस्पोंसिबिलिटी है, बहुत सारे डिवीडैंड की बात है और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश उससे वंचित हो जायेगा। हमारे यहां 1500 मैगावाट का जो सबसे बड़ा प्रोजैक्ट झाकड़ी में चल रहा है, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोजैक्ट वाले इस बात को देखते हैं कि उसमें 85 परसैंट इम्प्लॉयमैंट हिमाचलीज़ का है। आगे इसके मर्जर के बाद I don't know what is going to happen. और जो लोकल लोग हैं, जो इफैक्टिड पंचायतें हैं, उन लोगों की गाड़ियां हायर की होती हैं वे भी हज़ारों रुपये महीने के कमाते हैं। ...(व्यवधान)... उनको भी एक अच्छी इम्प्लॉयमैंट का सोर्स बना हुआ है। हम कहना चाहेंगे कि वे इस फैसिलिटी से वंचित हो जायेंगे। इसमें हिमाचल का बहुत बड़ा स्टेक है। उसमें भी हम बहुत ज्यादा लूज करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज रामपुर के अंदर झाकड़ी जो प्रोजैक्ट है, पूरा झाकड़ी गांव, it is a village adopted with SJVNL. उसके अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, हम आपको बता नहीं सकते कि इतनी डिटेल में काम हो रखे हैं कि शहर की शक्ल दी जा रही है। इसी तरह से एक्रॉस दी रिवर बायल (Bail) के अंदर के जो प्रोजैक्ट चल रहा है उसके अंदर भी उन्होंने बायल के गांव को एडॉप्ट कर रखा है। उसके अंदर भी गांव को एक शक्ल/तस्वीर दी जा रही है क्योंकि एडॉप्टिड विलेज है। इस तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ

इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रयास होने चाहिएं कि एस0जे0वी0एन0एल0 और एन0टी0पी0सी0 का मर्जर सूसाइडल हो जायेगा। यह लिटरली सूसाइडल है। इसलिए सरकार का प्रयास का होना चाहिए कि इसको बचाया जाए। जैसे हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने कहा है कि क्या सरकार ने इसको सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ टेक अप किया है। अगर टेक अप नहीं किया है तो अब इसको ढंग से टेक अप किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश का जो इसमें लॉस होने जा रहा है उसको बचाया जा सके। पावर जनरेशन का सबसे बड़ा प्रोजैक्ट नाथपा झाकड़ी वाला है और बायल वाला प्रोजैक्ट है। अभी बता रहे थे कि 3500 मैगावाट का कारोबार चल रहा है, इसके अलावा प्रोजैक्ट का जो काम है यह भूटान और नेपाल में है। कितना लम्बा-चौड़ा तामझाम है। यह एक स्वतंत्र एजैंसी भी है। आज एस0जे0वी0एन0एल0 स्वतंत्र फैसला लेने लायक है। यह स्वतंत्र ही रहेगी। एन0टी0पी0सी0 एक बहुत बड़ी कम्पनी है। इसमें मर्जर का मतलब है कि SJVNL will not have any say. इनकी कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि हमको इसको सैंटर गवर्नमैंट से टेक अप करना है ताकि जो हमारे लॉसिज़ होंगे या 250 करोड़ रुपये का एनुअल डिवीडैंड मिलता है। एक परसैंट जनरेशन का लोकल लोगों के लिए उसमें बेनिफिट मिलता है। 34 करोड़ एनुअली सी0एस0आर0 में प्रोजैक्ट के लिए खर्च करती है। इसी तरह से हमारा कहना है कि सरकार इसको टेक अप करे और इसका मर्जर न होने दे। जिसके होने से हमारे हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़े डिवीडैंड से वंचित किया जायेगा। एस0जे0वी0एन0एल की अपनी एक स्वतंत्रता एवं पहचान है, वह खत्म हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री राकेश सिंघा जी अपनी बात रखेंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं समझता हूं कि इस विषय को लेकर हमें राजनीति से ऊपर उठना है। मर्जर होता है या नहीं होता है, यह उसका राइट है that we should not forget. क्योंकि जब शेयर खरीद लिये जायेंगे।

14-12-2018/1725/KS/AG/1

या सैंटर अपने शेयर बेच देगा तो प्रश्न वह नहीं है, प्रश्न आज यह है कि हमारे पास हिमाचल में जंगल थे, वे केन्द्र ने ले लिए और आज एक भी नया पैसा हमें नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश की पीड़ा केन्द्र नहीं समझता। यह बहुत अच्छी बात नहीं है और अब यह जो पानी है, यह भी चला जाएगा, पन विद्युत योजना भी चली जाएगी, सतलुज जल विद्युत निगम चला जाएगा जो कि बहुत खतरनाक होगा क्योंकि हाईडल में एन.टी.पी.सी. का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोल डैम का भी उसने सत्यानाश कर दिया। वह कब लीक हो जाएगा पता नहीं है। बड़ी मुश्किल से जो मिट्टी का डैम बनाया था वह लीक कर गया उसकी कोई एक्सपर्टाइज़ नहीं है। थर्मल में एन.टी.पी.सी. ठीक है । अभी बहुत से प्रोजैक्ट्स बनने हैं। लूहरी बनना है, किन्नौर में जंगी थोपन बनना है तो हम अगर सतलुज जल विद्युत निगम में एन.टी.पी.सी. को अपने शेयर बेच देंगें तो यह हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं होगा इसलिए मैं समझता हूं कि इसको बचाने में ठाकुर जय राम जी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है क्योंकि आज की तारीख में इनका प्रभाव है। ये भाजपा में उन मुख्य मंत्रियों में से हैं जिनका बहुत ऊंचा कद है लेकिन सभी की मदद लें जिससे केन्द्र सरकार प्रैशर में रहे। यहां के चार एम.पी. भारत सरकार में कोई मायने नहीं रखते। उसके सोचने का कुछ ओर नज़रिया है। वह पार्टी लैवल पर नहीं सोचती नहीं तो हिमाचल प्रदेश इतना पिछड़ा नहीं रहना था। इसलिए मेरी विनती है कि जिस तरीके से मुकेश अग्निहोत्री जी ने इस रेज्योल्यूशन को लाया है, बहुत सीरियस प्रायोरिटी इसको देनी है । यह कैसे करना है, यह आप बैठ कर तय कर लीजिए। मैं भी छोटा-मोटा योगदान

देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह बचना चाहिए, यह मैं दिल की गहराइयों से कहता हूं, नहीं तो हिमाचल प्रदेश तबाह है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी उत्तर देंगें। मंत्री जी के उत्तर देने से पहले मैं आधे घंटे के लिए सदन का समय और बढ़ाने की घोषणा करता हूं।

(सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ाया गया)

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने नियम-63 के अंतर्गत जो यहां पर मुद्दा उठाया, उसमें माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, नन्द लाल और राकेश सिंघा जी ने भी भाग लिया। मैं इनका आभारी हूं, प्रदेश के हितों की बात आपने उठाई है और यह सरकार भी आपकी भावनाओं की कद्र करती है। सरकार जानती है कि एस.जे.वी.एन.एल. सैक्टर की कितनी इम्पोर्टेंस इस प्रदेश के अंदर है। मुकेश अग्निहोत्री जी ने इस बात को भी उठाया कि पूर्व सरकार के समय में भी, उसमें आप भी मंत्री थे और मैं भी उस समय मंत्री था, हमने उसका विरोध किया था। सरकार बदलने के बाद भी प्रदेश सरकार की स्थिति वैसी ही है और इस सम्बन्ध में जो मैं आपके सामने वक्तव्य रखूंगा उसमें सारे तथ्यों का मैं जिक्र करुंगा और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने। इसमें जो विलय की बात की गई है, अभी तक विलय की बात हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है। क्योंकि विलय होना कुछ अलग इशू है परन्तु जो भी इसके अंतर्गत गतिविधियां हो रही हैं, मैं उनके बारे में सदन को अवगत करवाना चाहता हूं। इसमें वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-

सतलुज जल विद्युत निगम (पहले नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) कम्पनीज़ एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत विद्युत अधिनियम 2003 के भाग-2 के अन्तर्गत एक विद्युत उत्पादक कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार व

14.12.2018/1730/av/dc/1

हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में दिनांक 24.5.1988 को नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु स्थापित की गई जिसका नाम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड के रूप में दिनांक 11.11.2002 को बदल दिया गया तथा दिनांक 22.9.2009 को इसे एस0जे0वी0एन0एल0 नाम से पंजीकृत किया गया। यहां पर माननीय सदस्य मुकेश अग्निहोत्री जी कम्पनी के आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन में इक्विटी का जिक्र कर रहे थे जिसका सब्सक्रिप्शन का प्रावधान निम्न प्रकार से हैः-

"Article 4(C)- The Government of India and the Government of HP are entitled to and shall subscribe to the equity of the company in the proportion agreed to from time to time".

हिमाचल प्रदेश एस0जे0वी0एन0एल0 में निम्न दर्शाए गए कारणों से सबसे बड़ा हित्तधारक है।

1. एस0जे0वी0एन0एल0 की 95 प्रतिशत से अधिक क्षमता हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित है।

2. एस0जे0वी0एन0एल0 का लगभग 95 प्रतिशत राजस्व हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न किया जा रहा है।

3. वर्तमान में एस0जे0वी0एन0एल0 की कुल 2003 मैगावाट उत्पादन क्षमता में से 1912 मैगावाट हिमाचल प्रदेश में स्थापित है जिसमें नाथपा झाकड़ी परियोजना 1500 मैगावाट व रामपुर परियोजना 412 मैगावाट शामिल है। एस0जे0वी0एन0एल0 द्वारा 830 मैगावाट क्षमता की चार परियोजनाओं का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है जिनमें क्रमशः लूहरी चरण-।(210 मैगावाट), लूहरी चरण-।। (172 मैगावाट), सुन्नी डैम परियोजना (382 मैगावाट) जिला शिमला एवं धौलासिद्ध

परियोजना (66 मैगावाट) जिला हमीरपुर में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जिला किन्नौर में 780 मैगावाट क्षमता की जंगी थोपन पवारी परियोजना का आबंटन नामांकन के आधार पर एस0जे0वी0एन0एल0 को किया गया है।

4. प्रदेश में स्थित एस0जे0वी0एन0एल0 की परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत का 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली व 25 प्रतिशत इक्विटी पावर के रूप में सरकार को देय बनता है।

5. एस0जे0वी0एन0एल0 एक सूचीबद्ध कम्पनी है जिसमें भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जनता की क्रमशः 63.79 प्रतिशत, 26.85 प्रतिशत एवं 9.37 प्रतिशत शेयर होल्डिंग है।

6. मौजूदा समझौते में प्रदेश सरकार द्वारा 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती देने का प्रावधान किया गया है।

हालांकि भारत सरकार द्वारा एस0जे0वी0एन0एल0 का एन0टी0पी0सी0 में विलय सम्बंधित कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में प्रदेश सरकार के ध्यानार्थ नहीं लाया गया है। लेकिन ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16.3.2017 के पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार को एन0टी0पी0सी0 द्वारा एस0जे0वी0एन0एल0 के अधिग्रहण हेतु दिए गए इच्छा प्रस्ताव के संदर्भ में लिखे गए पत्र को विस्तृत टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया।

एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रेषित इच्छा प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को एन0टी0पी0सी0 द्वारा एस0जे0वी0एन0एल0 का अधिग्रहण करने हेतु असहमति जताई जाए तद्नुसार विभाग ने पत्र दिनांक 31.3.2017 द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तावित एस0जे0वी0एन0एल0 के अधिग्रहण के विरुद्ध राज्य के सामाजिक व आर्थिक हितों के मद्देनजर असहमति जताई क्योंकि राज्य के लोग एस0जे0वी0एन0एल0 में

सबसे बड़े हित्तधारक माने गए हैं और उन्हें नजरअन्दाज करना हिमाचल प्रदेश के दीर्घकालीन हितों के लिए हानिकारक होगा।

तत्पश्चात मीडिया में प्रकाशित न्यूज आइटम पर संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने अर्धशासकीय पत्र दिनांक 23.1.2018 व 10.10.2018 के माध्यम से भी एस0जे0वी0एन0एल0 का एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण पर असहमति जताते हुए यह अर्ज किया कि प्रदेश की जनता एवं सरकार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एस0जे0वी0एन0एल0 का भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम की यथास्थिति में कोई बदलाव न किया जाए।

वैसे भी यह मामला पूर्णतः भारत सरकार के कार्य अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है। इसके बावजूद यदि एन0टी0पी0सी0 द्वारा एस0जे0वी0एन0एल0 का प्रस्तावित अधिग्रहण किया जाता है तो

14.12.2018/1735/TCV/AG/1

प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश के हितों की पूर्ण रक्षा की जाएगी। आपने यहां पर जो और भी मुद्दे उठाए हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी केन्द्र सरकार से इसका प्रयास करेंगे और हम भी जाकर इस बात को कहेंगे। क्योंकि वे हमारे शेयर टेकओवर नहीं कर सकते हैं। एस0जे0वी0एन0लि0 के अंदर जो हमारा 25-26 प्रतिशत् से ज्यादा का शेयर है। एस0जे0वी0एन0 और एन0टी0पी0सी0 का जो सेंटर का शेयर है, उसमें कंपनी एक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं और इसमें क्या प्रावधान है? हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रदेश के हितों की रक्षा की जा सकती है। यदि इसमें कोई राय लेने की बात होगी तो प्रदेश सरकार इसमें राय भी लेगी। राजनैतिक तौर से भी हमारा प्रयास रहेगा कि प्रदेश के हितों की रक्षा की जाए। माननीय मुख्य मंत्री के माध्यम से हम केन्द्र सरकार से बात करेंगे कि इस तरह से इसको टेकओवर करने की बात न हो। मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जो इस माननीय सदन की भावनाएं हैं, उनको भी हम केन्द्र सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (नेता प्रतिपक्ष)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसमें कहा है कि सत्ता में आने के बाद हमने इसी वर्ष इस बारे में दो बार जनवरी और अक्तूबर में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। आज केन्द्र की भावनाएं सामने आ रही है। इसमें मंत्री जी ने कहा कि इसके बावजूद भी अधिग्रहण किया जाता है तो हम प्रदेश के हितों की रक्षा करेंगे। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्री और मत्रिमंडल से आग्रह है कि ऐसी कोई सोच न रखें। किसी भी हालत में व्यक्तिगत आधार पर प्रधानमंत्री जी से बात करके जिस भी ढंग से इसका अधिग्रहण रूका सकते है, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यदि एस0जे0वी0एन0लि0 हमसे छिन जाता है तो बहुत बड़ा धोखा हिमाचल प्रदेश के साथ होगा। इसलिए आप अगर-मगर की शर्त हटा दें। क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की सहमति के बगैर ऐसा नहीं हो सकता है और वे यह दबाव डाल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सहमति के बगैर ऐसा हो सकता है। इसलिए समय रहते आप इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है और इस संदर्भ में सरकार का कसंर्न भी स्पष्ट कर दिया है। जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, इस तरह की बातें केन्द्र में एक जगह नहीं कई जगह चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिन पहले केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी से इस संदर्भ में हमारी बात हुई है। इस बारे में बात करने के लिए उनका ही फोन आया था। हमने अपनी मंशा बहुत स्पष्ट जाहिर की है कि यह हमें स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना था कि इस विषय में आपके जो भी हित हैं और जिस रूप में है, वे प्रोटैक्ट किए जाएंगे। इस समय एस0जे0वी0एन0लि0 में जो हमारा हिस्सा है, उसके हिसाब से सारी चीजें उसमें कायम रहेगी।

14/12/2018/1740/NS/HK/1

बेसिकली क्या है कि हिमाचल प्रदेश में एन0टी0पी0सी0 का कोल डैम एक ही प्रोजेक्ट है। पूरे देश भर में हाइड्रो सैक्टर में पहला प्रोजेक्ट है। एन0टी0पी0सी0 का सारा सिस्टम थोड़ा अलग सा है। क्योंकि हाइड्रो सैक्टर में काम करने का उनका अनुभव अलग है। इसलिए हम

कह सकते हैं कि इस सारे मामले को ले करके हम भावनात्मक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। पहले एन0जे0पी0सी बना और बाद में जब लगा कि सतलुत बेसिन पर इसे और बड़ा करना चाहिए तो इसको एस0जे0वी0एन0एल0 का रूप दे दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि केंद्र में इस तरह के विचार निश्चित रूप से चले हुए हैं। इसको छिपाने की बात उचित नहीं है। इसके बावजूद जैसे ही हमें जानकारी मिली तो हमने उनको तुरंत पत्र लिखा और बात भी की है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कोशिश कर रहा हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से इस संदर्भ में बात करूं ताकि विपक्ष की ओर से जो मंशा जाहिर की गई है, इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के हित में यही उचित रहेगा कि एस0जे0वी0एन0एल0 इंटेक्ट रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव होगा, हम करेंगे। माननीय मंत्री जी ने इन सारी बातों का उत्तर दिया है तो मुझे लगता है कि इससे आप सबको विदित हो गया कि हमारे प्रयास-प्रयत्न में कोई कमी पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः नियम-130 के अंतर्गत श्री सुरेश कुमार कश्यप जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यप (अनुपस्थित)

श्री सुख राम (अनुपस्थित)

अब इस माननीय सदन की बैठक शनिवार, 15 दिसम्बर, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक: 14 दिसम्बर, 2018 **सचिव।**

*****